अंक २ बृहस्पतिवार

संख्या १९ ७ अगस्त, १९५२

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ३६४७—३६६६]

(मूल्य ४ आने)

481 PSD.

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

बृहस्पतिवार, ७ अगस्त, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ अल्प सूचना वाले प्रश्न हैं । सरदार ए० एस० सहगल ।

पश्चिमी बंगाल में दुर्भिक्ष की स्थिति

सरदार ए० एस० सहगल : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टाइम्स आफ इंडिया, दिनांक २१ जुलाई के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित प्रतिवेदन का क्या सरकार को पता है जिसमें कहा गया है कि पश्चिमी बंगाल में ५० लाख मनुष्य भूखों मर रहे थे तथा ५० लाख और मनुष्यों पर भूख से मरने की नौबत आने वाली थी ;

(ख) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर हां हो तो क्या सरकार ऐसा प्रबन्ध तुरन्त करेगी जिससे कि भूखों मरने से उन्हें बचाया जा सके; और

(ग) क्या सरकार सदन के समक्ष सारे तथ्य रखेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : खाद्य तथा कृषि संबंधी कुछ प्रश्न और हैं । क्या इन सब प्रश्नों का एक साथ उत्तर देना सुविधाजनक होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु वे उत्तर-प्रदेश के हैं और ये पश्चिमी बंगाल संबंधी हैं ।

मेरे सभा सचिव उतर पढ़ेंगे ।

सभा सचिव खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): पश्चिमी बंगाल की सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार फसल बिगड़ने के कारण पीड़ित व्यक्तियों की समस्त संख्या लगभग ४५ लाख है । इस अनुमान में केवल वे लोग ही सम्मिलित नहीं हैं जो सर्वथा निराश्रय हैं परन्तु वे भी हैं जो खेती का काम न मिलने के कारण अभी कठिनाई में पड़ गए हैं । माल्टा में ८० परिवार बाढ़ग्रस्त हुए हैं, परन्तु संचार साधनों की कठिनाई के कारण पश्चिमी बंगाल की सरकार अपने जिलाधिकारियों से नहीं जान सकी कि जलपागुरी, कच्छ बिहार और पश्चिमी दीनजपुर में लगभग कितने लोग बाढ़ग्रस्त हुए हैं ।

जैसा कि ५ जून और २६ जून के अल्प सूचना प्रश्नों के उत्तर में तथा १६ और १७ जुलाई के स्थगन-प्रस्ताव में बताया जा चुका है, पीड़ित व्यक्तियों को सहायता देने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार

ने पहिले से ही निम्नलिखित प्रकार की कार्यवाही की है :—

(१) प्रति वयस्क व्यक्ति को एक सप्ताह के लिए ३ पाव चावल और ३ पाव गेहूं/गेहूं की बनी वस्तुएं, इस हिसाब से अशास कीय संगठनों द्वारा १५००० मन चावल और १५००० मन गेहूं मुफ्त में बाटा गया ;

(२) प्रति वयस्क व्यक्ति को एक सप्ताह के लिए ३ पाव चावल और न्यूनतम ३ पाव गेहूं/गेहूं की बनी वस्तुएं—इस अनुमाप के अनुसार संपरिवर्तित राशन की दुकानों द्वारा अत्यन्त कम क्रय-शक्ति वाले मनुष्यों को साहाय्यित दर पर १५ रुपए मन के भाव से १५००० टन चावल और १५००० टन गेहूं बेचा जा रहा है । गेहूं/गेहूं की बनी हुई वस्तुऐं अधिक से अधिक सवा सेर तक दी जा सकती हैं । पिछले सप्ताह बंगाल सरकार से चर्चा करते समय यह समझौता हुआ था कि यदि उन्होंने आवश्यक समझा तो भारत सरकार से परामर्श कर के बंगाल सरकार चावल और गेहूं/गेहूं से बनी हुई वस्तुओं इन में से प्रत्येक साहाय्यित धान्य को बेचने की सीमा १५००० टन से बढ़ा कर ३०००० टन कर देगी । आवश्यकता पड़ने पर चावल और गेहूं/गेहूं से बनी वस्तुएँ भी १५००० मन से अधिक मुफ्त में बांटेगी । इस समय लगभग १,५०,००० व्यक्ति उपदान साहाय्य प्राप्त कर रहे हैं । उपर्युक्त (१) में मुफ्त बांटनें के लिए पहिले बताए गए चावल और गेहूं के अतिरिक्त उपदान साहाय्य के लिए ३,३९,००० रुपयों के लिए मंजूरी दी गई है ;

(३) सहायता के लिए १०० से अधिक केन्द्र खोले जा चुके हैं । पश्चिमी बंगाल से हाल ही में प्राप्त रिपोट के अनुसार लगभग ५०,००० व्यक्ति परीक्षण कर्मों में लगे हुए हैं । मजूरी निम्न प्रकार है :—

नादिया—प्रति मजदूर प्रति दिन १ रुपए से डेढ़ रुपए तक ।

२४ परगना—१००० घन फुट जमीन खोदने और ढोने के लिए प्रति मजदूर १० रुपए ।

बांकुरा—१००० घन फुट जमीन खोदने के लिए प्रति मजदूर १० से लेकर २० रुपए तक ।

(४) पश्चिम बंगाल ने निम्न लिखित व्यय की मंजूरी दे दी है—

(क) परीक्षण कर्म ८·७ लाख रुपए ।

(ख) कृषि और सुधार के लिए ऋण १५·८५ लाख रुपए ।

(ग) भूमि-सुधार के लिए ऋण १८·११ लाख रुपए ।

(घ) पशु खरीदने के लिए ऋण १·५ लाख रुपए ।

(ङ) साहाय्य दान इत्यादि ६·५ लाख रुपए

पीड़ित क्षेत्रों में बांटने के लिए ४०३२ पौंड दूध का पाउडर खरीदने के लिए पश्चिमी बंगाल की सरकार ने मंजूरी दे दी है । प्रधान मंत्री की निधि से पश्चिमी बंगाल को १०,००० रुपए की राशि भी दी गई है ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : यह विवरण बहुत लंबा है । हम नहीं समझ पाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में बहुत आवाज है। सभा सचिव उत्तर धीरे धीरे तथा स्पष्टतया पढें।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा :'क्षमा करें मैं पहली बार उत्तर दे रहा हूं।

उत्तर बंगाल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने के लिए निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई हैं—

जल्पागुरी—मुफ्त सहायता देने के लिए २०,००० रुपए मंजूर किए गए हैं। मुफ्त बांटने के लिए १ गांठ धोतियाँ, १ गांठ साड़ियां। २००० बच्चों के कपड़े, ९०० पौंड दूध का पाउडर, २०,००० बहु-विटामिन वाली गोलियां और ५० पौंड बिस्कुट भेज दिए हैं। ४८० मन खाद्य पदार्थ अलीपुर दुआर में विमान से डाले गए तथा ५२० मन खाद्य पदार्थ विमान से कच्छ विहार भेजे गए जो वहां से रेल चालू होने के पश्चात रेल द्वारा अलीपुर दुआर भेजे गए।

कच्छ बिहार—मुफ्त सहायता के लिए १०,००० रुपए मंजूर किए गए हैं। मुफ्त बांटने के लिए ३४० कंपड़े, २००० बच्चों के कपड़े, और ९६० पौंड दूध भेजा गया हैं। १५,००० मन खाद्य पदार्थ विमान द्वारा कच्छ बिहार को भेजे गए।

पश्चिमी दीनजपुर—मुफ्त सहायता के लिए १५,००० रुपए, और १,००,००० रुपए खेती के लिए ऋण देने ले लिए मंजूर किए गए हैं। मुफ्त बांटने के लिए १ गांठ साड़ियां। १,५०० बच्चों के कपड़े और ९६० पौंड दूध भेजा जा रहा है।

माल्दा—बाढ़ग्रस्त लोगों को घर बनाने के लिए मुफ्त पैसे देने के लिए २,२०० रुपए मंजूर किए गए हैं।

जुलाई के प्रथमार्ध में, जिसकी सूचना प्राप्य है, पश्चिमी बंगाल की कुल जनसंख्या १४८ लाख में से ११२ लाख लोगों को सरकार खाद्य पदार्थ बांटती थी। परिनियत राशनिंग के अनुसार जनसंख्या ६५ लाख थी और संपरिवर्तित राशनिंग के अनुसार ४७ लाख थी। पश्चिमी बंगाल के खाद्य मंत्री के हाल ही में दिए गए वक्तव्य के अनुसार समस्त जनसंख्या का आधे से अधिक भाग सरकारी वितरण में आ जाता है। परिनियत राशनिंग में कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र, दार्जलिंग जिला खड़गपुर और असन्सोल आते हैं। अन्यत्र संपरिवर्तित राशनिंग के अनुसार खाद्य पदार्थ बांटे जाते हैं अर्थात वहाँ खुला बाजार चलने दिया जाता है। परिनियत राशनिंग वाले क्षेत्रों में प्रति वयस्क व्यक्ति को एक सप्ताह के लिए २ सेर १० छटांक राशन दिया जाता है जिसमें १ सेर चावल होता हैं तथा शेष गेहूं/गेहूं की बनी वस्तुएं होती हैं। अन्य क्षेत्रों में २ सेर राशन दिया जाता है जिसमें ३ पाव चावल और सवा सेर गेहूं/गेहूं की वस्तुएं होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जिस ढंग से ये पढ़ रहें हैं उससे मालूम होता है कि यह दस बारह पृष्ठों का उत्तर है। उस सारे को पढने के लिए क्या सदन का समय लिया जाना चाहिये ?

श्री श्यामनन्दन सहाय : यह सभा सचिव का पहला पहला उत्तर है। पूरा कर लेने दीजिए।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मेरा सुझाव है कि उत्तर, सदन के पटल पर रख दिया जाय। वे जो पढ़ रहे हैं उसे समझना बड़ा कठिन है। मुझे नहीं मालूम मेरे सहयोगी ने इसे क्यों पढ़ा।

उपाध्यक्ष महोदय : वे उसका सारांश दे दें ।

श्री किदवई : इस उत्तर के केवल एक दो पैराग्राफ बचे हैं । दूसरे उत्तर पटल पर रख दिए जाएंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है । इसे पूरा होने दीजिए ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जिन क्षेत्रों में संपरिवर्तित राशनिंग है वहां जनसंख्या दो वर्गों में बांटी गई है । "क" और "ख" । ग्राम-क्षेत्रों में जो परिवार बिल्कुल गरीब हैं। जिनके पास कोई भूमि नहीं है तथा जो संघ-कर और चौकीदारी-कर देने से उन्मुक्त किए गए हैं वे और वे परिवार जो आठ आने तक संघ-कर और चौकीदारी-कर देते हैं, 'क' वर्ग में आते हैं । २ रुपए तक संघ-कर अथवा चौकीदारी कर देने वाले परिवार "ख" वर्ग में आते हैं । नगर क्षेत्रों में १०० रुपए माह की आय वाले परिवार 'क' श्रेणी में तथा जिन परिवारों की आय १५० रुपए के भीतर है वे 'ख' श्रेणी में रखे जाते हैं । जहां कहीं चावल का न्यूनतम मूल्य २५ रुपए से अधिक होता है वहां के सब 'क' वर्ग वाले व्यक्तियों के लिए संपरिवर्तित राशनिंग की गई है । यह लाभ 'ख' वर्ग वालों को भी दिया जाता है जहाँ चावल का न्यूनतम मूल्य ३५ रुपए से अधिक होता है । गेहूं और गेहूं की वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिए पश्चिमी बंगाल की सरकार ने चपातियां बनाने के लिए चकले और बेलन बांटे हैं । पश्चिमी बंगाल के खाद्य-मंत्री द्वारा हाल ही में दिये गये वक्तव्य से मालूम पड़ता है कि नगर से दूर क्षेत्रों में अब गेहूं और गेहूं की वस्तुओं के अधिक लोकप्रिय होने के चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहें हैं ।

१९ जुलाई की अभिनवतम प्राप्य सूचना है । इस तारीख को पश्चिमी बंगाल सरकार के पास खाद्य पदार्थों के स्टाक की स्थिति ऐसी थी —

	चावल	गेहूं
स्टाक ..	८५,२०० टन	१३४,००० टन
वर्तमान साप्ताहिक निर्गम दर	१७,००० टन	१३,८२० टन

चावल और गेहूं का वर्तमान स्टाक क्रमशः आठ और नौ सप्ताहों के लिए पर्याप्त है ।

जैसा कि पहिले ही सदन में बताया जा चुका है, बंगाल का अधिकतम अभ्यंश, १ लाख टन चावल दे देने के अतिरिक्त केन्द्र १ लाख टन चावल और देने को तैयार था जो पश्चिमी बंगाल की सरकार द्वारा लागत पर बेचा जाता, जिससे कि कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र के उपभोक्ता कम दाम वाली दुकानों से खरीद कर अपने चावल के राशन की कमी को पूरा कर लेते । पश्चिमी बंगाल की सरकार द्वारा बांटे जाने के लिए जितने गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी उसकी पूर्ति करने के लिए केन्द्र राजी है । पश्चिमी बंगाल की सरकार से चर्चा करते समय गत सप्ताह यह निश्चय किया गया था कि उड़ीसा से पश्चिमी बंगाल को और अधिक चावल भेजा जाए जिससे कि वर्तमान निर्गम-मूल्य १७ रुपए ८ आने प्रति मन कायम रखा जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है वे फुरसत से विवरण पढ़ना चाहेंगे तथा बाद में प्रश्न करेंगे ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं अभी छोटा सा अनुपूरक प्रश्न करूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को उत्तर देखने का अवसर नहीं मिला है इसलिए मैं अगला प्रश्न लूंगा ।

श्री टी० के० चौधरी : तब अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका कब मिलेगा ? आज दोपहर के पश्चात ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस बार विशेष रूप से मैं पटल पर, रखे गए उत्तरों को दोपहर के बाद परिचालित करनें का प्रबंध करूंगा । अनुपूरक प्रश्न हम कल आरम्भ करेंगे ।

पूर्वीय उत्तर प्रदेश में अन्न की स्वल्पता

पंडित ए० आर० शास्त्री : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वीय हिस्सों में विशेष रूप से गोरखपुर, वनारस और फैजावाद विभागों में अनावृष्टि हुई है ;

(ख) क्या इस अनावृष्टि का इन क्षेत्रों की अनाज की बढ़ती हुई फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या खाद्यान्नों के अभाव के कारण इन स्थानों के लोग बहुत कष्ट में हैं; और

(घ) यदि (क) (ख) और (ग) का उत्तर हां हो तो केन्द्रीय सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

सभा सचिव खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : प्रभावित क्षेत्र-विस्तार : पूर्वीय उत्तर प्रदेश में बस्ती, वनारस, गोरखपुर, द्योरिया, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़ गौंडा, बलिया, गाजीपुर और बहरच जिले आते हैं । गत २/३ सालों में लगातार सूखा पड़ने के कारण इन जिलों में खाद्य और आर्थिक स्थिति, जो सामान्यतया हीन रहती हैं, अब और भी विगड़ गई है । इन जिलों में वास्तव में स्वल्पता है । बनारस, द्योरिया और गोरखपुर जिले अत्यन्त अभाव वाले क्षेत्र हैं, परन्तु वहां दुर्भिक्ष नहीं है ।

१९५२ में वर्षा : इन जिलों में जुलाई के अंत तक सामान्य से कम वर्षा हुई २२ जुलाई १९५२ को समाप्त होने वाले सप्ताह की, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त अभिनवतम रिपोर्ट के अनुसार उस क्षेत्र में बादल थे तथा वहां छींटे पड़े । सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि मानसून आरंभ हो गई है और यदि वर्षा होती रही तो धान की खड़ी फसल को नुकसान हो सकता हैं । अभी फसल ठीक है और आशा की जाती है कि खरीफ अच्छी होगी ।

खाद्य की स्थिति : ७ जुलाई १९५२ अभिनवतम तिथि है जिसकी सूचना प्राप्य है । इस तिथि को उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाक में ५,०५,०७२ टन खाद्यान्न था जिस में ३२, ४७६ टन चावल, २९६,८०१ टन गेंहूं, और १,७५,७९५ टन दूसरे खाद्यान्न थे । पूर्वीय जिलों में यदि कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसे सम्हालने के लिए यह स्टाक पर्याप्त है और यदि अतिरिक्त खाद्यान्नों की आवश्यकता पड़ेगी तो भारत सरकार उसे पूरा कर सकती है ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वीय जिलों में १९५१ से मिताहार योजना चालू की है जिसके अनुसार १६ जून १९५२ से प्रति व्यक्ति को एक दिन के लिए ४ छटांक खाद्यान्न दिया जाता है । यह उस राशि के अतिरिक्त है जो वे खुले बाजार में खरीद सकते हैं । इस योजना में ७१·८९

लाख मनुष्य और २१,९९९ गांव आ गए हैं। मिताहार योजना के अन्तर्गत राशन बांटने के लिए कुल १६०५ दुकानें खोली गई हैं (ये आंकड़े जुलाई १९५२ संबंधी हैं)। पहली मई १९५१ से १५ जुलाई १९५२ तक इन क्षेत्रों में सरकार ने कुल २७,०१,८७० मन अनाज बांटा है। मिताहार योजना के अधीन खाद्यान्नों का उपभोग बढ़ रहा है और १५ जुलाई १९५२ को समाप्त होने वाले सप्ताह तक सरकार ने २७,०१,८७० मन खाद्यान्न बांटा। राज्य सरकार के पास उस तारीख को इन जिलों में ३,२६,००० मन अनाज स्टाक में था। और अन्न का प्रबन्ध किया जा रहा है तथा ४०,००० टन भेजने का कार्यक्रम बना लिया है और उसे तुरन्त भेजने का प्रबन्ध कर दिया है। अभाव-ग्रस्त पूर्वीय जिलों में से गोरखपुर जिले को, ग्राम क्षेत्रों में बांटने के लिए खाद्यान्नों की सबसे अधिक राशि दी गई है।

निर्गम-मूल्य : गत वर्ष के लिए अनुमोदित निर्गम मूल्यों को उत्तर प्रदेश सरकार ने कायम रखा है और वह अपने संसाधनों में से आयात किये गये खाद्यान्नों के निर्गम को न से सहायता कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो निर्गम मूल्य हैं उनका विवरण संलग्न है।

भूख से मृत्यु होने की रिपोर्ट : उत्तर प्रदेश की सरकार इन क्षेत्रों में विशेष रूप से चौकन्नी रही है और कष्ट हटाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करती है। वह दृढ़ निश्चय कर चुकी है कि भूख से एक भी मृत्यु न हो पाए। इस में उसे सफलता मिली है क्योंकि अभी तक भूख से कोई मृत्यु नहीं हुई। समाचार पत्रों में भूखमरी की अफवाहें तथा कथन निकलते रहते हैं। राज्य की सरकार ने २८ जुलाई १९५२ की प्रेस विज्ञप्ति में इन को नकारा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के १२ सदस्यों ने संयुक्त वक्तव्य दिया है जिसमें उन्होंने भूखों मरने की रिपोर्टों को झूठ और ऊट-पटांग बताया है तथा हर्ष प्रकट किया है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वीय जिले, जिनकी ब्रिटिश काल में बड़ी अवहेलना की गई थी, अब सरकार का विशेष ध्यान आकर्षित कर रहे हैं जिससे कि स्थायी उपयोगिता के काम जल्दी पूरे हो सकें और जनसाधारण में सुख-शान्ति रहे तथा भविष्य में सूखा, बाढ़ अथवा बीमारियों के कारण उत्पन्न विपत्ति कम हो जाए।

विपत्ति दूर करने के लिए की गई कार्यवाहियां : उत्तर प्रदेश के पूर्वीय जिलों के लोगों की विपत्ति, अन्नाभाव के कारण उतनी नहीं है जितनी क्रय-शक्ति की कमी के कारण है। लोगों को क्रय-शक्ति देने के लिए साहाय्य कर्म मंजूर किए गये हैं और बड़े पैमाने पर उन्हें खोला जा रहा है। जुलाई के मध्य तक जितने रुपयों की मंजूरी दी जा चुकी है उसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

	रुपए
(१) परिक्षण और साहाय्य कर्म	४१,१८,०००
(२) पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत सी० पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा मंजूर किया गया सड़क-निर्माण	४०,०४,०००
(३) दुर्भिक्ष साहाय्य कर्मों को सड़कें बनाने के लिए अनुदान (ये पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है)	३,८०,०००
(४) बस्ती जिले में बैनगंगा नहर योजना के लिए दिया गया अग्रिम	४,००,०००

(५) सड़कों के किनारे बृक्ष लगाने तथा पौध-घर के लिये . . . रुपये १,३५,०००

(६) भूमि-सुधार और कृषि-उधार अधिनियम के अंतर्गत, तथा बीज, पशु आदि खरीदने के लिए तकाबी . . ८८,००,०००

(७) मुफ्त सहायता देने आदि का व्यय . . १,३१,०००

(८) पीने के पानी पर व्यय . १०,०००

१ अप्रैल १९५१ से १५ जून १९५२ तक दुर्भिक्ष में सहायता करने के लिए कुल ४७,४७,१०० रुपये खर्च किये जा चुके हैं। सरकार ने ८·८६ लाख रुपये जमा तथा २८·६४ लाख रुपए लगान की छूट दी है। १ अप्रैल १९५२ और १५ जून १९५२ के बीच बीज और बैल खरीदने के लिए ३४·८७ लाख रुपये तकावी के रूप में बांटने के लिए मंजूर किये हैं। जहां आवश्यक था वहां पर तकावी की किश्तों की वसूली और बीज-भंडार से दिये गए बीज की उगाही रोक दी गई है। खरीफ़ और रबी की पिछली बोनी के लिए १·८९ लाख मन बीज बांटे गए थे। अगली खरीफ़ के लिए २·५ लाख मन धान बोने के लिए देने का सरकार ने कार्यक्रम बनाया है।

स्थायी रूप से सिंचाई की सुविधाओं का सुधार करने की दृष्टि से तराई का परिमाप यह जानने के लिए किया गया है कि कहां कहां जलाशय, नहरें और नालिएं बनाई जा सकती हैं। जब ये बन जाएंगी तब पर्याप्त मात्रा में स्थाई रूप से सिंचाई की सुविधायें मिलने लगेंगी। कुएं खोदने के लिए एक विशेष योजना बनाई गई है जिसके अंतर्गत ६००० कुएं खोदे जा रहे हैं जिससे कि सस्ते में सिंचाई की सुविधाएं सुलभ हो जाएं। बस्ती जिले में बैनगंगा नहर बनाने की योजना मंजूर हो गई है। इस की लागत २४ लाख रुपए होगी तथा प्रतिवर्ष इस से लगभग २२,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

लोगों को सरकारी श्रोतों से खाद्यान्न प्राप्त करने में अधिक सुविधा हो इस के लिए सरकारी दुकानें खोलने का प्रबन्ध किया गया है जैसे कि मिर्जापुर जिले में। मिर्जापुर और गोरखपुर जिलों में, जहां परिवहन कठिन और महंगा है, गोदाम खोले गए हैं। मिताहार योजना के अंतर्गत १६ जून १९५२ से राशन ३ छटांक से बढ़ाकर प्रति व्यक्ति प्रति दिन ४ छटांक कर दिया है। मिर्जापुर जिले के दुधी सिंगरौली और अगोरी क्षेत्रों में और मिर्जापुर जिले की दुधी और राबर्टगंज तहसीलों के पास के बनारस जिले के क्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति को प्रति दिन के लिये राशन ३ छटांक से बढ़ा कर ५ छटांक कर दिया है।

चारे की स्थिति : जहां चारे की स्थिति खराब है उन जिलों में जंगल का कटा हुआ घास पहुंचाने का प्रबंध उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। पशुओं के लिए सरकारी जंगल खोल दिए गए हैं। मिर्जापुर जिले के दुधी और सिंगरौली क्षेत्रों से बिहार और मध्यप्रदेश राज्यों को पशु तो गए हैं पर पीड़ित जिलों में और कहीं से पशुओं के प्रवजन की खबर नहीं है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता : (क) खाद्यान्न—१९५२ के लिए उत्तर-प्रदेश सरकार का खाद्यान्न का आयात अभ्यंश २,१८,००० टन है। यह राशि पहिले ही दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त १५,००० टन बाजरा, जिसे वह आधार योजना के अंतर्गत निर्यात करने के लिए तैयार था, उसी के पास आन्तरिक

उपभोग के लिए रहने दिया है। यदि पीड़ित क्षेत्रों में बांटने के लिए उन्हें और गेहूं अथवा अन्य मोटे अनाज की जरूरत पड़ेगी तो केन्द्रीय सरकार बिना किसी कठिनाई के, वांछित राशि उत्तर प्रदेश को दे सकेगी।

(ख) **अधिक अन्न उपजाओ योजनाएं :** भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के लघु सिंचाई कर्मों के लिए १९५१–५२ और १९५२–५३ के लिए निम्नलिखित अनुदान और उधार की मंजूरी दी है :—

	अनुदान	उधार
	रुपए	रुपए
१९५१-५२	४२,४०,५००	२,१६,६९,०००
१९५२-५३ इस समय तक	नहीं	१,१९,६०,०००

इसमें २४ लाख रुपये का वह अनुदान भी मिला है जो १९५२-५३ में ६००० कुएं खोदने के व्यय के लिए भारत सरकार अपने हिस्से के रूप में देती है। यह उस प्रबंध के अंतर्गत है जिसमें काश्तकार लागत के एक तिहाई भाग को श्रम के रूप में देगा तथा बाकी दो तिहाई व्यय राज्य और केन्द्रीय सरकारें बराबर अनुपात में सहेंगीं। इसमें उधार दिए गए ७४ लाख रुपए और उत्तर प्रदेश के पूर्वीय जिलों के लिए बनाई गई निम्नलिखित दो योजनाओं के लिए अनुदान के रूप में दिए गए १६·७७ लाख रुपए भी सम्मिलित हैं।

(१) शारदा नहर का १०६२ मील विस्तार।

(२) गोरखपुर के लिए १०० नलकूप। टी० सी० ए० कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश में ९९५ नलकूप और बनाए जाएंगे जिनमें से ६५५ नलकूप पूर्वीय जिलों में बनाए जाएंगे।

स्वल्पता वाले क्षेत्रों में ३००० कुएं खुदवाने की योजना को, जिसमें ११·८५ लाख रुपए के ऋण और ५·९२ लाख रुपए अनुदान की आवश्यकता पड़ेगी। राज्य की सरकार ने १९५२-५३ के अधिक अन्न उपजाओ योजना का अंग बनाकर आगे भेज दी है और वह अभी भी विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वीय जिलों में सिंचाई की सुविधाओं का सुधार करने की आवश्यकता पर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्री में पत्रव्यवहार हुआ था। फलस्वरूप राज्य सरकार ने ४ करोड़ रुपए की सहायता करने की प्रार्थना की है। प्रस्ताव विचाराधीन है।

विवरण

जून १९५२ की खाद्यान्नों की थोक निर्गम दरें

वस्तुएं	प्रति मन थोक निर्गम दर
	रु० आ० पा०
गेहूं	१५-५ -९
आटा १	१७-१ -०
आटा २	११-९ -५
मैदा (स्थानीय उत्पादित)	३०-११-६
सूजी	३०-११-६
चावल अरवा १	३८-६ -५
चावल सेला १	३४-२ -२
चावल अरवा २	२७-१४-१०
चावल सेला २	२५-९ -७
चावल अरवा ३	२३-१०-१
चावल सेला ३	२१-१५-१
चावल अरवा ४	१९-३ -२
चावल सेला ४	१८-१ -१

वस्तुएं	प्रतिमन थोक निर्गम दर
	रु०आ०पा०
चावल ५	१५-५-९
चावल ६	१२-१२-१०
चना	१२-१२-१०
जुआर और मकई	१०-३-१०
मिलो	१०-३-१०
जवा	९-९-७
बाजरा	१०-१५-६
गोजई	१२-४-८
बेझर (चना और जवा)	१०-३-१०
बेझर २ (जवा और मटर)	९-५-०
गोचना	१३-१-८
चने की दाल	१४-१५-९

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): श्रीमान में दो शब्द कहना चाहता हूं।

लंबे से लंबे प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दिया जा सकता है तथा तथ्य और आंकड़े अलग से दिए जा सकते हैं। उत्तर में तथ्य और आंकड़े मिला देने से संक्षिप्त और लंबे, दोनों उत्तरों को समझने में कठिनाई होती है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वे प्रश्नों के उत्तर, इस प्रकार तैयार करें। लंबे उत्तर का अर्थ यह हुआ कि उत्तर देने वाला समझ नहीं पाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दामोदर ने अल्प-सूचना प्रश्न किया है। वह पांच खण्डों का है यह भी टाईप किया जायगा तथा सदस्यों को भेजा जायगा। मैं मान लेता हूं कि यह प्रश्न पढ़ा गया है और विवरण पटल पर रखा गया है। क्या सभा सचिव ने विवरण सदन के पटल पर रख दिया हैं?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : वह प्रश्न अस्वीकार कर दिया गया है।

श्री दामोदर मेनन : सभा सचिव कहते हैं कि वह अस्वीकार कर दिया गया है। मुझे संसदीय सूचना कार्यालय से सूचना मिली है कि वह स्वीकार कर लिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में एक ही विषय पर २ प्रश्न हैं। यदि एक ही विषय पर २ प्रश्न हैं तो पहले रखा गया प्रश्न स्वीकार किया गया है। जिस माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न रखा है उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति है वे अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

करारोपण जांच आयोग

श्री एस० एन० दास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने क्या करारोपण जांच आयोग के निर्देश के पदों और सदस्यों का अंतिम निश्चय कर लिया है ;

(ख) क्या आयोग का गठन चालू सत्र के समाप्त होने के पहिलें हो जाएगा, और

(ग) क्या निर्देश के पदों के विषय में विभिन्न राज्यों की सरकारों अथवा प्रमुख अशासकीय संगठनों से राय ली गई है?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) से (ग) तक। करारोपण जांच समिति के निर्देशपदों, तथा सदस्यों के बारे में निश्चय करने में कुछ समय लगेगा क्योंकि वित्त-योग के प्रतिवेदन के लिए ठहरना पड़ेगा। आशा की जाती है कि वह नवम्बर के अन्त तक आ जाएगा। समिति के लिए प्रारम्भिक जांच करने तथा सामग्री इकट्ठी करने के लिए सरकार ने पहिले से ही एक विशेष कार्य-अधिकारी नियुक्त कर दिया है। वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में, जो अगले अक्टबर को होने वाला है,

समिति की व्याप्ति के विषय में राज्यों की सरकारों से राय ली जायगी। आशा की जाती है कि चालू वैत्तिक वर्ष के समाप्त होने के पहिले समिति नियुक्त की जाएगी।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि वित्तायोग में अभी जो सदस्य हैं क्या उनके इस समिति पर लिये जाने की संभावना है ?

श्री त्यागी : इतनी जल्दी यह नहीं कहा जा सकता। हमने इस समिति के सदस्यों के विषय में अभी नहीं सोचा है।

श्री बी० आर० भगत : श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि नियुक्त किए गए विशेष-कार्य अधिकारी द्वारा की गई आरंभिक जांच का स्वरूप और क्षेत्र क्या है ?

श्री त्यागी : जैसा कि मैं पहिले कह चुका हूं वह विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए गए करों से संबंध रखने वाली सामग्री इकट्ठी करेगा। प्रस्तावों की प्रतिक्रिया राज्य-सरकारों पर क्या हुई इस विषय में उनसे मंत्रणा लेगा और जांच के निर्देश पदों को बनाएगा, इत्यादि।

श्री के० के० बसु : ऐसी जांच समिति में श्रमिकों के वास्तविक प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने के लिए क्या सरकार विचार कर रही है ?

श्री त्यागी: जैसा कि मैं पहिले ही कह चुका हूं सदस्यों के चुनाव पर अभी सरकार ने विचार नहीं किया है। इस समिति में वित्त-विशेषज्ञ होंगे। इसमें समिति यह नहीं करेगी कि एक विभाग का राजस्व दूसरे विभाग को दे दे। इसमें तो देश की समस्त कर-पद्धति की जांच की जाएगी। अतः मेरे विचार में विभिन्न हितों के आधार पर जैसे श्रम के आधार पर चुनाव नहीं किया जायगा।

श्री ए० सी० गुहा : क्या समिति में विभिन्न आर्थिक हितों को स्थान देने का सरकार का विचार है ?

श्री त्यागी : जैसा मैंने कहा, उसमें विशेषज्ञ होंगे जो कुछ परिणाम निकालेंगे। यह समिति समस्त कर-पद्धति की जांच करेगी अतः समाज के विभिन्न भाग वहीं तक आते हैं जहां तक उनके करापात की जांच से संबंध है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वेंकटारमन्।

श्री वेंकटारमन् : मजाक का अवसर चला ही गया। मैं प्रश्न नहीं पूछना चाहता।

श्री टी० के० चौधरी : श्रमिक-संघ और श्रमिक-निकायों द्वारा नामनिर्देशित वित्त-विशेषज्ञों को इस समिति के लिए नियुक्त करने पर क्या सरकार विचार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सुझाव है। इसके अनुसार कार्य किया जा सकता है।

अगला प्रश्न श्री गुरुपादस्वामी।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा।

बृहस्पतिवार,
७ अगस्त, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पहला सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बृहस्पति, ७ अगस्त १९५२

सदन की बैठक ९ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-२२ म० पू०

काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री औपचारिक रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"That the statement made by the Prime Minister on the 24th July 1952 in regard to Jammu and Kashmir State, be taken into consideration."

"जम्मू तथा काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में २४ जुलाई, १९५२ को प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर विचार किया जाय ।"

सदन को स्मरण होगा कि कुछ दिन पहले मैं ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में यहां सदन में एक लम्बा वक्तव्य दिया था । मैं उन्हीं बातों को दोहरा कर सदन को उकताना नहीं चाहता, किन्तु उस समस्या के सम्बन्ध में कई एक बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं और उन का महत्व समझाना चाहता हूं ।

विगत पांच वर्षों से यह समस्या हमें अपनी पकड़ में रखती रही है और भारत सरकार को इस के कारण एक भारी बोझ उठाना पड़ रहा है । इस का बोझ इस लिये बहुत भारी रहा क्यों कि यह समस्या बहुत ही पेचीदा थी और हमारे 'हां' या 'नहीं' से सुलझ नहीं सकती थी । इस में अन्य बातें भी शामिल थीं । इस संसार में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम स्वेच्छा से ही घटित होना देखना चाहते हैं, किन्तु हम अपनी इच्छा से उन सांसारिक घटनाओं का रूप बदल नहीं सकते । सदन को विदित है कि हम संसार के एक दुखान्त नाटक की भूमिका के समक्ष दर्शक बन कर खड़े हैं—हां, 'हम' से मेरा अभिप्राय संसार के सभी जीवों से है सदन के सदस्यों से ही नहीं—और इस प्रयत्न में हैं कि वह भूमिका जो दुर्घटना के रूप में बदलने वाली है, किसी तरह टल जाये और संसार में शान्ति की स्थापना हो । किन्तु कोई भी व्यक्ति इन घटनाओं को काबू में नहीं रख सकता । मनुष्य इन घटनाओं को कोई रूप देना चाहता है, उन में कुछ परिवर्तन करना चाहता है, उन को थोड़ा सा बलदना चाहता है किन्तु भावना

[श्री जवाहरलाल नेहरु]

और द्वेष की विभिन्न शक्तियों के संघर्ष का क्या परिणाम होगा, यह कोई भी नहीं जान सकता । संसार के इसी चित्रपट पर हम पांच वर्ष से अधिक समय तक काम करते रहे हैं । और अब आप जम्मू तथा काश्मीर राज्य, और उस के साथ सारे भारत का दुर्भाग्य समझ लीजिये कि इस राज्य की समस्या, चाहे कितनी ही छोटी हो, संसार के भारी चित्रपट का एक अंग बन चुकी है । यही कारण है कि हमारे रास्ते की कठिनाइयां बहुत ही अधिक परिमाण में बढ़ती चली गई हैं । अब यह समस्या हमारी ही समस्या न रह कर एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है । किसी भी स्थिति में, यह समस्या अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन जाती यदि भारत के अतिरिक्त और कोई राष्ट्र इस में शामिल हो जाता और चूंकि ऐसी बात हो भी चुकी है, अतः यह अन्तर्राष्ट्रीय समस्या का रूप ले चुकी है । और चूंकि बहुत से अन्य देशों ने इस समस्या में दिलचस्पी ली और परामर्श दिया, इस से यह और भी अधिक परिमाण में अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन गई ।

अस्तु, हम ने सदा ही अपने कर्त्तव्यों और दायित्वों को दृष्टि में रखते हुये इस समस्या के अनुसार कार्यवाही की है । और वे कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व क्या थे ? सर्वप्रथम : भारत राज्य को किसी भी प्रकार के आक्रमण से बचाया जाय और इस की रक्षा की जाये । हमारे राज्य का प्रमुख उत्तरदायित्व यही है । दूसरा यह कि हम उस प्रतिज्ञा को पालें जो हम ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य के साथ की थी । चुनांचि वह प्रतिज्ञा अपने में दोहरी थी । उस का एक पक्ष यह था कि काश्मीर के लोगों को आक्रान्ताओं के लूट-मार, आग, अत्याचार और भयंकर आक्रमण से बचाया जाये, और उस प्रतिज्ञा का जो दूसरा पक्ष था, वह यह था कि अन्ततः वे ही स्वयं अपने भविष्य का निर्णय कर लें । ये ही थे हमारे दो कर्तव्य । तीसरी बात यह थी कि हमने संयुक्त राष्ट्र संघ को कई बातों का निश्चय दिलाया था, और हमें उन का पालन करना था । और चौथी बात यह थी हमें शान्तिपूर्ण वातावरण स्थापित करने के लिये काम करना था । हम ने किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र के साथ इन बातों की प्रतिज्ञा नहीं की थी किन्तु हम ने आरम्भ से ही इसी नीति का अनुसरण करने का प्रयत्न किया क्यों कि परिस्थिति को देख कर ही हमें शान्ति के आदर्शों को बनाये रखने के लिये इस प्रकार की नीति का अनुसरण करना चाहिये । और इन सब बातों के अतिरिक्त भी इस प्रकार का व्यवहार बहुत ही आवश्यक था क्योंकि इस संसार में, जैसा मैं सदन से उल्लेख भी कर चुका हूं, हम मानों एक ढ़ालू चट्टान के किनारे खड़े हैं, और हमें बहुत सावधानी से कदम बढ़ा देना है, ताकि कहीं ऐसा न हो कि सारा संसार इस चट्टान पर से नीचे लुढ़क कर चूर चूर हो जाये ।

इन्हीं चार बड़ी बड़ी बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ा और कभी कभी इन का संतुलन रखना बहुत ही कठिन हो जाता था । कभी कभी ऐसा लगता था कि ये चारों बातें चार भिन्न दिशाओं की ओर हमें खींचे लिये जा रही हैं । कितना ही सुन्दर काम होता यदि ये चारों बातें हमें एक ही दिशा में और एक ही निष्कर्ष पर पहुंचातीं । किन्तु जब इस प्रकार के विचार भिन्नदिशोन्मुखी हों तो हम अपने कर्तव्यों और दायित्वों के पालन के लिये एक ही दिशा में नहीं जा सकते बल्कि हमारे प्रयत्न बिखर जाते हैं । इस के बाद कठिनाइयां पेश होने लग जाती हैं । अस्तु हम ने इन कठिनाइयों का सामना किया है, और कभी कभी हमें इस बात का निश्चय करने में कि क्या किया जाना चाहिये और क्या नहीं किया जाना चाहिये बहुत सी कठिनाइयों का

सामना करना पड़ा है। अतः मैं यही चाहूंगा कि सदन इस स्थिति में इन अति महत्वपूर्ण आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं और कारणों का सन्तुलन करते हुए इस समस्या पर विचार करे।

इन विगत वर्षों में मैंने बार बार सदन के समक्ष स्थिति को प्रस्तुत किया और सदन का समर्थन प्राप्त किया, चुनांचि सदन के समर्थन से ही हम इस नीति का अनुसरण कर सके हैं। मेरा विश्वास है कि कम से कम काश्मीर के सम्बन्ध में हम ने जो नीति अपनाई उसे इस देश के लोगों ने स्वीकार किया है। और लोगों की वह स्वीकृति हमें समय समय पर इस सदन ने या इस से पहले के सदन ने दे दी। हमें इस देश के असंख्य लोगों, मित्रों और समालोचकों से परामर्श प्राप्त हुए हैं और सदा ही उन का स्वागत किया है यद्यपि उन में से कई एक हमें ठीक नहीं जचे। अन्य देशों के असंख्य लोगों ने भी हमारे पास परामर्श भेज दिये हैं। और उन के परामर्श यदि सौहार्दपूर्ण हों, तो हम उन का स्वागत करते हैं। हां, यदि सौहार्दहीन अथवा त्रास देने वाले व्यक्ति हमें इस प्रकार के परामर्श दें तो हम उन का स्वागत नसीं करते। तो हम इस तरह विदेशों के मैत्रीपूर्ण सुझावों का स्वागत करते हैं, और त्रास देने वाले व्यक्तियों के परामर्श को रद्द कर देते हैं— यही हमारी नीति रही है। आज से चार वर्ष और आठ मास पूर्व हमने यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष इस विश्वास से प्रस्तुत किया कि इस प्रकार हम शान्ति के आन्दोलन की सहायता कर सकें और शान्तिपूर्ण वातावरण में काश्मीर की समस्या को आपसी समझौते से सुलझा सकें, किन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ और उन की विभिन्न संस्थाओं के अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी अभी हम इस समस्या को सुलझा नहीं सके हैं। मैं किसी को अपराधी नहीं ठहराना चाहता और मैं इस समय, निश्चय ही वही बात दोहराऊंगा जो मैं ने पिछली बार डा० फ्रैंक ग्राहम की प्रशंसा में इस सदन में बताई थी जिन्होंने कि शान्तिपूर्ण ढंग से इस मामले को निपटाने के लिये बहुत अधिक शान्ति और धैर्य से काम लिया है, और जहां तक हमारा प्रश्न है हम अन्त तक डा० ग्राहम की सहायता करते रहेंगे क्योंकि उन्होंने शान्तिपूर्ण ढंग से निपटारा करने का निश्चय किया है, और इस के लिये धैर्यपूर्ण प्रयत्न किये भी जाने चाहियें, हम भले ही इस रास्ते पर चलते चलते थक गये हों, फिर भी हम शान्तिपूर्ण व्यवस्था के लिये प्रयत्न करते रहेंगे। कदाचित्, हमारे देश में इस समस्या से हमारे कई सहयोगियों को थकावट हुई है: मैं उन की थकावट का अनुभव भी कर सकता हूं, किन्तु यह तो निश्चित है कि उन की थकावट इतनी अधिक नहीं जितनी हम लोगों की है जिन्हें दिन प्रति दिन सप्ताह प्रति सप्ताह और मास प्रति मास इस का बोझ उठाना पड़ा है। भले ही भूल से हमें कभी कभी यह थकावट महसूस हो रही हो किन्तु हमें कभी भी जल्दी या भावावेश में कोई काम नहीं करना चाहिये क्योंकि बिगड़ कर या उकता कर जो कोई भी कार्य होता है वह एक व्यक्ति को हानि पहुंचाता है और अन्ततः एक राष्ट्र के लिये बहुत ही हानिकारक बन जाता है। यही कारण है कि हम ने अपने आप को काबू में रखा, और जब भी पाकिस्तानी सीमा के उस पार से हमें युद्ध की चुनौती और धमकी भरा शोर-गुल सुनने को मिला हमने अपने आप पर बहुत ही काबू किया है। हम सभी नियंत्रण में रहे, और मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि मोटे तौर पर हमारे देशवासियों और हमारे समाचार पत्रों ने अपने आप को काबू में रखा। तो हम इस तरह काम में आगे बढ़ते गये और मैं उन व्यक्तियों की बातों को समझता हूं और उन से सहानुभूति रखता हूं जिन्होंने कभी कभी यह अनुभव किया कि हमें कुछ इस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिये जो न्यूनाधिक रूप में प्रतिबन्धित हो। मेरा तब

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

भी यही विश्वास था और आज कल भी यही विश्वास और निश्चय है—जो आप में से कोई भी व्यक्ति समझ सकता है—कि यदि हमने और किसी प्रकार से काम की नीति चलाई होती तो वह कितनी ही गलत सिद्ध होती । मैं इधर उधर की छोटी छोटी बातों का जिक्र नहीं कर रहा । बल्कि इस नीति के विशाल रुझाव के सम्बन्ध में बता रहा हूं जिस का हम ने अनुसरण किया । पहले की तरह अब भी हमें इन चार कर्त्तव्यों का ध्यान में रखना है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष काश्मीर समस्या को प्रस्तुत करते समय भी हम ने यही क्रम रखा है । हमारे कई मित्रों ने हमें यह सुझाव दिया है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ से यह मामला वापस ले लें । मुझे इस सम्बन्ध कोई भी निश्चय नहीं कि क्या उन्होंने इस विषय का अध्ययन किया है अथवा कभी इस बात पर सोचा भी है कि इस या अन्य किसी मामले को वहां से किस तरह वापिस लिया जा सकता है जबकि स्वयं अन्तर्ग्रस्त दल इस मामले को वहां से वापिस नहीं लेना चाहता हो, और यह भी हमें मालूम नहीं कि क्या वह दल इस मामले को वापिस भी लेना चाहता है या नहीं । संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस विषय पर तभी विचार करना आरम्भ किया जब हम ने उन से कहा । ठीक है, किन्तु यदि हम राष्ट्र संघ के समक्ष यह मामला नहीं ले जाते तब और कोई राष्ट्र ने इसे उन के समक्ष प्रस्तुत किया होता, और बात भी ऐसी है कि कोई भी दल इस मामले को उनके समक्ष ले जा सकता है । इस लिये यह मामला अभी उन के विचाराधीन है । और यदि हम ने यह कहा होता कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ से इसे वापिस ले रहे हैं तो उस से हमारी अशान्ति और धैर्य्यहीनता दीख पड़ती, और इस प्रकार का कोई भी लाभ नहीं होता जैसा कि लोग इस के सम्बन्ध में सोच रहे हैं । अतः एव इस मामले को वापिस ले आने का प्रश्न पैदा नहीं होता, हां, तब ही ऐसा हो सकता है यदि यह सदन यह इच्छा प्रकट करे कि हम भारत सरकार के मंत्री तथा भारतीय संघ संयुक्त राष्ट्र संघ से मामला वापिस ले रहे हैं, और इस के सभी परिणाम भुगतने को तैयार हैं । मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी बात है जो न तो सदन चाहता है और न मैं ही चाहता हूं ।

मैंने कभी कभी विनम्रतापूर्वक राष्ट्र संघ की नई प्रगतियों की समीक्षा करने का साहस भी किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उन की प्रगति उनके संधि-पत्र अथवा घोषणापत्र तथा विगत इतिहास और कार्यप्रवृत्ति के अनुकूल नहीं है । इन सब बातों के बावजूद भी मेरा यही विश्वास रहा है कि इतनी सारी त्रुटियां इतने सारे भ्रष्टाचार जिन्हें कि मैं ठीक नहीं समझता होते हुए भी आज के संसार की बनावट में संयुक्त राष्ट्र संघ ही एक बुनियादी संस्था है और जिस की अनुपस्थिति में सारे संसार में एक दुखान्त नाटक की रचना हो जाती । अतएव, मैं नहीं चाहता कि हमारे इस देश में कोई भी ऐसी बात हो जिस से किसी भी विश्व संस्था के क्रमिक विकास पर कोई बुरा प्रभाव पड़े । हो सकता है कि हम में से बहुत सारे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में ही वास्तविक विश्व संस्था के दर्शन न हों, किन्तु जब तक उस प्रकार की आदर्श विश्व संस्था को जन्म न मिले तब तक हम संसार के सम्बन्ध में कोई भी आशा प्रगट नहीं कर सकते क्योंकि अन्यथा बहुत बड़े पैमाने पर विश्व का संघर्ष होगा । अतः एव, सदन से मेरा यह निवेदन है कि वह एक गलत कदम होगा कि ऐसा कोई भी काम कर लिया जाये जिस से किसी ऐसी विश्व संस्था की नींव कमज़ोर हो जाये, यद्यपि हम उस की नीति

से सहमत न हों, और उस की समीक्षा करते हों, जैसा हम कर भी चुके हैं। ये ही और कुछ अन्य कारण हैं जिन से मैं यह समझ नहीं पाता कि लोग संयुक्त राष्ट्र संघ से काश्मीर के मामले को क्यों वापिस लेना चाहते हैं, और क्यों इतना शोर कर रहे हैं। यह ऐसी बात नहीं है कि किसी मामले को अमुक न्यायालय से उठा कर और किसी न्यायालय में पहुंचाया जा रहा है। किसी न्यायालय के नाते राष्ट्र संघ के समक्ष यह मामला प्रस्तुत नहीं किया गया, अपितु हमने विश्व के राष्ट्रों के समक्ष यह मामला रखा, भले ही वे राष्ट्र संयुक्त अथवा असंयुक्त हों, और भले ही उन की संस्था एक न्यायालय के रूप में हो अथवा नहीं हो। काश्मीर की समस्या एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। यह मामला लाखों व्यक्तियों के मस्तिष्क में घूम रहा है। बताइये कि आप कानूनी वापसी अथवा किसी अन्य तरीके से किस तरह इस मामले को लाखों लोगों के मस्तिष्क से बाहर निकाल सकते हैं? तो वापसी का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। हमें सारे विश्व का सामना करना है; अपने देशवासियों, यथार्थों और तथ्यों का सामना करना है और उन को सुलझाना है।

और भी सुनिये: कई मित्रों की यह कल्पना है कि शस्त्र-बल के प्रयोग से ही इस समस्या को आसानी से सुलझाया जा सकता है—वे कहते हैं कि हम अपनी सेनायें भेज दें। मेरा यह निवेदन है कि संसार के किसी भी मामले को—चाहे वह काश्मीर का हो या और किसी राष्ट्र का—इस तरह से नहीं सुलझाया जा सकता: मैं जितनी देर और जीवित रहूं, और जितना भी अनुभव प्राप्त करूं उतना ही मुझे इस बात का विश्वास बढ़ जायेगा कि युद्ध से किसी भी समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता। मुझे अपने इस दुर्भाग्य पर भी बड़ा दुःख हो रहा है कि हमें वायु जल तथा भूमि की सेनाओं के सम्भरण और शस्त्रास्त्र के क्रम पर धन व्यय करना पड़ रहा है, और ऐसा करना भी आवश्यक है क्योंकि आधुनिक रचना के इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को पहले से ही सावधान रहना पड़ता है। प्रत्येक उत्तरदायी व्यक्ति को इन बातों में सावधान रहना चाहिये, और यदि हम भी इन बातों में सावधान रहें, तो हमें पर्याप्त रूप से सावधान रहना पड़ेगा और एक अच्छी भू-सेना, जल-सेना और वायु-सेना को रखना पड़ेगा। यह एक तथ्य है। किन्तु मैं इस विचार को कतई पसन्द नहीं करता कि हम अपने जवानों को युद्ध करायें या युद्ध लड़वायें। हां तभी उन्हें युद्ध लड़ना पड़ेगा जब परिस्थितियों से हम मजबूर हो जायेंगे जैसा कि अक्तूबर, १९४७ की शाम को मैं मजबूर हुआ था जब बहुत सोच-विचार तथा परामर्श करने के बाद—आज्ञा हो तो यह भी बता दूं कि राष्ट्रपिता गांधी से नम्रतापूर्वक परामर्श करने के बाद ही—मैं इस प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचा था।

तो हम ने इसी प्रकार काम चलाया। यद्यपि हमारे मित्र भारत राज्य की रक्षा का ज़िक्र करते हुए यह बताने लगें: भारत राज्य के एक भाग पर आक्रमण हुआ है: इस पर शत्रु ने अपना अधिकार जमा रखा है; और अब आप ने इस के बारे में क्या सोच रखा है? क्या आप ने भारत राज्य की रक्षा की? आप इस रक्षा कार्य में असफल रहे हैं। उन मित्रों का यह तर्क बिल्कुल उचित है, और यह समीक्षा भी ठीक है: हमारा यह कर्तव्य था, और अब भी यही कर्तव्य है कि हम भारत राज्य के किसी भी भाग से शत्रुओं को बाहर ढ़केल कर भारत के उस अंग की रक्षा करें। इन ही बातों में भिन्न कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के बीच एक प्रकार का संघर्ष पैदा हो जाता है। सदन को मालूम है कि हम ने बिल्कुल शुरू में यह निश्चय किया था कि हम इस प्रकार की मतगणना से सहमत हैं जिस में जम्मू व काश्मीर राज्य के सभी व्यक्ति भाग लेंगे। और यह कुछ

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

विचित्र सी बात थी कि इस प्रकार के निश्चय के बाद कि इस युद्ध को जारी किया जाना चाहिये था, क्योंकि प्रारम्भ से ही—यानी १९४७ के अक्तूबर के अन्तिम सप्ताह से १९४८ के दिसम्बर के अंतिम सप्ताह तक—लग भग १४–१५ महीनों तक युद्ध होता रहा : युद्ध के जारी रहने के कारण १९४८ के अन्तिम दिनों या १९४९ के प्रारम्भ में हमें ही इस बात का निश्चय करना था कि क्या हम किसी भी कीमत पर बिल्कुल अंत तक युद्ध जारी रखें और अथवा खोया हुआ राज्य-भाग वापिस लें चाहे हमें कितना भी समय लग जाये या सभी सैनिक कार्य रोक लें, और किसी अन्य शान्ति ढ़ग से काम लें । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि विशेष परिस्थितियों में पड़ कर हम ने यह ठीक निश्चय किया कि हम सभी प्रकार के सैनिक कार्य रोक कर अन्य तरीकों से काम लें । किन्तु उन अन्य तरीकों से अभी हमारी समस्या सुलझ नहीं सकी है । इन सब बातों के बावजूद भी मैं यह कहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों से जम्मू तथा काश्मीर राज्य की जैसी भयावह स्थिति को भभक उठने से रोक लेना भी अपने में कोई कम सफलता नहीं है । संसार के अन्य देशों और राष्ट्रों में भी बवण्डर उठे, और उन्हों ने जितना ही उन को दबाने का प्रयत्न किया उतना ही वह और भी भड़क उठे, और यह भी देखिये कि ऐसी स्थिति में यदि आप युद्ध की ठानना चाहें तो इस स्थिति से बच निकलना कितना ही कठिन होगा । मैं नम्रतापूर्वक आप से यह निवेदन करूं कि हम ने साहस और बुद्धिमत्ता से अपने आप को समय से बिल्कुल पहले ही जब कि बाद में हमें शान्ति, धैर्य्य तथा बुद्धिमत्ता से सोचने का समय नहीं मिलता, उस अन्तहीन युद्ध की दल दल से बाहर निकाला । रहा यह कि उस का क्या परिणाम रहा : सत्य यह है कि परिणाम निकल चुका है क्योंकि विगत लग भग ३/२ वर्षों से हम कोई भी युद्ध नहीं लड़ रहे हैं । भले ही यह बात पूरी तरह से हमारी आशाओं के अनुकूल न हो किन्तु मैं समझता हूं कि यह कोई बुरा परिणाम नहीं रहा है ।

इस के पश्चात् हम ने यह घोषणा की कि काश्मीर के सम्बन्ध में और अग्रेतर आक्रमण —मैं इसीलिये अग्रेतर कह रहा हूं कि आक्रमण की चुनौती जारी रही थी—अथवा सैनिक कार्य, यदि उस ओर के लोगों ने ऐसा कदम उठाया होता, से न केवल काश्मीर में अपितु अन्य जगहों में युद्ध छिड़ जाता । स्पष्ट है कि इस बात के सम्बन्ध में भी हम ने बहुत ही गंभीर विचार विमर्श के बाद निश्चय किया । अपनी बातों के परिणाम को पूरी तरह से जानते हुए और उन का संतुलन करते हुए हमारा निष्कर्ष बहुत ही गम्भीर था—और हम ने जो कुछ भी कहा वह तथ्य था, उस में आतंक या खतरे की कोई भी बात नहीं थी । चुनांचि हम ने उस समय यही कहा कि काश्मीर पर कोई भी आक्रमण नहीं हो सकता, और यदि होगा भी तो वह भारत पर आक्रमण समझा जायेगा । मैं समझता हूं कि हम ने स्थिति का स्पष्टीकरण किया, और काश्मीर में फिर से अक्तूबर, १९४७ के दंगों को दोहराने की संभावना समाप्त की । तो इस प्रकार की स्थिति रही है ।

तो अब, इन सब घटनाओं से हमें दो तीन बातें निष्कर्ष के रूप में मिल जाती हैं । पहली बात यह है कि सदन के किये गये निश्चय के अनुसार हम संयुक्त राष्ट्र संघ में उन के साथ यथापूर्व नीति बरत लेंगे । संयुक्त राष्ट्र संघ में हम ने जो कोई भी कदम उठाया वह शान्तिपूर्ण व्यवस्था के लिये ही उठाया । हम भविष्य में भी शान्ति स्थापित करने के लिये पूरे प्रयत्न करते रहेंगे, और अपने कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों को बराबर पालते रहेंगे । सारी स्थिति आप के सामने है : और हमारी यही

नीति है कि हम काश्मीर वासियों अथवा सारे भारत के साथ की गई प्रतिज्ञाओं का पूरा पूरा सम्मान करेंगे; और इस दिशा में इसी तरह कदम बढ़ाते रहेंगे ।

सदन को ज्ञात है कि हम ने भारत आये हुए संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग के कई संकल्पों को स्वीकृत किया। हम चूंकि एक शान्तिपूर्ण निपटारा चाहते थे, और इस बात के इच्छुक थे कि कोई निर्णय हो जाये, अतः हमने उन संकल्पों को स्वीकृत किया; ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि हम उन सभी संकल्पों को चाहते थे, किन्तु उन संकल्पों को स्वीकार करते समय हम ने इस बात को पूर्णतया स्पष्ट किया कि हम अपनी प्रतिज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे, न तो उन उत्तरदायित्वों को ही छोड़ देंगे जो हम ने संभाल रखे हैं । इस के बहुत समय बाद सुरक्षा परिषद् ने एक और संकल्प पारित किया जिस से हम पर मध्यस्थ-निर्णय लादा गया । उन की इस बात को मान लेना तो एक जुदा बात थी किन्तु अपने कर्त्तव्यों, प्रतिज्ञाओं उत्तरदायित्वों और, निश्चयों को छोड़ना एक गलत बात थी अतः हम ने उन का वह संकल्प अस्वीकृत किया; और यही कारण है कि हम यह मामला और किसी व्यक्ति के हाथ में सौंप नहीं सकते थे, भले ही वह कोई भी व्यक्ति हो । हम इस प्रकार कभी कर भी नहीं सकते थे । हमारे लिये यह भी एक भिन्न बात थी कि हम जम्मू तथा काश्मीर राज्य के ४० लाख लोगों का विश्वास किसी मध्यस्थ के निर्णय पर छोड़ देते । यह एक बड़ा राजनीतिक प्रश्न था, और इस प्रकार से कभी राजनीतिक प्रश्न विदेशों के मध्यस्थों को इस तरह नहीं सौंपे जाते हैं। यही कारण है कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ का यह संकल्प रद्द करना पड़ा । और अभी भी हम उस को अस्वीकृत हुआ समझते हैं; और हम किसी भी ऐसी बात से जो हमें इस बीच मिले, सहमत नहीं हो सकते, न तो ऐसी बात को मान सकते हैं जो हमें अपनी प्रतिज्ञाओं अथवा हमारे द्वारा दिये गये आश्वासनों को पूरा करने से रोक रही हो ।

इन परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए हम शान्ति पूर्ण व्यवस्था करने का पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे तो हमारे द्वारा दिये गये आश्वासनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं में एक प्रतिज्ञा जो हमारी नीति के परिणामस्वरूप ही हमें करनी पड़ी, इस प्रकार थी कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लोग स्वयं अपने भविष्य का निर्णय करेंगे। इस सिलसिले में मैं काश्मीर के भारत से मिल जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करना चाहूंगा क्यों कि इस बात में बहुत सी गलतफहमी हुई है। उस दिन मैं ने सदन में बताया था कि यह मेल विधि तथा तथ्य की दृष्टि में बिल्कुल पूर्ण है । ऐसा दीख रहा है कि विदेशों के कई लोग और कई समाचारपत्र यह सोचते हैं कि पिछले सप्ताह, पखवाड़े अथवा तीन सप्ताहों में जो कुछ भी घटनायें हुईं उस से मेरे विचार के अनुकूल यह प्रवेश पूरा हो चुका । मैं ने यही बतलाया था कि अक्तूबर १९४७ में ही यह प्रवेश विधि तथा तथ्य की दृष्टि में पूर्ण हो चुका था । यह तो एक मानी हुई बात है और इस में किसी भी तर्क की आवश्यकता नहीं क्योंकि भारत के प्रत्येक राज्य का प्रवेश जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अथवा उसी वर्ष के किसी बाद के महीने में इन ही शर्तों पर पूरा हो चुका था । तीन बुनियादी बातों में इन राज्यों के प्रवेश हुए : अर्थात् वैदेशिक कार्य, संचरण-सम्पर्क। तथा रक्षा में वे सभी राज्य भारत से मिल गये । क्या कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि १९४७ के अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर या नवम्बर में किसी भी राज्य का भारत में प्रवेश इसलिये अपूर्ण था क्योंकि वह केवल इन उक्त तीन विषयों के सम्बन्ध में था? कभी नहीं । विधि की दृष्टि में और तथ्य के रूप में वह

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पूरा प्रवेश था । तो इसी तरह विधि तथा तथ्य की दृष्टि से जम्मू तथा काश्मीर राज्य का प्रवेश भी यदि मुझे उस दिनांक का ठीक स्मरण हो रहा हो, २६ या २७ अक्तूबर को ही हुआ था ।

इस में सन्देह या अयथार्थता की कोई भी गुंजायश नहीं है । मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि यहां सदन में अथवा संसार के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस बात को गलत बताता है । मैं सदन से यही कह रहा था कि जब पहला संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग अपने कानूनी परामर्शदाताओं और अन्य व्यक्तियों को ले कर यहां आया था उस समय उसे इस प्रकार कहने का अधिकार था, बल्कि उन्हें इस की जांच के लिये बिठाया गया था । किन्तु उन्हें यह मामला बिलकुल स्पष्ट दिखाई दिया और उन के कानूनी परामर्शदाताओं ने सब से पहले यही बतलाया कि इस प्रवेश की कानूनी पृष्ठभूमि दृढ़ है और इसे झुठलाया नहीं जा सकता । तो एक ओर यह प्रवेश विधि तथा तथ्य की दृष्टि से पूरा है और दूसरी ओर काश्मीरवासियों के साथ हम ने प्रतिज्ञा भी की है——मैं यहां तक कहूंगा कि हम ने विश्व के समक्ष उन से यह प्रतिज्ञा की है——कि काश्मीरवासी अपनी इच्छा से इस प्रवेश के विषय को फिर से दृढ़ बना सकते हैं अथवा इसे रद्द कर सकते हैं जैसा भी वे चाहते हों । हम लोगों को उन की इच्छा के विरुद्ध, शस्त्रास्त्र की सहायता से अपने साथ मिलाना नहीं चाहते, और इसी तरह यदि जम्मू तथा काश्मीर राज्य के रहने वाले कोई अलग रास्ता ले कर हम से दूर रहना चाहते हों तो उस समय हम भी किनारा कर लेंगे । हम इस तरह के अनिच्छापूर्वक मेल अथवा जोड़ नहीं चाहते । मेरी यह आशा है कि यह विशाल भारतीय गणतंत्र भारतीय राज्यों का एक स्वतंत्र, स्वेच्छापूर्ण, मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संघ है । मेरा यह भी विश्वास है कि जम्मू व काश्मीर के लोग न केवल हमारे पास यों ही आये, अपितु उन की प्रार्थना पर ही हम ने उन्हें अपने इस बड़े राज्य-परिवार में प्रविष्ट किया और मैं यह भी समझता हूं कि अन्य राज्यों की भांति वह राज्य भी हमारे साथ मैत्रीपूर्ण भाव बनाये हुए है । मेरा भी यह विश्वास है कि उन्होंने बार बार इस तथ्य को सिद्ध किया है और लग भग एक वर्ष पूर्व इस संविधान सभा के निर्वाचन में भारत के साथ मैत्री और एकता का भाव प्रदर्शित किया है । व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बात का भी विश्वास प्राप्त है कि यदि हमें किसी भी समय उन के भाव जानने के लिये और किसी प्रणाली का प्रयोग करना पड़े तो उस समय भी इसी तरीके से इस बात का निश्चय कर लेंगे । खैर, यह तो मेरा निजी मत है; हो सकता है कि आप का और; सारे सदन का भी यही मत हो, किन्तु तथ्य यह है कि हम ने उन के और सारे विश्व के समक्ष इस बात की घोषणा की कि हम उन्हें स्वयं अपना निर्णय करने देंगे और बाद में उस निर्णय को स्वीकार करेंगे । अतएव हमें उस प्रतिज्ञा का सम्मान करना चाहिये । इन आश्वासनों और प्रतिज्ञाओं की सीमा में रह कर हम उसी नीति का अनुसरण करते रहेंगे जो हम आज तक चलाते रहे हैं, और मेरा यह भी निवेदन है कि इन आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं और नीतियों के अनुसार ही हम थोड़ी देर पहले काश्मीर राज्य के उन प्रतिनिधियों से मिले जो न केवल वहां की सरकार के प्रतिनिधि हैं, अपितु काश्मीर के लोकप्रिय नेता हैं । हम उन से मिले और हम ने उन के साथ इन सभी मामलों पर बहस की । हम ने किसी सौदाबाज़ी या दलबन्दी संघर्ष की भावना से उन से विचार-विमर्श नहीं किया बल्कि इस विचार से उन के साथ बात चीत की कि इन उलझी समस्याओं और गुत्थियों को सुलझाया

जा सके, और कोई ऐसा रास्ता निकल आये जिस पर चल कर हम और वे, दोनों अपनी अपनी प्रतिज्ञाओं और नीतियों को पूरी तरह से निभा सकें। तो हम ने मित्रता के नाते उन से इस बात पर विचार-विमर्श किया, और जिन जिन बातों में हम सहमत हुए उन्हें मैं पिछले सत्र में सदन के समक्ष रख चुका हूं। यह भी स्पष्ट है कि उन करारों से यह सारा चित्र पूरा नहीं हो पाता। यों तो बहुत कुछ किया जाना बाकी है, और बहुत बातों के सम्बन्ध में विचार करना बाकी है किन्तु दो तीन तथ्य सभी के समक्ष हैं। सर्वप्रथम बात यह है कि वर्तमान स्थिति के अनुसार हमें जम्मू व काश्मीर राज्य को अन्य राज्यों से भिन्न मान कर चलना है। यह बहुत ही आवश्यक है और इस प्रकार का सोच-विचार भी अनिवार्य है। आप को कदाचित् विगत चार पांच वर्षों का इतिहास याद होगा कि हम ने कौन कौन से आश्वासन दिये थे, और आप इस तथ्य को भी जानते होंगे कि काश्मीर की समस्या राष्ट्रीय समस्या न रह कर एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। अतः हमें इस समस्या को अंशतः किसी पृथक आधार पर सुलझाना है। उस का यह अभिप्राय नहीं कि उन्हें विशेष अधिकार या श्रेय दिया जायेगा बल्कि उन्हें आंतरिक स्वायत्तता के कुछ अधिक साधन प्राप्त होंगे। निश्चय ही इस का यही अर्थ है। हो सकता है कि यह समस्या एक गतिशील और विकासशील स्थिति में हो। इस में धीरे धीरे और परिवर्तन किये जा सकते हैं, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में हमारे लिये यह अच्छा नहीं रहेगा कि हम उन पर किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव डालें या उन्हें मजबूर करें। उस से हमें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिलेगी, और हम आलोचकों के हाथ में कठपुतली बन जायेंगे।

तो हम ने यही पद्धति अपनाई, और मैत्रीपूर्ण बहस की। पूरी स्वतंत्रता में हम उन कई एक बातों में सहमत हुए जिन्हें मैं सदन के समक्ष रख चुका हूं। और अब मेरा यह विश्वास है कि आज के इस वाद विवाद में सदन इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करेगा और हमें अपना समर्थन प्रदान करेगा।

१० म० पू०

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं सदन के समक्ष औपचारिक ढंग से प्रस्ताव रखूंगा। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"That the statement made by the Prime Minister on the 24th July 1952 in regard to Jammu and Kashmir State, be taken into consideration."

"जम्मू तथा काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में २४ जुलाई, १९५२ को प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर विचार किया जाय।"

जो माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हों, उन्हें मैं बारी बारी से बुला लूंगा।

श्री वल्लातरास (पुदुकोटै): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं, जोड़े जायें :

"and having considered the same this House is of opinion that the changes proposed and suggested in the statement to be made in the Constitution may be referred for report to a Joint Committee of fifteen Members of both the Houses of Parliament."

"और इस पर विचार करने के बाद इस सदन का यह मत है कि संविधान में प्रस्थापित किये गये तथा सुझाये जाने वाले

[उपाध्यक्ष महोदय]

परिवर्तन (रूप भेद), जैसा वक्तव्य में दिया गया है, संसद् के दोनों सदन की १५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति के समक्ष रिपोर्ट के लिये निर्देशित किये जायें ।"

(२) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं जोड़ दिये जायें:

"and having considered the same this House is of opinion that the changes suggested and proposed in the statement to be made to the Constitution may be introduced in the House in the form of a Bill to be passed into law ."

"और इस पर विचार करने के बाद इस सदन का यह मत है कि संविधान में प्रस्थापित किये गये तथा सुझाये जाने वाले परिवर्तन (रूपभेद), जैसा वक्तव्य में दिया गया है, एक विधेयक के रूप में सदन में पुरःस्थापित किये जायें ताकि उन्हें कानून के रूप में पारित किया जा सके ।"

(३) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं जोड़ दिये जायें :

"and having considered the same this House is of opinion that the financial integration of the State of Jammu and Kashmir has been delayed and rendered as an uncertain event in the near future ."

"और इस पर विचार करने के बाद इस सदन का यह मत है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य के वित्तीय एकीकरण में देर की गई है जिस के कारण वह निकट भविष्य में एक अनिश्चित घटना बन गया है ।"

(४) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं जोड़ दिये जायें :

"and having considered the same this House is of opinion that the accession of the State of Jammu and Kashmir is incomplete in law and fact and is not in consonance with the requirements of the Consititution."

"और इस पर विचार करने के बाद सदन का यह मत है कि विधि तथा तथ्य की दृष्टि से जम्मू तथा काश्मीर राज्य का प्रवेश अपूर्ण है, और संविधान की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुये कि :

(१) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जायें :

" and having considered the same this House is of opinion that the changes proposed and suggested in the statement to be made in the Constitution may be referred for report to a Joint Committee of fifteen Members of both the Houses of Parliament. "

"और इस पर विचार करने के बाद इस सदन का यह मत है कि संविधान में प्रस्थापित किये गये तथा सुझाये जाने वाले परिवर्तन (रूपभेद), जैसा वक्तव्य में दिया गया है, संसद् के दोनों सदनों की १५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति के समक्ष रिपोर्ट के लिये निर्देशित किये जायें ।"

(२) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं जोड़ दिये जायें :

" and having considered the same this House is of opinion that the changes suggested and proposed in the statement to be made to the Constitution may be introduced in the House in the form of a Bill to be passed into law ."

"और इस पर विचार करने के बाद इस सदन का यह मत है कि संविधान में प्रस्थापित किये गये तथा सुझाये जाने वाले परिवर्तन (रूपभेद), जैसा वक्तव्य में दिया गया है, एक विधेयक के रूप में सदन में पुरःस्थापि

किये जायें ताकि उन्हें कानून के रूप में पारित किया जा सके ।"

(३) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार है जोड़ दिये जायें :

"and having considered the same this House is of opinion that the financial integration of the State of Jammu and Kashmir has been delayed and rendered as an uncertain event in the near future."

"और इस पर विचार करने के बाद इस सदन का यह मत है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य के वित्तीय एकीकरण में देर की गई है जिस के कारण वह निकट भविष्य में एक अनिश्चित घटना बन गया है ।"

(४) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं जोड़ दिये जायें :

" and having considered the same this House is of opinion that the accession of the State of Jammu and Kashmir is incomplete in law and fact and is not in consonance with the requirements of the Constitution."

"और इस पर विचार करने के बाद सदन का यह मत है कि विधि तथा तथ्य की दृष्टि से जम्मू तथा काश्मीर राज्य का प्रवेश अपूर्ण है, और संविधान की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं है ।"

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस—मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जायें:

" and having considered the same, this House thanks and congratulates the hon. Prime Ministers of India and Jammu and Kashmir who following the great tradition of the Indian non-violent peaceful revolution reiterated the principle that the basis of relation and co-operation in politics is not force but the path of the love and common ideal as is shown by the Father of Nation."

"और इस पर विचार करने के बाद यह सदन भारत तथा जम्मू व काश्मीर के प्रधान मंत्रियों को धन्यवाद और बधाई देता है, जिन्होंने भारतीय अहिंसात्मक शान्तिमयी क्रान्ति की विशाल प्रथा का अनुसरण करते हुए यह सिद्धान्त दोहराया कि राजनीति में सम्बन्ध तथा सहयोग का आधार बल नहीं, अपितु प्रेम तथा समान आदर्श का मार्ग है जैसा कि राष्ट्रपिता हमें दिखला भी चुके हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं जोड़ दिये जायें :

" and having considered the same, this House thanks and congratulates the hon. Prime Ministers of India and Jammu and Kashmir, who following the great tradition of the Indian non-violent peaceful reiterated the principle that the revolution basis of relation and co-operation in politics is not force but the path of the love and common ideal as is shown by the Father of Nation."

"और इस पर विचार करने के बाद, यह सदन भारत तथा जम्मू व काश्मीर के प्रधान मंत्रियों को धन्यवाद और बधाई देता है, जिन्होंने भारतीय अहिंसात्मक शान्तिमय क्रान्ति की विशाल प्रथा का अनुसरण करते हुए यह सिद्धान्त दोहराया कि राजनीति में सम्बन्ध तथा सहयोग का आधार बल नहीं, अपितु प्रेम तथा समान आदर्श का मार्ग है जैसा कि राष्ट्रपिता हमें दिखला भी चुके हैं।"

श्री वैलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं जोड़ दिये जायें :

"and having considered the same, this House approves the

[श्री वैलायुधन]

policy followed by the Government of India in her relations with the State of Jammu and Kashmir."

"और इस पर विचार करने के बाद, यह सदन उस नीति को स्वीकार करता है जिस का अनुसरण भारत सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य के साथ सम्बन्ध निभाने में किया ।"

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं जोड़ दिये जायें :—

" and having considered the same, this House approves the policy followed by the Government of India in her relations with the State of Jammu and Kashmir ."

"और इस पर विचार करने के बाद, यह सदन उस नीति को स्वीकार करता है जिस का अनुसरण भारत सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य के साथ सम्बन्ध निभाने में किया ।"

श्री वीर स्वामी (मयूरमर–क्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं जोड़ दिये जायें :

"and having considered the same, this House is of opinion that other States should also be accorded the same status as has been accorded to the State of Jammu and Kashmir."

"और इस पर विचार करने के बाद, इस सदन का यह मत है कि अन्य राज्यों को भी वही प्रतिष्ठा प्रदान की जानी चाहिये जो जम्मू तथा काश्मीर राज्य को प्रदान की गई है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं जोड़ दिये जायें :

"and having considered the same, this House is of opinion that other States should also be accorded the same status as has been accorded to the State of Jammu and Kashmi ."

"और इस पर विचार करने के बाद, इस सदन का यह मत है कि अन्य राज्यों को भी वही प्रतिष्ठा प्रदान की जानी चाहिये जो जम्मू तथा काश्मीर राज्य को प्रदान की गई है ।"

प्रो० डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं जोड़ दिये जायें :

"and having considered the same, this House congratulates the Prime Minister for solving the Kashmir problem in spite of all kinds of odds."

"और इस पर विचार करने के बाद, यह सदन प्रधान मंत्री को इस बात पर बधाई देता है कि उन्होंने सभी प्रकार की उलझनों के होते हुये भी काश्मीर समस्या सुलझाई है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं जोड़ दिये जायें :

" and having considered the same, this House congratulates the Prime Minister for solving the Kashmir problem in spite of all kinds of odds."

"और इस पर विचार करने के बाद, यह सदन प्रधान मंत्री को इस बात पर बधाई

देता है कि उन्होंने सभी प्रकार की उलझनों के होते हुये भी काश्मीर समस्या सुलझाई है ।"

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जायें :

"and having considered the same, this House is of opinion that Kashmir should accede to India on other subjects which are mentioned in the Union List."

"और इस पर विचार करने के बाद, इस सदन का यह मत है कि संघ सूची में उल्लिखित अन्य विषयों के सम्बन्ध में काश्मीर का प्रवेश होना चाहिये ।"

(२) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जायें :

" and having considered the same, this House is of opinion that Kashmir issue should be withdrawn from the U. N. O."

"और इस पर विचार करने के बाद, इस सदन का यह मत है कि काश्मीर सम्बन्धी प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ से वापिस लिया जाना चाहिये ।"

(३) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जायें :

" and having considered the same, this House is of opinion that matters relating to the suggested changes in the Constitution be referred to a Joint Committee of ten members of both the Houses of Parliament."

"और इस पर विचार करने के बाद, इस सदन का यह मत है कि संविधान में सुझाये गये रूपभेदों से सम्बन्धित मामले, संसद् के दोनों सदनों की १० सदस्यों की एक संयुक्त समिति के समक्ष निर्दिष्ट किये जायें ।"

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुये कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जायें :

" and having considered the same, this House is of opinion that Kashmir should accede to India on other subjects which are mentioned in the Union List."

"और इस पर विचार करने के बाद, इस सदन का यह मत है कि संघ सूची में उल्लिखित अन्य विषयों के सम्बन्ध में काश्मीर का प्रवेश होना चाहिये ।"

(२) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जायें :

"and having considered the same this House is of opinion that Kashmir issue should be withdrawn from the U. N. O."

"और इस पर विचार करने के बाद, इस सदन का यह मत है कि काश्मीर सम्बन्धी प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ से वापिस लिया जाना चाहिये ।"

(३) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द, जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जायें :

" and having considered the same, this House is of opinion that matters relating to the suggested changes in the Constitution be referred to a Joint Committee of ten members of both the Houses of Parliament."

"और इस पर विचार करने के बाद, इस सदन का यह मत है कि संविधान में सुझाये गये रूपभेदों से सम्बन्धित मामले, संसद् के दोनों सदनों की १० सदस्यों की एक संयुक्त समिति के समक्ष निर्दिष्ट किये जायें ।"

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द, जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जायें :

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

" and having considered the same, this House is of the opinion that—

(*i*) no case has been made out for preferential treatment of Jammu and Kashmir ;

(*ii*) the terms of the proposed agreement are repugnant to the Constitution of India ; and

(*iii*) no implementation of the terms should be effected without prior amendment of the Constitution and giving an opportunity to the country to express its verdict on the proposed changes."

"और इस पर विचार करने के बाद इस सदन का यह मत है कि--

(१) जम्मू तथा काश्मीर राज्य के साथ अधिमान्य बर्त्ताव करने के लिये कोई भी मामला सिद्ध नहीं किया गया है;

(२) प्रस्थापित करार की शर्तें भारतीय संविधान के विरुद्ध हैं; और

(३) संविधान के पूर्ववर्ती संशोधन के बिना इन शर्तों का परिपालन नहीं होना चाहिये और देश को इस बात का अवसर दिया जाना चाहिये कि वह प्रस्थापित रूपभेदों पर अपना निर्णय बता सके ।"

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जायें :

" and having considered the same, this House is of the opinion that—

(*i*) no case has been made out for preferential treatment of Jammu and Kashmir ;

(*ii*) the terms of the proposed agreement are repugnant to the Constitution of India ; and

(*iii*) no implementation of the terms should be effected without prior amendment of the Constitution and giving an opportunity to the country to express its verdict on the proposed changes."

"और इस पर विचार करने के बाद इस सदन का यह मत है कि—

(१) जम्मू तथा काश्मीर राज्य के साथ अधिमान्य बर्त्ताव करने के लिये कोई भी मामला सिद्ध नहीं किया गया है ;

(२) प्रस्थापित करार की शर्तें भारतीय संविधान के विरुद्ध हैं ; और

(३) संविधान के पूर्ववर्ती संशोधन के बिना इन शर्तों का परिपालन नहीं होना चाहिये और देश को इस बात का अवसर दिया जाना चाहिये कि वह प्रस्थापित रूपभेदों पर अपना निर्णय बता सके ।"

श्री पी० एन० राजभोग (शोलापुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जायें :

"and having considered the same, this House is of opinion that Constitutional safeguards provided for the scheduled classes and tribes in the Constitution shall be made applicable to the State of Jammu and Kashmir."

"और इस पर विचार करने के बाद इस सदन का यह मत है कि संविधान में अनुसूचित वर्गों तथा आदिमजातियों के लिये उपबन्धित परित्राण जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर भी लागू किये जायेंगे ।"

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द, जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जायें :

"and having considered the same, this House is of opinion that Cons-

titutional safeguards provided for the scheduled classes and tribes in the Constitution shall be made applicable to the State of Jammu and Kashmir."

"और इस पर विचार करने के बाद, इस सदन का यह मत है कि संविधान में अनुसूचित वर्गों तथा आदिमजातियों के लिये उपबन्धित परित्राण जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर भी लागू किये जायेंगे।"

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जायें :

"and having considered the same, this House approves all the steps taken so far in the matter."

"और इस पर विचार करने के बाद, यह सदन आज तक इस विषय में उठाये गये सभी पगों का अनुमोदन करता है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जायें :

"and having considered the same, this House approves all the steps taken so far in the matter."

"और इस पर विचार करने के बाद, यह सदन आज तक इस विषय में उठाये गये सभी पगों का अनुमोदन करता है।"

श्री एन० सोमना (कुर्ग) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जायें :

"and having considered the same, this House is of opinion that the agreements referred to in the statement of the Prime Minister entered into between the Government of India and the Government of Kashmir are in the best interests of the Union of India and the State of Kashmir."

"और इस पर विचार करने के बाद, इस सदन का यह मत है कि भारत सरकार तथा काश्मीर सरकार के बीच किये गये करार जिन की ओर प्रधान मंत्री के वक्तव्य में निर्देश किया जा चुका है, भारत संघ तथा काश्मीर राज्य के श्रेष्ठ हित में हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जाये :

"and having considered the same, this House is of opinion that the agreements referred to in the statement of the Prime Minister entered into between the Government of India and the Government of Kashmir are in the best interests of the Union of India and the State of Kashmir."

"और इस पर विचार करने के बाद, इस सदन का यह मत है कि भारत सरकार तथा काश्मीर सरकार के बीच किये गये करार जिन की ओर प्रधान मंत्री के वक्तव्य में निर्देश किया जा चुका है, भारत संघ तथा काश्मीर राज्य के श्रेष्ठ हित में हैं।"

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जायें :

"and having considered the same, this House is of opinion that the policy followed by the Government of India in Kashmir tends to put serious obstacles on the pace of progressive democratic reforms in Kashmir and the normal process of democratic integration of Kashmir into India."

"और इस पर विचार करने के बाद, इस सदन का यह मत है कि भारत सरकार जिस नीति का अनुसरण कर रही है, उस से काश्मीर में होने वाले प्रगतिशील लोकतन्त्रात्मक

[श्री टी० के० चौधरी]

सुधारों की गति तथा भारत के साथ काश्मीर के लोकतन्त्रात्मक एकीकरण की साधारण प्रक्रिया में बड़ी भारी बाधायें पड़ने की आशंका हो रही है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जायें :—

" and having considered the same, this house is of opinion that the policy followed by the Government of India in Kashmir tends to put serious obstacles on the pace of progressive democratic reforms in Kashmir and the normal process of democratic integration of Kashmir into India. "

"और इस पर विचार करने के बाद, इस सदन का यह मत है कि भारत सरकार जिस नीति का अनुसरण कर रही है, उस से काश्मीर में होने वाले प्रगतिशील लोकतन्त्रात्मक सुधारों की गति तथा भारत के साथ काश्मीर के लोकतन्त्रात्मक एकीकरण की साधारण प्रक्रिया में बड़ी भारी बाधाएं पड़ने क आशंका हो रही है ।"

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जायें :

" and having considered the same, this House is of opinion that the Constitution of India be applied to Jammu and Kashmir State in its entirety. "

"और इस पर विचार करने के बाद इस सदन का यह मत है कि भारत का संविधान जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर पूर्णतया लागू किया जाय ।"

(२) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जायें :—

" and having considered the same, this House directs the Government of India to treat the accession of Jammu and Kashmir State as final and irrevocable and not dependent on plebiscite."

"और इस पर विचार करने के बाद, भारत सरकार के प्रति इस सदन का यह निदेश है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य के प्रवेश को अन्तिम तथा अखंडनीय समझा जाये और इसे जनमतगणना पर आश्रित नहीं रखा जाये ।"

(३) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द, जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जायें :—

"and having considered the same, this House is of opinion that Indian Government should discontinue its participation in the aegis of the U. N. O. and proceed with the task of liberating those territories of Jammu and Kashmir State which are occupied by the so-called Azad Kashmir Government. "

"और इस प्रकार विचार करने के बाद, इस सदन का यह मत है कि भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था की छत्रछाया में न रह कर और उन से नाता तोड़ कर जम्मू तथा काश्मीर राज्य के उन प्रदेशों की जिन पर तथाकथित आज़ाद काश्मीर सरकार का अधिकार है, स्वतन्त्रता दिलाने के काम में अग्रसर होना चाहिये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुए कि :

(१) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जायें :

" and having considered the same, this House is of opinion that the Constitution of India be applied to

Jammu and Kashmir State in its entirety."

"और इस पर विचार करने के बाद इस सदन का यह मत है कि भारत का संविधान जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर पूर्णतया लागू किया जाये ।"

(२) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जायें :—

" and having considered the same, this House directs the Government of India to treat the accession of Jammu and Kashmir State as final and irrevocable and not dependent on plebiscite."

"और इस प्रकार विचार करने के बाद, भारत सरकार के प्रति इस सदन का यह निदेश है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य के प्रवेश को अन्तिम तथा अखंडनीय समझा जाये और इसे जनमतगणना पर आश्रित नहीं रखा जाये ।"

(३) प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जायें :—

" and having considered the same, this House is of opinion that Indian Government should discontinue its participation in the negotiations conducted under the aegis of the U. N. O. and proceed with the task of liberating those territories of Jammu and Kashmir State which are occupied by the so-called Azad Kashmir Government."

"और इस पर विचार करने के बाद, इस सदन का यह मत है कि भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था की छत्रछाया में न रह कर और उन से नाता तोड़ कर जम्मू तथा काश्मीर राज्य के उन प्रदेशों को जिन पर तथाकथित आज़ाद काश्मीर सरकार का अधिकार है, स्वतंत्रता दिलाने के काम में अग्रसर होना चाहिये ।"

पंडित के० सी० शर्मा (ज़िला मेरठ—दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जायें : —

" and having considered the same, this House places on record its sese of gratitude to the Prime Minister, and approves the statement."

"और इस पर विचार करने के बाद यह सदन प्रधान मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है और उक्त वक्तव्य का अनुमोदन करता है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जायें :—

" and having considered the same, this House places on record its sense of gratitude to the Prime Minister, and approves the statement."

"और इस पर विचार करने के बाद यह सदन प्रधान मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है और उक्त वक्तव्य का अनुमोदन करता है ।"

श्री ए० एन० विद्यालंकार (जालन्धर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जायें :—

" and having considered the same, this House approves the entire policy pursued by the Government of India in her relations with the State of Jammu and Kashmir and records its complete satisfaction with the terms of mutual agreement pronounced in the Statement."

"और इस पर विचार करने के बाद यह सदन उस सारी नीति का जिस का अनुसरण भारत सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य के साथ के सम्बन्धों को निभाने में किया

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

है अनुमोदन करता है तथा वक्तव्य में उद्घोषित पारस्परिक करार की सभी शर्तों से पूर्ण संतोष प्रकट करता है।"

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जो इस प्रकार हैं, जोड़ दिये जायें : —

"and having considered the same, this House approves the entire policy pursued by the Government of India in her relations with the State of Jammu and Kashmir and records its complete satisfaction with the terms of mutual agreement pronounced in the Statement."

"और इस पर विचार करने के बाद यह सदन उस सारी नीति का जिस का अनुसरण भारत सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य के साथ के सम्बन्धों को निभाने में किया है, अनुमोदन करता है, तथा वक्तव्य में उद्घोषित पारस्परिक करार की सभी शर्तों से पूर्ण संतोष प्रकट करता है।"

प्रस्ताव तथा संशोधन दोनों ही सदन के समक्ष विवादार्थ हैं। डा० लंकासुन्दरम्।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : मैं प्रधान मंत्री द्वारा २४ जुलाई को जम्मू तथा काश्मीर के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य का साधारण रूप से स्वागत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : भाषणों के लिये समय को नियमबद्ध करना पड़ता है। यों तो किसी भी माननीय सदस्य को १५ मिनट से अधिक समय नहीं दिया जायेगा, और अध्यक्ष को इस बात का अधिकार होगा कि वह इस नियत समय के बाद और ५ मिनट तक उसे बोलने की अज्ञा दे।

डा० लंका सुन्दरम् : प्रधान मंत्री का उक्त वक्तव्य और उसके बाद का भाषण सुनकर मैं ने संशोधन संख्या ५ की पूर्वसूचना दी थी और जिस के सम्बन्ध में मैं ने आज प्रातः यह बताया कि मैं अब उसे प्रस्तुत नहीं करना चाहता। इसका यही कारण है कि जम्मू तथा काश्मीर के शिष्टमंडल एवं भारत के बीच जो भी बात चीत हुई थी उस में काश्मीर समस्या के घरेलु पहलुओं पर ही विचार किया गया था, और अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं को छुआ तक नहीं गया था। मैं नहीं चाहता कि भारत सरकार अथवा प्रधान मंत्री परेशान हों क्योंकि मेरा यह पक्का विश्वास है कि काश्मीर ऐसी समस्या पर लोगों के भावनाप्रधान विचारों से हमारी बाह्य रक्षा अथवा आन्तरिक सुरक्षा में कोई अन्तर नहीं पड़ सकता। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सदन के माननीय नेता ने अपने वक्तव्य में यह स्पष्ट किया है कि काश्मीर प्रवेश अक्तूबर, १९४७ में ही पूरा हो चुका था। यह सही है कि अमरीकी पत्रों ने काश्मीर समस्या पर बवण्डर खड़ा कर दिया है, किन्तु मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री जी के भाषण से उन सभी के संदेह दूर हो चुके होंगे।

जहां तक निर्वाचित मुखिया का प्रश्न है, मैं गणतंत्रवादी के नाते सदरे रियासत पद का स्वागत करता हूं। भारतीय झण्डे और काश्मीर के झण्डे के सम्बन्ध में विगत सप्ताहों में काफी लम्बे विवाद हो चुके हैं, और मुझे इस बात से प्रसन्नता हो रही है कि जम्मू तथा काश्मीर के निवासियों ने भारतीय झण्डे का प्रभुत्व स्वीकार किया है। सदन के नेता के वक्तव्य से हमें इस बात का संतोष प्राप्त हो चुका है। २४ जुलाई को दिये गये उक्त वक्तव्य में निर्देशित चौथी महत्वपूर्ण बात का भावी सर्वोच्च न्यायालय की सत्ता तथा इसके अधिकार-क्षेत्र के सम्बन्ध में मेरी स्पष्ट धारणा रही है, किन्तु भारत के नागरिक के नाते

मैं यह कहने को तैयार हूं कि समय के साथ साथ सभी समस्याओं का निपटारा होगा और सर्वोच्च न्यायालय भी इस मामले को तय करेगा ।

मैं इन बातों के साथ ही एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने विगत दो वर्षों से काश्मीर को अलग-थलग समझ लिया है, मैं उत्तरदायित्व के साथ यह कहने को तैयार हूं कि काश्मीर में सदरे-रियासत की नियुक्ति तथा अन्य बातों से भारत के अन्य राज्यों पर, विशेषतया, हैदराबाद पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा । इधर हैदराबाद के निज़ाम को पदच्युत करने की बात चली थी, किन्तु हमें उस की तत्काल आवश्यकता नहीं रही । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां तक राजप्रमुखों का प्रश्न है, काश्मीर के साथ कोई अलग बर्ताव नहीं हो सकता । मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने इस विषय में अभी कोई निश्चय नहीं किया है, और यह भी कि भारत जैसे गणतंत्र की प्रगति रोकने के लिये राजप्रमुखों के पद यथापूर्व नहीं रहेंगे, अतः मैं आशा करता हूं कि राजप्रमुख के पद का पूर्णतया उन्मूलन होगा । हैदराबाद के सम्बन्ध में, राज्य कांग्रेस की तथा मेरी यह धारणा रही है कि निज़ाम को पदच्युत किया जाना चाहिये, उस राज्य का विघटन होना चाहिये और जनता की इच्छा के अनुसार सीमाओं का पुनः व्यवस्थापन होना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी काश्मीर में राजप्रमुख पद के उन्मूलन से ही बात नहीं करेंगे अपितु अन्य राज्यों में भी धीरे धीरे, इस प्रकार की नीति चलायेंगे ।

अब आप काश्मीर की समस्या के अंतर्राष्ट्रीय पहलू को लीजिये । आप काश्मीर, का इधर का इतिहास देख लीजिये, इस बात का अध्ययन कीजिये कि क्या हो चुका है । हम ने विसन्यीकरण से सम्बद्ध मैकनाटन प्रस्तावों को अस्वीकार किया है, और मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने सुरक्षा समिति के संकल्प का वह अंश जिस में डा० ग्राहम की नियुक्ति का उल्लेख है, अस्वीकार किया है । हम डा० ग्राहम को सहयोग देने से सहमत हैं । सत्य यह है कि कुछ दिनों में भारत का एक शिष्टमंडल उसे मिलने और उसका परामर्श लेने जेनेवा जा रहा है । मैं किसी हद तक अंतर्राष्ट्रीय शिष्टता में विश्वास रखता हूं किन्तु मैं यह भी समझता हूं कि हमारी सरकार यदि चाहती तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय षड़यंत्रों से दूर रह सकती थी जो इस पर बुरा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि अब पांच वर्ष से अधिक समय निकल चुका है और काश्मीर की समस्या अभी भी सुलझ नहीं पाई है । हो सकता है कि प्रविधि की दृष्टि से हम काश्मीर समस्या को सुरक्षा समिति से वापिस नहीं बुला सकते हों किन्तु हम उन्हें इतना कह तो सकते हैं कि अब हम उनकी चालबाज़ियों से तृप्त हो चुके हैं, और उन की सहायता नहीं चाहते । मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी सुरक्षा समिति से साफ़ साफ़ कह दें कि पूरे पांच वर्ष बीत चुके हैं, और अभी भी समस्या सुलझ नहीं पाई है अतः हम उन की और अधिक बकवास नहीं चाहते ।

मैं युद्ध के पक्ष में नहीं और मेरी यह इच्छा है कि इस देश के हितों की रक्षा हो । इसी लिये मैं ने पहले संशोधन की पूर्वसूचना की थी, और बाद में प्रधान मंत्री जी का आश्वासन प्राप्त करके मैं ने उनको वापिस लिया है । मैं संविधान के पंडितों की तरह अनुच्छेद ३७० की आड़ में शिकार नहीं खेलना चाहता लेकिन यह चाहता हूं कि काश्मीर के साथ पूरी सहानुभूति की जानी चाहिये, क्योंकि वह हमारे देश का एक मूल्यवान अंग है जो हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमांतों तक पहुंचाता है । काश्मीर

[डा० लंका सुन्दरम्]

पर का आक्रमण हमारा वैदेशिक नीति पर एक आक्रमण समझा जायेगा । मैं साथ ही सदन से प्रार्थना करूंगा कि काश्मीर के नाम कोई भी ऐसी बात नहीं कही जाय जिस से हमारे देश और हमारी रक्षा-सेवाओं की सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा पहुंचे ।

श्री अनिल के० चन्दा (बीरभूम) : मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर जब कि काश्मीर भूमि में हमारे वीरों का यशस्वी इतिहास लिखा गया, बोलने का अवसर दिया । हमारे बहादुरों ने अरक्षित काश्मीर-निवासियों की रक्षा करते करते अपना रक्त बहाया, और उन के यश: गान के लिये हमें यहां एकत्र होने का अवसर मिला है । वस्तुत: भारतीय गणतंत्र के सैनिक इतिहास के पहले अध्याय में उन वीरों के रक्तपात की स्मृति सदा के लिये जीवित रहेगी । कितना ही अच्छा होता कि संसद् की यह बैठक गुप्त रूप से बुलाई जाती, क्योंकि काश्मीर समस्या के कारण इसमें ऐसी अंतर्राष्ट्रीय बात आयेंगी जो हम विश्व के सामने नहीं बतलाना चाहते। दुर्भाग्य है कि काश्मीर जो पहले पूर्वी राष्ट्रों का खेल का मैदान था, अब राजनीतिज्ञों के हाथ में कठपुतली बना हुआ है । अभी उस दिन सदन के नेता ने यहां काश्मीर की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि का ब्योरा दिया किन्तु फिर भी लोगों के संदेह ज्यों के त्यों बने हुये हैं । अभी काश्मीर की स्थिति ठीक होने में कुछ समय लगेगा, अत: इस समय कोई अंतिम बात नहीं कही जा सकती क्योंकि जो कुछ भी बताया जायेगा वह संकुचित दृष्टिकोण से ही कहा जायेगा ।

श्री चटर्जी की दलीलों से मुझे यह अनुभव हुआ है कि कानून बनाने का काम इतना गंभीर विषय है कि इसे विधिजीवियों के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता ।

१५ अगस्त, १९४७ के ऐतिहासिक दिवस पर जब ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो चुकी, काश्मीर को अपना भविष्य बनाने का पूरा अधिकार प्राप्त हुआ । वह भारत या पाकिस्तान में प्रवेश कर सकता था। कदाचित् वह स्वतंत्र भी रह सकता था । काश्मीर की एक विचित्र स्थिति है । वह उन सभी लगभग ६०० राज्यों से सर्वथा भिन्न है जो अखण्ड भारत में राजाओं और महाराजाओं के राज्य समझे जाते थे । यही कारण था कि हमारी सरकार ने बिल्कुल प्रारम्भ से इस राज्य की विचित्रता को—वह भली रही हो चाहे बुरी, स्वीकृति दी थी । स्वयं प्रधान मंत्री के शब्दों में "बिल्कुल प्रारम्भ से हम यही बात कहते रहे हैं – यानी विभाजन से पहले ही से – कि काश्मीरवासियों की इच्छा के बिना हम किसी भी प्रकार की कोई कार्य-वाही नहीं कर सकते ।" यही स्थिति रही है और भारत सरकार का भी यही रवैया रहा है । हम उन्हें यह वचन दे चुके हैं, अत: हमें हर शब्दों पर बद्ध रहना होगा ।

उस दिन डा० मुकर्जी ने निवारक विरोध अधिनियम के संशोधन का विरोध करते हुये भारत की एकता की ओर निर्देश किया । मैं बतलाना चाहता हूं कि हम ने इसी महत्व-पूर्ण तथ्य से ही विविधता द्वारा एकता प्राप्त की है जब कि हम ने संविधान के अनुच्छेद ३७० को नियमबद्ध किया । यह अनुच्छेद जम्मू तथा काश्मीर के साथ हमारे सम्बन्धों को शासित करता है । एकता तथा एकरूपता दो भिन्न चीजें हैं । हम बिना एकरूपता के भी एकता प्राप्त कर सकते हैं । हमारे संविधान की यह एक विशेषता रही है । यदि बात अन्यथा होती तो हमारे हां क, ख, ग राज्य नहीं होते। काश्मीर अपने

में एक अलग राज्य है । आप चाहें तो इसे 'घ' राज्य कह सकते हैं । हमारे सभी राज्यों ने एक ही समय अथवा एक ही प्रकार से भारत में प्रवेश नहीं किया । उड़ीसा, जूनागढ़, जम्मू, तथा काश्मीर, और हैदराबाद राज्य अपने अपने तरीक़ों से प्रवेश करते गये, क्योंकि इन सभी की स्थिति एक दूसरे से भिन्न थी ।

लोकतंत्रात्मक देश होने के नाते हम ने जनता के संपूर्ण प्रभुत्व का सिद्धान्त मान लिया है । वहां के लोगों ने अपने संविधान में विशेष उपबन्ध रखे हैं, जिन से वे हमारे साथ सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं । यह ठीक है कि हम सभी ने यही सन्द किया होता कि भारत के साथ काश्मीर का प्रवेश उसी ढंग से हो जिस ढंग से अन्य राज्यों का प्रवेश हुआ, और हम आशा भी करते हैं कि शीघ्र ही काश्मीर उसी तरह भारत का एक अंग बनेगा जिस तरह अन्य राज्य बन चुके हैं ।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : तथास्तु ।

श्री अनिल के० चन्दा : धन्यवाद । किन्तु ऐसा काम ज़बरदस्ती से नहीं किया जा सकता । हम इस बात को भूल नहीं सकते कि काश्मीर की समस्या संयुक्त राष्ट्रसंघ के समक्ष पहुंच चुकी है । और इस सिलसिले में हम ने सारे संसार के समक्ष प्रतिज्ञायें की हैं । और यदि ऐसी परिस्थिति में विरोधी दल के कुछ सदस्य शेख अबदुल्ला और उनकी सरकार की कड़ी और अनियत आलोचना करते हुये यह कहें कि भारत के साथ काश्मीर का पूरा प्रवेश हो तो हमारा उद्देश्य असफल रहेगा । हमें इन दिनों लोकतंत्र में श्रद्धा रखते हुये शन्ति से काम लेना चाहिये । हमें शेख अबदुल्ला की मात्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिये क्योंकि यह स्वयं बहुत ही विकट स्थिति में पड़ा हुआ है । यदि हम जम्मू तथा काश्मीर का ऐक्या और भारत में प्रवेश चाहते हैं तो हमें इस समय लद्दाख और जम्मू के पूरे एकीकरण के सम्बन्ध में बात नहीं करनी चाहिये । इस बात से सांप्रदायिक आधार पर काश्मीर के टुकड़े हो जायेंगे और भारत को हानि हो जायेगी । विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने प्रधान मंत्री जी के प्रस्ताव का खंडन करके कुछ पाकिस्तानी चाल सी खेली है । भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में काश्मीर का बड़ा विचित्र खेल रहा है । काश्मीर में ही हम ने शत्रु और सांप्रदायिकता को दफनाया शेष भारत में, हम चूंकि मुसलिम जनता को अपने साथ न रख सके, अतः हम ने हार खाई । सांप्रदायिक जनून के युग में भी काश्मीर में एक हिन्दू का भी बाल बांका नहीं हुआ । हमें यदि कहीं सफलता मिली तो काश्मीर में ही मिली । क्या अब आप ऐसे ही काश्मीर को बलि पर चढ़ाना चाहते हैं ? काश्मीर में ही भारतीयों ने यह सिद्ध कर दिखाया कि भारतीय सांप्रदायिकता से बहुत ऊंचा जा सकते हैं काश्मीर के रणस्थल में हम ने राजनीतिक कारणों से लड़ाई की, सांप्रदायिकता के लिये नहीं । काश्मीर की संविधान सभा सारे भारत के लिये एक उदाहरण---नहीं, एक आदर्श---बन कर सभी झगड़ों को निपटा रही है, और वह भूस्वामित्व उन्मूलन, पैतृक स्वेच्छाचारी राजतंत्र का उन्मूलन, आदि प्रगतिशील सुधार कर चुकी है , और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी कर चुकी है ।

राज्य के झण्डे के कारण लोगों में कुछ ग़लतफ़हमी हो रही है । किन्तु हमें उस झण्डे का, जिसके नीचे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, शत्रु के साथ डट कर मुकाबला किया और मृत्यु का मुकाबला किया, महत्व समझना

[श्री अनिल के० चन्दा]

है, और यह भी जानना है कि काश्मीरनिवासियों की भावनायें कहां तक उस झण्डे के साथ जुड़ी हुई हैं । हमारे हां 'बन्दे मातरम्' के साथ जो भावनायें जुड़ी हुई हैं वही भावनायें काश्मीरवासियों को उनके अपने झण्डे के साथ हैं। हम ने 'बन्दे मातरम्' को राष्ट्रीय गान का स्तर प्रदान किया है, और हमें यह बहुत ही प्यारा है । उसी प्रकार हमारे काश्मीरी मित्रों ने भी इसी बात पर ज़ोर दिया कि उनके झण्डे को वहां राज्यध्वजा गौरव प्राप्त हो, और उन्होंने इस बीच भारतीय झण्डे की सत्ता भी स्वीकार की । मैं इसी में अपनी उदारता समझता हूं कि उन्हें इस बात पर कोई भी आपत्ति नहीं की जानी चाहिये। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र भी स्वीकार किया है, और प्रवेश होने के बाद, जैसा प्रधान मंत्री जी ने भी बतलाया, काश्मीरवासी अन्य भारतीयों की तरह भारत के नागरिक हैं ।

जम्मू तथा काश्मीर को संविधान सभा के निर्णयों पर प्रश्न करना संयुक्त राष्ट्रसंघ में हमारी शत्रुता करना है । यदि हम इसी बात पर वहां की संविधान सभा को लताड़ें कि उन्होंने हमारा सामीप्य प्राप्त नहीं किया तो यह माना जायेगा कि हम ने पाकिस्तान की चाल चली । काश्मीर के साथ भारत के सम्बन्ध एक प्रवेश के रूप में नहीं अपितु एक ऐच्छिक साथ है जो सरदार पटेल के शब्दों में दोनों पक्षों की अधिकतम सदभावना पर आधारित है ।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : हम सदन के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का स्वागत करते हैं, और काश्मीर समस्या पर हुई बातचीत की समाप्ति के परिणामस्वरूप प्राप्त निष्कर्ष का भी स्वागत करते हैं । इस में चूंकि भारत तथा काश्मीर की विजय का प्रश्न है अतः हम इसका स्वागत करते हैं । इस में हमें दो महत्वपूर्ण सिद्धान्तों की विजय प्राप्त हुई है :— भूस्वामित्व तथा स्वेच्छारी राजतंत्र का उन्मूलन जिन के लिये काश्मीर की जनता वर्षों से संघर्ष करती रही है – जिनका निश्चय जम्मू व काश्मीर की संविधान सभा ने किया है, और जिन्हें भारत सरकार ने भी स्वीकार किया है । अब यह देखना शेष है कि कब शेष भारत में इसी तरह के सुधार होंगे ।

जम्मू तथा काश्मीर के सम्बन्ध में सब से महत्वपूर्ण यह सिद्धान्त स्वीकार हुआ है कि वहां के लोग स्वयं अपने भविषय का निर्णय करेंगे । हमारा यह अनुभव है कि यही सिद्धान्त भाषावार प्रान्तों के सम्बन्ध में में भी लागू किया जायेगा ।

हम चाहते हैं कि काश्मीर भारत का अंग बने और इस देश के बाहर कई एक ऐसे तत्व हैं जो जम्मू तथा काश्मीर को भारत से अलग होता हुआ देखना चाहते हैं। काश्मीर में मुसलमानों का बहुमत है, अतः हमें उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि भारत के साथ मिलने पर उनके हित बहुत ही सुरक्षित हैं । आजकल ऐसी कई शक्तियां काम कर रही हैं जो चाहती हैं कि हिन्दू और मुसलमान धर्म के आधार पर काश्मीर का बटवारा हो । हम इसे एक सांप्रदायिक प्रश्न नहीं समझते । हम इसे भूस्वामियों,—किसानों, पूंजीपतियों–कामकरों, और शासकों–शासितों का प्रश्न समझते हैं – यह चाहे काश्मीर के राजा अथवा निज़ाम हैदराबाद का प्रश्न हो । हिन्दू, मुसलिम अथवा सिख संप्रदाय हो– इन में आप हर किसी में कई ऐसे प्रतिक्रियावादी वर्ग देखेंगे जिनके कुछ निहित स्वार्थ हैं, जिनकी रक्षा के लिये वे दंगा करते रहते हैं । अब संप्रदाय का प्रश्न नहीं रहा है, बल्कि अब वर्गों का प्रश्न है । वे सदा अपने

हितों के लिये ही दंगा करते रहते हैं। जहां और जब तक उन के आर्थिक हितों को संघर्ष रहेगा, यही कहा जायगा कि हिन्दू और मुसलमान झगड़ा कर रहे हैं। किन्तु यदि आप काश्मीर की परिस्थिति समझ लें तो आप को पता चलेगा कि वहां स्वेच्छाचारी राजतंत्र तथा भूमिहीन जनता, के बीच—वे हिन्दू हों या मुसलमान एक झगड़ा चल रहा है। यही कारण है कि हम काश्मीर को भारत का अंग बनाने के लिये वहां की जनता की सहायता चाहते हैं। काश्मीरियों का आंतरिक अनुभव यों होना चाहिये : "यह देश हमारा है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिये और इसी बात में हमारा हित है कि हम भारत का अंग बन कर रहें," उन्हें इस बात का विश्वास प्राप्त होना चाहिये कि भारत सरकार उन्हें स्वेच्छाचारी राजतंत्र, भूस्वामित्व तथा भूस्वामियों के शोषण से छटकारा दिला सकेगी। काश्मीर की बहुसंख्यक किसान जनता को इन्हीं बातों का विश्वास प्राप्त होना चाहिये। यदि ऐसा न हुआ तो वहां के लोग भारत के साथ रहना कभी भी पसन्द नहीं करेंगे और यदि पाकिस्तान ने आक्रमण किया, तो हमारी सेना को यहां की जनता का सहयोग भी प्राप्त नहीं होगा।

मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि जब तक आप चार प्रकार की प्रणालियों से काम न लें तब तक वहां का सांप्रदायक प्रश्न हल ही नहीं हो सकता—यानी काश्मीर का महाराजा, हैदराबाद का निज़ाम, त्रावनकोर-कोचीन अथवा और कोई राज्य हो स्वेच्छाचारी राजतंत्र का उन्मूलन होना चाहिये, भूस्वामित्व तथा पूंजीपतियों द्वारा शोषण का उन्मूलन होना चाहिये तथा राजनैतिक जागृति की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिये, इन्हीं बातों से देश भर के हिन्दू, मुसलमान और सिख संगठित हो सकते हैं। जम्मू तथा काश्मीर में बिना क्षतिपूर्ति के स्वेच्छाचारी राजतंत्र तथा भूस्वामित्व का उन्मूलन हुआ है और इससे वे हिन्दू हों या मुसलमान उनके मन में विश्वास उत्पन्न होगा जिसके परिणामस्वरूप ये भारत का अंग बन कर रहेंगे।

एक और बात भी पूछी गई है कि वहां हमें ज़मीन खरीदने की सुविधा प्राप्त नहीं जब कि वहां वाले भारत में ज़मीन खरीदते हैं। मैं इस बात को इस तरह समझता हूं कि यदि कोई व्यक्ति वहां ज़मीन खरीद कर एकाधिपत्य प्राप्त करना चाहता हो उसे इस प्रकार की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिये। काश्मीर की बात हो चाहे भारत के किसी अन्य अंग की बात, ज़मीन की खरीद और इकट्ठा कर रखने की बात क़तई बन्द कर देनी चाहिये और ऐसा कानून बनाया जाना चाहिये कि कोई व्यक्ति इस प्रकार का संचय या एकाधिकार प्राप्त न कर सके। हां, यह जुदा बात है कि यदि कोई निर्धन व्यक्ति वहां एकड़ भर भूमि लेकर जीवन भर वहीं रहना चाहता हो, तो उसे इस प्रकार की आज्ञा मिलनी चाहिये। यदि इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं तो बिल्कुल बुरी बात है।

जहां तक संविधान के मूल सिद्धान्तों और अधिकारों का प्रश्न है, वहां के भूमि सुधार में उसको यदि लागू किया गया तो वहां बड़ी अशान्ति फैलेगी। आजकल भी जम्मू तथा अन्य स्थानों में भूस्वामियों ने इस बात पर अशांति फैला रखी है कि जम्मू और काश्मीर में भी मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय को निदश किये जाने का अधिकार प्राप्त होने चाहियें। यदि उस को लागू किया गया तो संविधान इस पक्ष में नहीं कि वहां भूमि सुधार हो सके। जहां तक सरकार की इस प्रकार की नीति का प्रश्न है, भारत के साथ संगठन तथा भारतीय हितों को सहायता मिलेगी, और

[श्री ए० के० गोपालन]

जम्मू तथा काश्मीर के रहने वाले भारत में ही रहना पसन्द करेंगे ।

हां, हम संयुक्त राष्ट्रसंघ की बात पर सहमत नहीं हैं । संयुक्त राष्ट्रसंघ भारत को संगठित नहीं अपितु खंडित अवस्था में देखना चाहता है, अतः हमें उनके पास जाने से कोई लाभ नहीं । वह वहां जनमत-संग्रह कराना चाहते हैं, और लोगों में हिन्दुत्व तथा इस्लाम के आधार पर फूट डलवाना चाहते हैं । वह चाहते हैं कि जम्मू व काश्मीर का विभाजन हो और इसीलिये वहां जनमतसंग्रह कराना चाहते हैं ।

प्रधान मंत्री जी ने बतलाया है कि यह मामला काश्मीर सरकार और भारत सरकार के बीच है । काश्मीर की संविधान सभा ने कहा है कि काश्मीर भारत का अंग है, और प्रवेश-पत्र में भी यही बात बताई गई है । यह भारत और काश्मीर के बीच का मामला है, अतः संयुक्त राष्ट्रसंघ के पास इसका निर्देश किया जाना बिल्कुल बेकार है । मान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्रसंघ ने जनमत संग्रह कराया, तो दोनों काश्मीर और भारत के हितों को आघात पहुंचेगा । मेरा यह सुझाव है कि इस समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ से वापिस लिया जाय, और जम्मू तथा काश्मीर निवासियों को यह श्रेय प्राप्त हो कि वे भारत का अंग बनकर रहें । यद्यपि आपस में कुछ मतभेद भी हों तो उन्हें समझौते से दूर किया जायगा । काश्मीर सरकार को कई अधिकार प्राप्त हैं, जिनसे वह वहां के हिन्दुओं या मुसलमानों का विश्वास प्राप्त करके सम्बन्ध को दृढ़ बना सकती है । इन बातों के आधार पर हम प्रस्ताव का स्वागत करते हैं और सरकार से यह कहना चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में जहां तक इस प्रकार की नीति के परिपालन का प्रश्न है, हम सरक के साथ रहेंगे ।

डा० एन० बी० खरे : विरोधी दल के बेंचों पर बैठने वाले हमारे मित्र हमें इस बात के कारण सन्देह की दृष्टि से देखते हैं कि हम साम्यवादियों की बाईं ओर बैठे हुए हैं । किंतु अब चूंकि वे स्वयं साम्यवादियों के पक्ष से सहमत हैं, वे ऐसा नहीं करेंगे और इस बात के लिए वे बधाई के पात्र हैं । श्री गोपालन से पहले बोलने वाले सदस्य ने अपने भाषण में हमारी पार्टी को एक समाप्त हुई पार्टी कहा था, किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की ज्योति सदा के लिए जलती रहेगी । माननीय सदस्य ने तथ्यों को ठीक ढंग से सामने नहीं रखा । उन्होंने कहा कि काश्मीर में एक भी हिन्दू नहीं मारा गया । मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि हाल के बलवों में लगभग ४०,००० हिन्दू मारे गये । इस विषय में बोलने से पहले काश्मीर में घटित हाल के ऐतिहासिक तथ्यों की ओर निर्देश करना उचित होगा । महाराजा काश्मीर ने गोल-मेज़ अधिवेशन में, १२ नवम्बर, १९३० को एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया था । यह सब इतिहास की बातें हैं । इसके परिणामस्वरूप अंग्रेज उससे नाराज़ हुए, और १९३१ में ब्रिटिश सरकार ने अपने एजेन्टों द्वारा, और वहां के वर्तमान मुख्य मंत्री की सहायता से साम्प्रदायिक दंगे फैलाये । आप यदि इस बात का प्रमाण चाहते हैं तो मेरे पास वह सभी लिखा-पढ़ी है जो अंग्रेजों, वर्तमान मुख्य मंत्री और कादियानी खलीफे के बीच हुई थी ।

हां, इसके बाद, प्रधान मंत्री ने राज्य परिषद् में काश्मीर की घटनाओं के सम्बन्ध में गलत वक्तव्य दिया ।

[पंडित ठाकुरदास भार्गव अध्यक्ष-पद पर असीन हुए]

उन्होंने कहा कि काश्मीर में वहां की डोगरा पलटन ने कई मुसलमानों को

मार डाला । इसमें तथ्य नहीं । २७ अगस्त, १९४७ को मुसलमानों ने ३ डोगरा सिपाही और एक जमादार की हत्या की ; चुनांचि ३ सितम्बर १९४७ को भी इसी प्रकार की घटनायें हुईं। इन ही कारणों से वहां दंगे हुए थे। डोगरा सिपाहियों का कोई भी दोष नहीं था, और यह सभी तथ्य आपको 'अमरीका के नाम' नाम की पुस्तक में, जो काश्मीर सरकार ने प्रकाशित की है, मिल जायेंगी । लगभग एक पखवाड़ा पूर्व भारत तथा काश्मीर के बीच जो प्रणय वार्ता चल रही थी, उसके लिए इन सब बातों का बताया जाना आवश्यक था । उक्त प्रणय-वार्ता की समाप्ति पर प्रधान मंत्री जी ने सदन में २४ जुलाई को एक वक्तव्य दिया, और उन बातों पर प्रकाश डाला। मैं समझता हूं कि उस प्रणय नाटक में काश्मीर ने नायक का अभिनय किया और भारत ने नायिका का । भला बताइये कि प्रेम-प्रणय में गुणों और दोषों को कौन देखता है । प्रेमी अंधा होता है । यही कारण है कि भारत ने अपने आप को काश्मीर के हाथों बेचा । आखिर, प्रस्तावित समझौते का क्या परिणाम रहा है ? भारत सरकार ने स्वेच्छा से काश्मीर को स्वतन्त्रता दी है । यह संविधान के विरुद्ध है, और इससे हमारे महामहिम राष्ट्रपति के गौरव में भी अन्तर पड़ जाता है । काश्मीर का मुख्य मंत्री बहुत ही चतुर और कपटी है । उसकी नीति इस प्रकार की है कि वहां के हिन्दू उफ तक नहीं कर सकते, और वहां के मुसलमान उसकी छलभरी बातों को ठीक मानते हैं, तो इस तरह वह भारत सरकार का प्यारा बन चुका है । अब देखिये कि विगत तीन वर्षों से वह भारत के समाचारपत्रों, भारत के नेताओं, और यहां तक कि भारत की सेना की कड़ी आलोचना करता रहा है । गांधी जी के सिद्धान्तों और धर्मनिरपेक्ष राजतन्त्र से वह मंह देखी सहानुभूति प्रकट करता है, प्रधान मंत्री जी से वह प्रतिज्ञा करता है और दिवंगत श्री जिन्नाह के नेतृत्व पर यह गर्हणा प्रकट करता है, लेकिन फिर भी वह काश्मीर को अलग सत्ता दिलाने से पीछे नहीं रह गया, और अन्त में काश्मीर को पृथक् सत्ता दिला दी । और अब हमारे प्रधान मंत्री जी शेख साहब की राजनीतिक चालबाजी को छुपाने के लिए हमें भारत का भूगोल सुना रहे हैं। उन्होंने वहां यह भी बताया है कि भारत की अपेक्षा मध्य एशिया के साथ ही काश्मीर का अधिक सम्बन्ध हो सकता है ।

प्रधान मंत्री जी ने एक विधिवक्ता की सी चाल चली थी, लेकिन मैं सदन से कहना चाहता हूं कि काश्मीर भले ही दूर उत्तर की ओर हो, उसका स्थान हिमालय की उस ढालू तलहटी में है, जो भारत की उत्तरीय सीमा कहलाती है । आप इस भौगोलिक तथ्य से भाग नहीं सकते हैं । इसके अतिरिक्त भी प्राचीन ग्रन्थ राजतरंगिणी तथा अन्य ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर आपको यही मालूम हो जायेगा कि भारत और काश्मीर युगों से एक साथ—एक ही गठजोड़ में—रहे हैं। यह कहना व्यर्थ है कि भारत की अपेक्षा मध्य एशिया के साथ ही काश्मीर का अधिक सम्बन्ध है। प्रधान मंत्री जी ने यह भी बताया कि उक्त करार से काश्मीर भारत का एक अंग बन चुका है। मैं बतला दूंगा कि काश्मीर सदा से भारत का एक अंग रहा है, अतः भविष्य में इसको आत्मसात करने का प्रश्न नहीं उठता । उन्होंने यह भी कहा था कि कानून, संविधान अथवा किसी अन्य दृष्टि से पाकिस्तान का काश्मीर में कोई भी काम नहीं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान या उसके पिट्ठू आज़ाद काश्मीर ने अभी भी काश्मीर के एक तिहाई भाग पर अपना अधिकार जमा रखा है । और यह सब उन्होंने तलवार और बन्दूक के बल पर किया । अब

[डा० एन० बी० खरे]

हमें यह बताने से क्या लाभ है कि तथ्य और कानून की दृष्टि से काश्मीर ने भारत में प्रवेश किया है। कुछ भी हो, जिनका अधिकार हो, कानून भी उन्हीं का साथ देगा। और यदि यह बात सही है कि १९४७ से ही काश्मीर ने भारत में प्रवेश किया तो हमारे प्रधान मंत्री किस प्रकार वहां से पाकिस्तानियों को निकाल सकेंगे? हम कभी भी यह बात नहीं बतला सकते। मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना चाहता क्योंकि अब शीघ्र ही हमारे प्रधान मंत्री जी की मिथ्या भ्रान्ति दूर हो जायगी। प्रधान मंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया था कि संविधान द्वारा गठजोड़ की अपेक्षा दिलों का गठजोड़ अधिक दृढ़ और टिकाऊ रहता है। उन्होंने यह भी बताया कि सामन्तशाही का विरोध होने के कारण हम काश्मीर के निकट हैं और हम ने उन्हें सहायता भी दी है ताकि वे सामन्तशाही का विरोध कर सकें। ठीक है किन्तु जब अन्य राज्यों ने भी भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में, और सामन्तशाही का विरोध करने में साथ दिया तो क्यों अकेले काश्मीर के साथ यह अलग बर्ताव किया जाता है। स्वयं मैं सामन्तशाही का समर्थक नही हूं, और चाहता हूं कि वह आमल समाप्त हो जाय।

किन्तु, यदि आप सामन्तशाही शासकों को उड़ा देना चाहते हैं, तो क्यों आप अकेले काश्मीर को ही इसका विषय बना रहे हैं? आखिर अन्य राजे भी हैं जो काश्मीर के महाराज से अधिक अपराधी हैं। यदि आप राजाओं को उड़ा देना चाहते हैं तो आप उस निजाम को हटा दीजिये जिसने १० लाख रुपये के शस्त्र रज़ाकारों को दिलाये थे। हां, पैतृक शासन, सामन्तशाही शासन का उन्मूलन बिल्कुल ठीक है, किन्तु वर्तमान लोकतंत्रात्मन ढर्रे में कोई भी भारतीय शासक मध्यस्थ (अस्थायी) शासक नहीं है। वह इस राजतन्त्र में, संविधान की दृष्टि में, शासन की गद्दी संभाल रहा है। यदि हर किसी राज्य में राजाओं की नियुक्ति गलत समझी जाती है तो उन सभी को हटा दीजिये। हां, एक और बात कहूंगा कि नागों और सिखों ने अलग राज्यों की मांग की और हमारे प्रधान मंत्री ने उनकी मांग रद्द करदी, यह इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों सीमान्त के राज्य थे। तो, मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहत हूं कि काश्मीर नाग और सिख जनसंख्या वाले क्षेत्रों से अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि इस राज्य की सीमायें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस और चीन से मिलती है। काश्मीर राज्य की स्थिति हमारे लिए बहुत ही भयावह है, अतः इस प्रकार की व्यवस्था ठीक भी नहीं।

हां, तो मैं बता रहा था कि शेख अब्दुल्ला बहुत ही चतुर और कपटी हैं। यदि आप चाहें तो मैं आपके सामने एक चिट्ठी पढ़ूंगा जिससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि यह व्यक्ति किस तरह दो रुखी चाल चलते हैं। मैं एक और बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा और वह यह है कि काश्मीर की समस्या संयुक्तराष्ट्र संघ से वापिस ली जानी चाहिये, क्योंकि जब तक यह समस्या उनके समक्ष रहेगी, काश्मीर में जनमतसंग्रह की बात भी रहेगी; और जहां जनमत संग्रह की बात चली, वहां जल्दी से इस समस्या को सुलझाया नहीं जा सकेगा।

श्री दातार (बेलगांव उत्तर): काश्मीर प्रदेश हमें बहुत ही प्यारा है। अशोक के समय से काश्मीर भारत का भाग रहा है। काश्मीर प्रदेश में बुद्ध मत पनपा, इसी देश में रहने वाले काश्मीरी पंडितों ने हमारी वैदिक संस्कृति को सुरक्षित रखा और इसका भरण-पोषण किया। इन कारणों से हम इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि काश्मीर भारत का एक स्थायी अंग बना रहे। हमारा यही प्रयत्न होगा कि काश्मीर अपनी इच्छा से

भारत का अंग बन कर रहे। इस बात की प्राप्ति के लिए हमें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमारे यहां, श्री जिन्ना से पहले भी, इस प्रकार की विचारधारा थी कि हिन्दू भारत और मुसलिम भारत नाम के दो खण्डों में भारत का विभाजन हो। यह हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है। मैं यह चाहता हूं कि अब भविष्य में और इस प्रकार की गलती न हो, विशेषतया, काश्मीर के सम्बन्ध में विभाजन की बात नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे भारत में मुसलिम बहुसंख्या के कुछ स्थान थे जो मुसलमानों के हाथों में आ गये, किन्तु काश्मीर के सम्बन्ध में यह बात लागू नहीं हो सकती क्योंकि तथ्य ऐवं कानून के आधार पर उस प्रदेश का प्रवेश भारत में हो चुका है। अतः यदि इस समस्या को सावधानी से और चतुरता से सुलझाया गया तो संभव है कि काश्मीर भारत का स्थायी अंग बनकर रहेगा। इस बात के लिए हमें काश्मीर का इतिहास देखना पड़ेगा। मैं इतिहास के अन्धकार युग अथवा धुंधले युग में नहीं जाना चाहता, बल्कि वहां का पिछले १०० वर्ष का इतिहास दोहराना चाहता हूं। १८४६ में अमृतसर का संधिपत्र हुआ था, जिसके अन्तर्गत काश्मीर राज्य के ३-४ महा-खंड वहां के वर्तमान शासक के किसी पूर्वज के हाथ आये। उसी समय से वहां हिन्दू शासन—यानी हिन्दू शासक का शासन—होता रहा। किन्तु, दुर्भाग्यवश, इस हिन्दू शासक का इतिहास अवांछनीय था। वह कुछ भी रहा हो, काश्मीर भारत का अंग था, और जब ब्रिटिश शासकों ने सारे भारत पर अधिकार जमाया, तो उस समय अन्य भारतीय राज्यों की भांति इसको 'सहायक सम्बन्ध' का नाम दिया गया, और यह प्रदेश भारत की एक रियासत के रूप में परिवर्तित हुआ। इसके बाद अशुभ १९४७ की घटनाओं का युग छा गया। जून १९४७ में ब्रिटिश सरकार ने इस बात की घोषणा की भारत की तथा कथित रजवाड़ों की रियासतों से ब्रिटिश सत्ता उठ गई। उस समय सभी रियासतों ने अपने आपको स्वतन्त्र समझा और अपनी प्रजा से इच्छानुसार बर्ताव करने लगे। तो इस प्रकार जून, १९४७ में ब्रिटिश सरकार की सार्वभोम सत्ता समाप्त होने के बाद काश्मीर के शासक ने न भारत में प्रवेश किया और न पाकिस्तान में। किन्तु उस समय उसने एक वक्तव्य दिया, जो भारत सरकार में प्रवेश करने के समझौते की लिखा-पढ़ी की श्रृंखला में अंतिम कड़ी समझा जाता है। उसमें महाराज ने बताया कि मैं अभी इस बात पर विचार कर रहा हूं कि पाकिस्तान अथवा भारत में प्रवेश करूं या स्वतन्त्र रहूं। इसके बाद काश्मीर ने पाकिस्तान के साथ एक "निश्चल समझौता" किया। उस समय बहुत सी घटनायें हुईं। पाकिस्तान ने इस सुन्दर प्रदेश के सौन्दर्य को कुचलना चाहा ताकि यह पाकिस्तान के साथ रहे। घटनाओं की बहुत ही तेज़ गति रही, और अन्ततः पाकिस्तान ने सीमान्तनिवासियों को नाममात्र नेतृत्व दे कर अपनी सेनाओं से काश्मीर पर चढ़ाई कराई। अक्तूबर १९४७ में काश्मीर के महाराज को भारत से सहायता मांगनी पड़ी। यहीं पर भारत के इतिहास का स्वर्णमय अध्याय प्रारम्भ होता है जबकि उसने काश्मीर को बचाने के लिए हर प्रकार की सहायता भेज दी। सहायता भले ही करोड़ों रुपयों तक पहुंच गई है—कई ऐसे सदस्य भी हैं जो कहा करते हैं कि इतनी सहायता देकर भारत ने अपनी हानि की—और मैं समझता हूं कि भारत ने मनुष्यता के नाम पर इतने रुपये व्यय करके उन करोड़ों रुपयों का सदुपयोग किया है। सहायता पहुंचने के साथ ही काश्मीर टिक गया और आप अपने पैरों पर खड़ा रहने लगा। मैं समझता हूं कि भारत ने मनुष्यता के नाम पर यह सबसे बड़ा काम किया। अभी कुछ दिन हुए हैं, मैंने "फाइट फार काश्मीर" (काश्मीर के लिए लड़ो) नाम की एक पुस्तक

[श्री दातार]

पढ़ी, जो एक हिन्दू भारतीय ने लिखी है। मैं इसलिए हिन्दू शब्द का वर्णन करता हूं कि हिन्दू महासभाइयों को तसल्ली हो—उस हिन्दू-भारतीय का नाम राम प्रकाश है। यदि आप इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आयेंगे और आप जान लेंगे कि काश्मीर में किस प्रकार 'व्यभिचार' हुआ था। इसके बाद तीन बातों के सम्बन्ध में काश्मीर ने भारत में प्रवेश किया, और अन्य बातों के सम्बन्ध में धीरे-धीरे समझौता होने वाला था। इसी समय हमारे यहां संविधान सभा का काम चलने लगा और सौभाग्य से इस सभा में काश्मीर के प्रतिनिधि सदस्य भी थे। उन्होंने और हमने मिलकर यहां का संविधान बनाया जो राष्ट्र के समन्वय तथा स्थिति की सचाई समझने के लिए बहुत ही लाभप्रद था। इस संविधान में अनुच्छेद १ तथा अन्य अनुच्छेदों जैसे उपबन्ध हैं जिन से यह सिद्ध हो जाता है कि काश्मीर को संविधानिक दृष्टि से भारत का पूर्ण तथा महत्वपूर्ण अंग समझा जाता है। काश्मीरी भाषा को प्रादेशिक भाषा का स्तर दिया गया है, और इसके साथ ही काश्मीर और जम्मू भाग ख राज्यों में सम्मिलित हो गये। किन्तु परिस्थिति इतनी विचित्र थी और इतनी सही थी कि उस पर ध्यान देना पड़ा। राष्ट्रपति ने काश्मीर के महाराज को इसलिए मान्यता दी कि वह भारतीय संविधान में ठीक जच सके। इसी बीच यह भी स्पष्ट हुआ कि काश्मीर की समस्यायें हैदराबाद या मैसूर राज्य की समस्याओं से भिन्न हैं। एक और बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। काश्मीर का भारत में जो प्रवेश हुआ है, वह शासक की स्वेच्छा से ही नहीं, बल्कि काश्मीर की सबसे बड़ी लोकप्रिय पार्टी के नेता की इच्छा और अनुमति से हुआ है। जहां तक शेख अब्दुल्ला का प्रश्न है, यह कहना सर्वथा ग़लत है कि वह संप्रदायवादी हैं और उनकी पार्टी मुसलिम कांफ्रेंस है। कई वर्षों तक मुसलिम कांफ्रेंस नाम की एक संस्था थी, किन्तु जब इस पार्टी को सत्ता और शक्ति प्राप्त हुई, तो उसका लाभ न केवल ७८ प्रतिशत मुसलमानों को मिला अपितु २२ प्रतिशत हिन्दुओं को भी मिला। अतः इन परिस्थितियों में २२ प्रतिशत जनसंख्या को किसी दबाव में नहीं लिया गया। वहां की यही मुसलिम कांफ्रेंस राष्ट्रीय कांफ्रेंस में परिवर्तित हुई, जिसमें सभी जनता के हितों का प्रतिनिधित्व होने लगा। हमने अभी कुछ दिन पहले शेख अब्दुल्ला का भाषण सुना; उनकी नीति और गतिविधियों से हमें यही निष्कर्ष मिलता है कि काश्मीर राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य माना जा रहा है, और वहां के सभी लोगों से एक सा बर्ताव किया जा रहा है। यह ठीक है कि कहीं कहीं कुछ अपवाद होते हैं, किन्तु उनका राज्य की नीति से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। भारत के संविधान में कई ऐसे उपबन्ध हैं जिन्होंने काश्मीरियों को आकर्षित किया है। काश्मीरियों ने तानाशाही के साथ संघर्ष किया। इसी प्रकार भारत के अन्य राज्यों में भी संघर्ष होते रहे। सरदार वल्लभभाई पटेल को धन्यवाद दीजिये कि सभी राज्य संगठित हो चुके हैं और भारत में विलय हो चुके हैं। राज्यों के सभी शासक बिना किसी हिंसा के मंच छोड़कर चले गये हैं। अभी भी कई शासक हैं जिन्हें राजप्रमुख कहते हैं। मैं यह भी बता दूं कि इन राजप्रमुखों का 'राजप्रमुखत्व' भी शीघ्र ही समाप्त हो जायेगा, और वे शासक आगामी १५–२० वर्षों में अदृश्य होते नजर आयेंगे।

मैं उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब सारा भारत काश्मीर की संविधान सभा का अनुकरण करेगा। काश्मीर से पैतृक राजतन्त्र, जमींदारी आदि का उन्मूलन हो चुका है—यह वहां की सबसे बड़ी बात है जिसे

हमें अपनी नीति में आत्मसात् करना चाहिए। मेरी यही प्रार्थना है कि हम सभी संकोच छोड़ कर उदारता से काम लें और काश्मीर की सुरभ्य घाटी का बटवारा न होने दें। अब तो स्थिति कुछ इसप्रकार की हो रही है कि काश्मीर भारत का एक अंग बन रहा है। यदि यहां के सभी सदस्य स्थिति को सही ढंग से समझ लें और दूरदर्शिता से काम लें तो काश्मीर भारत का एक अंग बन कर रहेगा। साम्यवादी दल के सदस्यों ने भारत-काश्मीर करार से सहमति प्रगट की है, और अब मैं जनसंघ, हिन्दू महासभा तथा अन्य पार्टियों से यही प्रार्थना करूंगा कि भारतीय संस्कृति के संचयन के लिए वे भी इस करार से सहमत हों। हम हिन्दू संस्कृति का नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का संचयन चाहते हैं। भारतीय संस्कृति एक समान—सब की मिली जुली संस्कृति है, किसी संप्रदाय की संस्कृति नहीं, और आप यदि चाहते हैं कि संस्कृति को दृढ़ता प्राप्त हो और काश्मीर स्थायी रूप से भारत का अंग बने, तो आप एक उचित रवैया रखें और यथार्थ रूप से इस प्रश्न पर विचार करें। मेरी यह प्रार्थना है कि ईश्वर हम सभी लोगों को बुद्धिमता प्रदान करे ताकि हम अपनी भूतकाल की त्रुटियों से सीख लें। हमें अब भारत के किसी भी अंग का खंडन नहीं करना चाहिए।

श्री वी० जी० देशपांडे उठे—

सभापति महोदय : अब माननीय श्रीमती विजय लक्ष्मी अपने विचार प्रकट करें।

श्रीमती विजय लक्ष्मी (जिला लखनऊ —मध्य) : मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। मैं प्रधानमंत्री जी द्वारा बताई गई बातों को दोहराना नहीं चाहती किन्तु काश्मीर-स्थिति के एक-दो पहलुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं क्योंकि उन पहलुओं पर अभी पूरा विचार नहीं किया गया। अक्तूबर १९४७ में मैं उस स्मरणीय दिवस पर न्यूयार्क में थी जब भारत सरकार ने अपनी सेनायें श्रीनगर भेज दी थीं और मैंने उस कार्यवाही के सम्बन्ध में संयुक्तराज्य अमरीका के सेक्रेटरी आव स्टेट, जनरल जार्ज मार्शल को उस बात की रिपोर्ट दी। संयुक्तराष्ट्र संघ तथा उसके बाहर मुझे जनसाधारण एवं अन्य राजनीतिज्ञों की काश्मीर समस्या पर प्रतिक्रिया जानने का अवसर मिला। इसी के कुछ महीने बाद मैं मास्को में थी, और इसके बाद दूसरे वर्ष जब 'युद्धबन्दी' पर सहमति प्रकट की गई, मैं पैरिस में थी, जहां संयुक्तराष्ट्र सभा का अधिवेशन हो रहा था। इन सभी अवसरों पर मुझे और प्रत्येक व्यक्ति को यही बात बार बार मस्तिष्क में खटकती थी कि पाश्चात्य व्यक्ति के लिए संसार के मानचित्र पर काश्मीर एक भौगोलिक धब्बा सा है। उन्हे काश्मीर के भारत के साथ सम्बन्ध या भारत की काश्मीर के साथ मैत्री से कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, न तो प्रवेश की पेचीदगियों में उनकी कोई रुचि थी—हां, यह स्मरण रहे कि उस समय उन के मस्तिष्क में यह बात थी कि कहीं तीसरा विश्वयुद्ध न हो—उन्हें केवल इस बात की चिन्ता हो रही थी कि काश्मीर की इस स्थिति से कहीं तीसरे विश्वयुद्ध की आशंका होने का खतरा तो नहीं है। इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण, यदि भारत कोई कदम उठाये तो क्या क्या खतरे रास्ते में आ सकते हैं? यही देखने की चीज़ है। और यही पाश्चात्यों की धारणा है—जो मैं आपके सामने रख रही हूं। मैं जितना भी समय वाशिंगटन में रही, मुझे वहां के लोगों की प्रतिक्रिया जानने का अवसर मिला और मैं ने उन्हे यही आशंका प्रकट करते हुए देखा कि कहीं तीसरे विश्वयुद्ध का घंटा तो बजने वाला नहीं है। काश्मीर समस्या को सुलझाने में भी कदाचित यही देर है। और यह भी है कि पश्चिमी देशों में काश्मीर समस्या को आसानी से नहीं समझा जाता।

[श्रीमती विजय लक्ष्मी]

हो सकता है इसमें हमारा ही कोई दोश हो और इस समस्या के शीध्र निबटारा न होने के कारण स्वयं मैं बहुत ही चिन्तित हूं, लेकिन मैं सदन से यह प्रार्थना करती हूं कि इस प्रश्न को जल्दी से सुलझाया नहीं जा सकता। यह सही है कि काश्मीर समस्या हमारे लिये राष्ट्रीय महत्व की है लेकिन यह सत्य है कि संयुक्तराष्ट्र संघ में चले जाने से हम ने सारे संसार का ध्यान काश्मीर की ओर आकर्षित किया है, अतः हम जो कोई भी कदम उठायें या जो कोई भी कार्यवाही करें वह हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्रात्मक गणतंत्र के सिद्धान्तों और स्वीकृत आदर्शों से संगत और उन ही के अनुसार होने चाहियें। इसमें जल्दबाज़ी नहीं की जा सकती, क्योंकि हमें दुनिया का सामना करना है और यदि दुनिया इस बात को समझने में सुस्त है तो हमारी प्रगति भी सुस्त रहेगी। प्रधान मंत्री जी ने भी बतलाया है कि आज के संसार में जल्दबाज़ी करना ठीक नहीं, जो कोई भी काम हो सावधानी से हो। भले ही हमारे हितों पर आघात पहुंचता हो या वे हित खतरे में पड़ते हों, किन्तु हमें चाहिये कि हम कोई भी काम करने से पहले उस पर सौ बार सोच लें।

यहां यह बतलाया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ से इस मामले को वापिस क्यों नहीं लिया जाता, और प्रधान मंत्री जी ने इस की ओर निर्देश भी किया है। सदन में तथा यहां से बाहर बहुत से लोग यही कहा करते हैं कि इतनी देर में भी जब कोई निर्णय नहीं किया गया तो काश्मीर की समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष क्यों रखा जाता है। तो, अब यदि हम यह मद वहां से हटा भी लें तो उस पर संसार की क्या प्रतिक्रिया होगी। प्रधान मंत्री जी ने यहां यह भी बतलाया कि हम संसार की प्रतिक्रिया के कारण इस मामले को वहां से वापिस भी नहीं ले सकते, क्योंकि उस से और बातों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिये कि हम आपस में इस मामले को निपटा नहीं सके तो सुरक्षा समिति अपना निर्णय देगी—चुनांचि सुरक्षा समिति ने एक बार ऐसा ही किया था और हमने उसे रद्द कर दिया। हम भले ही इस मामले को वहां से वापिस लेना चाहें, किन्तु प्रविधिक दृष्टि से हम ऐसा नहीं कर सकते। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के मूल सिद्धान्तों के अनुसार हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता —और यह बात हमारे सम्बन्ध में ही नहीं अपितु सभी राष्ट्रों के सम्बन्ध में है।

हमारे देश का कुछ ऐसा स्वभाव रहा है कि हम समस्याओं का बहुत ही साधारणीकरण करते हैं। किन्तु काश्मीर की समस्या इतनी पेचीदा है कि हर कोई क़दम सोच सोच के उठाना पड़ता है। जो लोग प्रायः यह कहा करते हैं कि काश्मीर में भारत का पैसा, जनबल और समय नष्ट हो रहा है, मैं उन की इस बेसोची पर आश्चर्य प्रकट नहीं करती, अपितु उन्हें निन्दनीय समझती हूं। मुझे लोगों की इस प्रकार की बातें सुन कर बड़ा आश्चर्य होता है। वे कहा करते हैं कि यही पैसा भारत में शिक्षा, उद्योग, और स्वास्थ्य पर खर्चा जाता—हो सकता है कि लोगों का मत ठीक विचार हो किन्तु संसार में कई एक ऐसी बातें हैं जो राष्ट्रीय आवश्यक से अधिक महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्र का सम्मान उन में से ही है। तो लोगों की कड़ी आलोचना पर हम इन बातों को भुला नहीं सकते, और हम यह भी चाहते हैं कि हमारे आलोचक उन सभी घटनाओं और कहानियों का स्मरण करें जो हमारे शूरवीरों के साथ काश्मीर की रक्षा करते करते बीत चुकी हैं। हम अहिंसावादी हैं, और यथार्थ यह है कि हमें प्रतिज्ञा का पालन करने के साथ साथ अपने सम्मान और स्वातंत्र्य की रक्षा करनी होगी। भला बताइये कि यदि हम अपने

आयव्ययक के आंकड़ों पर ही ध्यान देते रहें तो किस प्रकार उन प्रतिज्ञाओं का पालन हो सकता है। इस में कोई संदेह नहीं कि हमें इन बातों पर विचार करना होगा, किन्तु हम इन्हें राष्ट्रीय सम्मान के मुक़ाबले में तोल नहीं सकते।

हम ने काश्मीर की कई बातों की आलोचना की है। हम ने इस बात की ओर निर्देश किया है कि हमें उन पर कोई विश्वास नहीं, संदेह बढ़ता जा रहा है, आदि आदि। किन्तु मैं यह जानना चाहती हूं कि ऐसी कौन सी बात हुई है कि भारत सरकार और काश्मीर के नेताओं के बीच की मत्री में कोई असर पड़ गया है। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने स्थिति को ठीक तरह से नहीं समझा है, और वे बेपरकी हांक रहे ह। साम्यवादी पार्टी से मुझे सहयोग की आशा थी, चुनांचि उन्हों ने सहयोग दिया, लेकिन अन्य पार्टियों ने काश्मीर में भूमि सुधार की नीति तथा अन्य बातों में हुए परिवर्तनों पर कड़ी आलोचना की, जिस पर मुझे आश्चर्य प्रकट करना पड़ रहा है। यह स्पष्ट है कि जब तक काश्मीर दृढ़ नहीं होता, जब तक वहां के जनजीवन में लोकतंत्र की छाप नहीं पड़ती, जब तक वहां के लोग भविष्य के सम्बन्ध में सुरक्षित अनुभव नहीं करते, तब तक काश्मीर की समस्या सुलझ नहीं सकती। और यह भी है कि जब तक कोई निश्चय नहीं होता, ऐसी छोटी छोटी बातें पैदा हो सकती हैं जिन से काश्मीर की समस्या और भी उलझ जाये। आजकल गणतंत्र का आधार मुख्यतया रोटी तथा भूमि पर है। यदि इन दोनों की समस्या सुलझ गई तो गणतंत्र की समस्या भी सुलझ जायेगी। हम गणतंत्र की इतनी चर्चा करते रहते हैं हमें अपने संविधान का गौरव प्राप्त है, किन्तु जब तक इस संविधान को जनजीवन में पिरोया नहीं जाता और जब तक खाद्य समस्या —जो सारे विश्व की एक समस्या है— सुलझाई नहीं जाती, और जब तक भूमि से पूरा उत्पादन, और उसका पुनःवितरण नहीं होता तब तक हम देश की समस्याएं सुलझा नहीं सकते। भले ही सुन्दर से सुन्दर भाषा में संविधान लिखा जाय, जब तक उस को कार्यान्वित नहीं किया जाता, तब तक आप लोगों को विश्वास भी नहीं दिला सकते; और फिर लोग कहां तक प्रतीक्षा करते रहेंगे। आपको उनका सामना करना होगा। अतएव मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि काश्मीर के मुख्य मंत्री ने जिस तरह भूमि का पुनः वितरण किया, वह बहुत ही उचित रीति से किया, और उसका परिणाम न केवल काश्मीर में निकलेगा, अपितु काश्मीर को आदर्श मान कर अन्य स्थानों में उसका अनुसरण किया जायेगा। हमें काश्मीर के मुख्य मंत्री की कार्यवाही से सीख लेना चाहिये, और समस्यायें प्रस्तुत होने से पूर्व ही भूमि सुधार करना चाहिये। इसमें संदेह नहीं कि कई लोगों ने नई व्यवस्था के विरुद्ध शोर मचाया है। उन का यह आचरण ठीक नहीं। उन्हें इस बात की परेशानी हो रही है कि चूंकि सामन्तशाही समाप्त हो रही है अत उनके हित बरबाद हो रहे हैं। कुछ भी हो, हमें उन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिये।

हमें धर्मनिरपेक्ष राज्य का पालन करना है, और इस के लिये हमें दृढ़ रहना पड़ेगा। मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं होता जब मैं अन्य देशों में भी इस प्रकार की बातें होते हुए सुनती हूं। अभी हाल की बात है कि विदेश के एक उच्चाधिकारी ने मुझ से यह पूछा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या मतलब है। मेरे बहुत कुछ समझाने के बावजूद भी वह समझ नहीं सका, और आखिर मुझे कहना पड़ा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से धर्म-स्वातंत्र्य तथा समान प्रकार से अवसर अभिप्रेत हैं। चुनांचि वह महाशय मेरी यह बात सुन कर प्रसन्न हुए और

[श्रीमती विजय लक्ष्मी]

उन्हों ने आश्चर्य प्रकट किया कि आज तक किसी भी व्यक्ति ने उन्हें इस तरह की व्याख्या नहीं बताई थी। भले ही यह एक निरर्थक कहानी दिखाई दे, हमें बार बार यह जताना पड़ेगा कि भारत में जीने और भिन्न भिन्न रीतियों से पूजा-पाठ करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता है। और यहां बिना किसी धर्मभेद के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दिये जायेंगे। चुनांचि काश्मीर सरकार इस आदर्श की पाल रही है और उन की ये दोनों बातें हमारी सरकार की नीति से मिलती हैं। अतः यदि हम उनका समर्थन नहीं करते तो, सदा ही उन्हें शत्रुओं का भय रहेगा।

यों तो आज कल सारे संसार की स्थिति बहुत ही नाज़ुक है किन्तु एशिया की स्थिति और भी नाज़ुक है। मैं इस विषय के अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहती। सभी माननीय सदस्य विश्व की स्थिति के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में पढ़ते होंगे, किन्तु मैं यह बताना चाहती हूं कि राष्ट्रों के भाग्य भी मनुष्यों के भाग्यों की तरह बदलते रहते हैं। कभी कभी ऐसे परिवर्तन होते हैं कि सारा ढर्रा पलटता नज़र आता है। काश्मीर की समस्या हमारे लिये एक प्रतीक के रूप में है। यदि हम उसको सुलझा सके तो हम अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझा सकेंगे। यदि हम इस में सफल रहे तो मनुष्यमात्र की स्वतंत्रता में हमारे देश का एक और अध्याय जुड़ जायेगा।

श्रीमती सुचेता कृपआनी (नई दिल्ली) : काश्मीर का प्रश्न इतना उलझा हुआ और पेचीदा प्रश्न है कि मुझे अपना मत प्रकट करने में झिझक होती है। हो सकता है कि आप एक बात कहें और उसे किसी दूसरे अर्थ में लिया जाय, अतः मैं चन्द एक ऐसी बातें बता दूंगी, जिन के कारण भारत में इस विषय पर बहुत आलोचना हुई है दुर्भाग्यवश मैं उस समय अनुपस्थित थी जब प्रधान मंत्री जी ने काश्मीर के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया था और उस क़रार का उल्लेख किया था जो काश्मीर के मुख्य मंत्री और उनके बीच हुआ। उन्हों ने बताया "हम काश्मीर की जनता की इच्छा तथा संविधान के उपबन्धों के अनुसार बहुत ही संतोषजनक निष्कर्षों पर पहुंच चुके हैं।" मुझे यह कहते हुए झिझक हो रही है कि हम सभी भारतीयों का यही विचार और इस प्रकार का अनुभव नहीं है। कितना ही अच्छा होता कि हम सभी का यही अनुभव होता और हम भी यही कहते कि उक्त क़रार संविधान के उपबन्धों के अनुसार किया जा चुका है। हमें इस बात का डर है कि कहीं इस क़रार से देश में कुछ और कठिनाइयां पैदा न हो जांय। अतः कोई भी क़रार करने से पहले हमें इस प्रश्न के दोनों पक्षों पर विचार करना होगा।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जहां तक आन्तरिक स्वायत्तता का वह चाहे राजनीतिक हो अथवा सांविधानिक--प्रश्न है, काश्मीर को किसी अन्य राज्य की अपेक्षा विशेष प्रतिष्ठा प्रदान की जा चुकी है। हो सकता है कि काश्मीर को दी गई रियायतें आवश्यक रूप से ग़लत न हों, किन्तु हम ने यह देखना है कि इस प्रकार की प्रतिष्ठा प्रदान करके हम कोई असाधारण बात तो नहीं कर रहे हैं, जिस से अन्य रियासतें भी हम से इसी प्रकार की रियायत मांग लें। अब हमें यह देखना है कि काश्मीर के विषय में किस प्रकार का रवैया लिया जाय--क्या उस को विशेष रियायतें दी जांय या नहीं--प्रधान मंत्री जी ने जो भी तर्क पेश किये हैं, मुझे संदेह है,--वे पर्याप्त नहीं न तो हम उनसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हम ऐसे युग में रह रहे हैं जब भारत को संगठित होना चाहिये। भारत सदा ही लड़ता-झगड़ता रहा है, और अब यहां

इस प्रकार की झगड़ालू प्रवृत्तियां दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं। मद्रास के मुख्य मंत्री, जो किसी समय भारत के गवर्नर जनरल थे, और कुछ समय केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे, इस राज्य के लिये अधिक से अधिक रियायतें दिलवाने का प्रचार कर रहे हैं—और मुझे यह बातें सुन कर बड़ा आश्चर्य होता है। यदि आप एक राज्य को कुछ अधिक शक्ति प्रदान करेंगे तो दूसरे राज्य भी आप से इसी प्रकार की मांग करेंगे। अतः हमें इस बात पर विचार करना है कि काश्मीर को इतनी अधिक रियायतें देकर हम कहीं भारत को हानि तो नहीं पहुंचा रहे हैं।

अब हम उन बातों को लेंगे जो संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

सर्वप्रथम बात जो हमारे प्रधान मंत्री जी ने कही, काश्मीर के लिये विशेष नागरिकता श्रेणी की है। वहां के महाराजा के दिनों में नागरिकता की चार प्रकार की श्रेणियां थीं; और मेरी समझ में नहीं आता कि क्या अब उन ही श्रेणियों को जारी रखा जायेगा। काश्मीर को नागरिकता का एक विशेष अधिकार दिया जाता है—क्यों? इस के लिये बताया जाता है कि ग़ैरकाश्मीरी काश्मीर जा कर वहां के लोगों का शोषण करेंगे। और उन्हें भूमि से वंचित करेंगे। मुझे इस बात का भी निश्चय है कि भारत के लोग वहां जाने के लिये इतने चिन्तित नहीं हैं, न तो वहां बसना चाहते हैं। (**एक माननीय सदस्य**: वह ज़रूर चिन्तित हैं, और बसना चाहते हैं) क्षमा कीजिये, मेरा ऐसा विचार नहीं है। मुझे इस बात का निश्चय है कि हमारे देश में प्रान्तीयता है, और एक प्रान्त के लोग किसी अन्य प्रान्त में नहीं जाया करेंगे। यदि हो सके तो बंगाली बंगाल में, पंजाबी पंजाब में और सिन्धी सिन्ध में जाकर ही बसना पसन्द करेगा। मान लिजिये कि इस प्रकार का कोई आपाल पड़े तो उस समय काश्मीर सरकार पाबन्दी लगा सकती है—लेकिन संविधान में क्यों इस प्रकार का परिवर्तन निविष्ट किया जाता है कि यहां के लोग काश्मीर में भूमि नहीं ख़रीद सकते। संविधान में नागरिकता का एक उपबन्ध है ही अतः आप काश्मीर के लिये एक और विशेष अधिकार क्यों उपबन्धित कर रहे हैं? भले ही जनता के कमज़ोर भाग की रक्षा के लिये या लोगों का निष्क्रमण रोकने के लिये, अथवा भूमि की कोई विशेष मात्रा बचा रखने के लिये इस प्रकार का क़ोई क़ानून बनाया जा सकता है, लेकिन आप की इस प्रकार की कार्यवाही में ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इस तरह आप किसान को भी भूमि ख़रीदने से रोक सकते हैं। मान लीजिये कि कोई कृषक काश्मीर में भूमि ख़रीदना चाहता हो—तो क्या आप उसे आज्ञा देंगे या नहीं? और यदि प्रत्येक राज्य ने इसी प्रकार क़ी पाबन्दी लगादी तो क्या भारत एक संगठित राष्ट्र रह सकता है? मैं सरकार क़ी इस कार्यवाही को प्रगतिशील नहीं अपितु अवनतिशील समझती हूं—इसमें समाज या अर्थनीति की बात नहीं, अपितु राजनीति की चाल है। इसी प्रकार आप मूल अधिकारों का अपवाद लेकर काश्मीर के भूमि-सुधार में बाधा बनना चाहते हैं, और काश्मीर को विशेष रियायतें देते हैं—यह कहां तक उचित है।

प्रधान मंत्री जी ने अपने प्रेस वक्तव्य में वहां के भूमि सुधार की प्रशंसा की और इस बात पर असंतोष प्रकट किया कि भारत की दशा इस प्रकार की है कि कोई भी सुधार होने नहीं देते। मैं उन से पूछना चाहती हूं कि यदि भूमि-सुधार ठीक है तो उसी प्रकार के सुधार यहां भारत में भी क्यों नहीं किये जाते? संविधान में संशोधन करके भारत और काश्मीर को इन बातों के सम्बन्ध में एक ही स्तर पर लाया जा सकता है। यह स्वाभाविक है कि लोग आप से पूछ लें कि यदि काश्मीर में इस

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

प्रकार के सुधार हुए तो भारत में क्यों नहीं होते ?

हम सभी तो पैतृक शासन का विरोध करते हैं, किन्तु काश्मीर की स्थिति विचित्र है। यदि आप काश्मीर में से पैतृक शासन तंत्र को उड़ा रहे हैं तो अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार से क्यों नहीं किया जाता। यह एक सीधा-सा प्रश्न है कि यदि राज्यशाही को काश्मीर में से उड़ा दिया गया तो हैदराबाद में भी इसी प्रकार का सुधार या परिवर्तन क्यों नहीं किया जाता। इसके लिये यदि आप संविधान में परिवर्तन करलें तो हम सभी आपका समर्थन करेंगे। हम चाहते हैं कि राज्यशाही समाप्त हो जाय।

इसके पश्चात् झण्डे का प्रश्न आता है। आप कहते हैं कि किन्हीं कारणों से नहीं अपितु भावुकता की रक्षा के लिये काश्मीर में वहां की नेशनल कांफ्रेंस पार्टी का झण्डा राज्य का झण्डा रखा गया। मैं भी कांग्रेस में रह चुकी हूं, किन्तु जब राज्य के झण्डे का प्रश्न प्रस्तुत हुआ, चरखे वाला झण्डा पार्टी का रहा और राज्य के लिये अशोक चक्र वाला झण्डा रखा गया अब आप बताइये कि काश्मीर को इस प्रकार की रियायत क्यों दी गई। उधर मैसूर में भी कुछ देर पार्टी का झण्डा रहा था किन्तु उसे हटा दिया गया है भलाँ यह क्यों हो रहा है। झण्डा विशेष सार्थकता का एक प्रतीक है—और राष्ट्रीय एकता तथा संगठन का भी एक प्रतिरूप है। यदि किसी राज्य में दो झण्डे रहें तो वहांके लोग किस झण्डे से निष्ठा-बद्ध होंगे। वहां तो एक धांधली मच जायेगी। मुझे बताया गया है कि काश्मीर में भारतीय झण्डे के लिये इतनी श्रद्धा नहीं जितनी उनके अपने झण्डे के लिये है। अब बताइये कि इस प्रकार के आचरण से भारत कहां तक संगठित रह सकता है।

एक और भयानक रियायत, जिसके दि जाने के विषय में सोचा जा रहा है, यह है कि संविधान के अनुच्छेद ३५२ के अन्तर्गत आपति उपबन्धों को उपलब्ध बनाया जा रहा है। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रपति को कुछ एक अधिकार प्राप्त हैं, जिन को हम ने काश्मीर के आन्तरिक दंगों के समय लागू किये जाने के सम्बन्ध में, कम कर दिया है, यदि वहां राज्य के अन्दर कुछ गड़बड़ भी हो तो उसे वहां के राज्य-सरकार की प्रार्थना पर ही घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब ऐसा किया क्यों गया ? काश्मीर न केवल काश्मीरियों का है, अपितु भारतीयों का भी है। वहां की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि जब कभी भी वहां झगड़ा हो जाय तो हमें क्षति पहुंच सकती है। आप वहां के आन्तरिक और बाह्य झगड़ों में भेद नहीं कर सकते। इधर से जब आप ने उन को यह रियायत दे भी दी तो इस से एक विभाजित अधिकार-क्षेत्र का प्रश्न पैदा हो जाता है। और काश्मीर जैसे सीमान्त-राज्य के विभाजित अधिकार-क्षेत्र का प्रश्न किसी भी समय हमें महानाश के गर्त्त की ओर ले जा सकता है।

किसी राज्य को इतने विस्तृत अधिकार देने से पहले हमें बहुत ही गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिये। मुझे काश्मीर के नेतृत्व अथवा वहां के मुख्य मंत्री के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहना है। वे हमारे पुराने मित्र हैं, और हम उन की कठिनाइयों को भली भांति जानते भी हैं। हम उन से एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि जब हम उनकी कठिनाइयां समझते हैं तो वे भी हमारी कठिनाइयां समझ लें। वह सारे भारत के लिये सोचें, केवल काश्मीर के लिये नहीं, क्योंकि काश्मीर ने जब भारत में प्रवेश किया तो वह इसका अंग बना, और देश का एक अंग होने के नाते उसे सारे देश के हित के लिये सोचना चाहिये। वह विशेष सांविधानिक अधिकार मांग कर, तथा कुछ अन्य श्रेय प्राप्त करके, भारत की प्रतिष्ठा पर

एक धब्बा लगाना चाहते हैं, जिससे मोटे तौर पर सारे देश को, क्षति पहुंचने का डर है। मैं उन से यह भी कहना चाहती हूं कि हम हर कोई सहायता देने के लिये तैयार हैं, किन्तु उन की हम पर यह एक कृपा होगी कि वे हमारे प्रधान मंत्री से विशेष अधिकार मांगकर इन्हें परेशान न करें। यदि काश्मीर को वे अधिकार दिये जाते हैं तो अन्य राज्यों को भी देने पड़ेंगे ; और यदि देने से इन्कार किया गया तो प्रधान मंत्री जी की क्या स्थिति होगी। भारत तो एक राष्ट्र है, और ये सब राज्य इसकी इकाइयां हैं। हमें अपने राष्ट्र की और इसकी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिये। अब वह ज़माना नहीं रहा कि हम विघटित हो जायं ; और यदि हम ने ऐसी कोई भूल की भी जिससे काश्मीर को इस प्रकार की रियायतें दी गईं तो उसका बड़ा बुरा परिणाम होगा।

मैं आपकी कठिनाइयों को अच्छी तरह से समझ रही हूं। मैं अब विस्तार में नहीं जाना चाहती। प्रधान मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में सारा इतिहास दोहराया है और इस बात पर ज़ोर दिया है कि किस तरह आज हम विषम स्थिति में पड़े हुए हैं। मैं पुनः इस बात पर ज़ोर देना नहीं चाहती किन्तु, यह बतलाना चाहती हूं कि कठिनाइयों से प्राप्त की हुई स्वतंत्रता को हम खोना नहीं चाहते। यदि काश्मीर सुरक्षित रहे तो भारत भी संगठित रहेगा। हमें सब बातों का ध्यान रखना चाहिये, और इस विषय में मैं काश्मीरी मित्रों से यह प्रार्थना करूंगी कि वे काश्मीर को ही ध्यान में न रखें अपितु सारे भारत की स्थिति पर विचार करें। वे अपने आप को अलग नहीं समझें, और पूरा सहयोग देकर भारत की सुरक्षा और एकता को बनाये रखें।

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपुर) : मैं सदन-नेता द्वारा प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। काश्मीर की समस्या पर कानून के दृष्टिकोण की अपेक्षा इतिहास तथा राज्यनीति के दृष्टिकोण से ही विचार करूंगा।

सदन में बताया गया है, और सभी इस बात को मान चुके हैं कि तथ्य तथा विधि की दृष्टि से काश्मीर भारत का एक भाग है और भारत से सम्मिलित हो चुका है, किन्तु जिन शर्तों पर काश्मीर ने भारत में प्रवेश किया है, उन पर बहुत सी आपत्तियां की गई हैं। यह भी स्वीकार किया जा चुका है कि इतिहास वर्तमान राज्यनीति तथा भूगोल की दृष्टि से काश्मीर की एक विचित्र स्थिति है। मुझ से पहले बोलने वाले सदस्यों में से एक माननीय सदस्य ने यह भी बताया कि काश्मीर सदा से भारत का एक अंग रह चुका है। उन्हों ने राजतरंगिणी का हवाला भी दिया है, किन्तु मैं सविनय उनसे यह पूछना चाहता हूं कि कदाचित् अकबर के दिनों में १५८८ से यानी मुग़लों की विजय से लेकर कहीं १८वीं के मध्य तक के एक अल्पकाल को छोड़ कर कब काश्मीर राज्यनीति की दृष्टि से भारत का एक अंग था। मेरा यह अभिप्राय है कि काश्मीर २०० वर्ष से कम की अवधि तक भारत का एक राजनीतिक अंग था। बहुत समय तक वह अफ़ग़ान प्रदेश का एक भाग रहा और अफ़ग़ानिस्तान के शासन मे रहा। किन्तु मैं मानता हूं कि प्रथा तथा संस्कृति की दृष्टि से काश्मीर भारत का एक अंग था। वहां हिन्दू और बौद्ध मत की प्रथायें चली आ रही थीं, और जब हिन्दू तथा बौद्ध धर्म, संस्कृति और सभ्यता मध्य एशिया तक फैले हुए थे तो काश्मीर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के घेरे में था। इन दोनों धर्मों की प्रथायें काश्मीर में बहुत देर तक जीवित रहीं और अब भी काश्मीर के कई भागों में जीवित हैं।

किन्तु इसी के साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि भौगोलिक दृष्टि से भी काश्मीर पूर्णतया भारत का एक भाग नहीं है। इस

[श्री ए० सी० गुहा]

के कई भाग, भौगोलिक दृष्टि से, भारत की अपेक्षा अफ़ग़ानिस्तान से अधिक मिलते हैं। लदाख हिमालय के दूसरी ओर--यानी इन्डस की ऊपरी घाटी में है, अतः यह भी भारत की अपेक्षा तिब्बत से अधिक मिलता जुलता है। बलतिस्तान तथा गिलगित का भी यही हाल है।

अतः काश्मीर पर जो हमारा दावा है वह उसी ज़माने से शुरु होता है जब रंजीत सिंह ने काश्मीर पर विजय प्राप्त की थी और जब अमृतसर का संधिपन हुआ था जिस अवसर पर लार्ड डलहौज़ी ने काश्मीर की घाटी गुलाब सिंह को दी थी।

यही अधिक अच्छा होगा कि हम काश्मीर के शासक वंश के इतिहास के विस्तार में न जायें, और इस बात के लिये भी कोई दुःख नहीं होना चाहिये कि वहां के शासक वंश का क्यों उन्मूलन हुआ; न तो उन ६०० राज्यों के सम्बन्ध में कोई दुख प्रकट किया जाना चाहिये जो विभाजन से पहले भारत में ही थे।

भाषा की दृष्टि से भी काश्मीरी दार्दिक भाषा है और इण्डो-आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती। काश्मीरी भाषा आर्य भाषा तो है लेकिन इण्डो-आर्य भाषा नहीं है। ईरानी भाषा के आर्य भाषा-कुल से पृथक् होने से पहले ही काश्मीरी भाषा अपनी माता आर्य भाषा से पृथक् हो चुकी थी। चुनांचि यह भाषा संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता से अधिक मिलती-जुलती है। इधर भारत में संस्कृत भाषा का ही बाद में विकास हुआ था।

वर्तमान राज्यनीति की दृष्टि से भी हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि भारत ने किस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त की थी। हमें यह भी याद रखना चाहिये कि काश्मीर की लगभग ८० प्रतिशत जनसंख्या मुसलमान है। इसी जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान ने अपनी अलग सत्ता मांगी थी और काश्मीर पर भी दावा किया था। हमें काश्मीर के नेताओं की कठिनाइयों को समझना चाहिये। हमें बहुत प्रसन्नता हुई होती यदि अन्य राज्यों की तरह काश्मीर भी पूर्णतया भारत का एक अंग बना होता। किन्तु जो कुछ भी हुआ है, वह भारत के लिये राजनीतिक तथा नैतिक विजय का प्रमाण है।

अभी हाल में जो बातचीत हुई है उससे स्थिति में बहुत सुधार हो पाया है। यह स्वीकार किया गया है कि तीन विषयों में काश्मीर ने भारत में प्रवेश किया है। वे तीनों विषय--रक्षा, वैदेशिक कार्य तथा सम्पर्क--अपने में कोई अलग बातें नहीं हैं। ये तीनों विषय कम महत्व के नहीं और विशाल क्षेत्र में भारत को काश्मीर से मिलाते हैं।

बहुत ही बार यह भी कहा गया कि काश्मीर गणराज्य के अन्दर गणराज्य की सत्ता प्राप्त किये हुये है। कितनी ही निरर्थक बात है। सोवियत संविधान में भी सभी गणराज्य गणराज्य कहलाते हैं। जहां कहीं भी संघ की इकाइयों का प्रश्न आता है, राज्यों की सत्ता पृथक हुआ करती है।

यह भी कहा गया कि काश्मीर अलग से अपना संविधान बना रहा है--यह भी एक निरर्थक बात है। मैं समझता हूं कि कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार, १९४६ में जब संविधान सभा का कार्य आरम्भ हुआ, उस समय यह निश्चय किया गया कि भारत के भिन्न राज्य या उनके प्रतिनिधि अपने अपने संविधान बनायेंगे। और संविधान सभा केवल उनके संविधानों में संशोधन करेगी। हम जानते हैं कि अन्य राज्यों में संघबद्ध इकाइयों को अपने संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त है। मेरा विचार है कि अमरीकी संघ में भी प्रथम तेरह संघबद्ध राज्यों ने पहले अपने संविधान बनाये और बाद में उन्हों ने संघ में

प्रवेश करने का निश्चय किया। मैं समझता हूं कि रूसी संविधान में, कम से कम १९२४ के संविधान में सभी संघबद्ध इकाइयों ने अपने संविधान बनाये और बाद में संघ में प्रवेश करने का निश्चय किया। अतः इस बात में कि काश्मीर अपना संविधान बनाने का प्रयत्न कर रहा है, कोई भी विचित्रता अथवा तर्क-हीनता नहीं है।

मूल अधिकारों, विशेषतया काश्मीर में किये गये भूमि सुधारों के सम्बन्ध में, बहुत कुछ कहा जा चुका है। फ्रांस की क्रान्ति द्वारा १७८९ में उद्घोषित नागरिकों तथा मानव अधिकारों के चार्टर के अन्तिम खण्ड में बताया गया था कि सम्पत्ति अलंघ्य तथा पवित्र है। मेरा विचार है कि तब से मानवता बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब किसी भी राष्ट्र के वे मूल्य नहीं रहे हैं, और राष्ट्र की नीतियां और योजनायें बहुत हद तक बदल चुकी हैं। यदि मूल अधिकारों से हमारी उन्नति के रास्ते में बाधायें आई हैं तो हमें ऐसे अधिकारों को बदलना चाहिये। यदि काश्मीर ने इस दशा में क़दम बढ़ा कर कोई प्रगति कर दिखाई है तो हमें उसे बधाई देनी चाहिये, और उन अच्छाइयों को आत्मसात कर लेनी चाहिये। एक सप्ताह हो चुका है जब दिल्ली में भाग ख राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था, उहोंने उस में इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी राजप्रमुखों का उन्मूलन किया जाना चाहिये। उन्होंने काश्मीर को सामने रख कर इस प्रकार का दावा किया, अन्यथा वे कभी भी ऐसा नहीं कर सकते थे।

इन राज्यों के साथ विलयन के सम्बन्ध में बातचीत करते समय हमारे सामने बहुत सी कठिनाइयां थीं। उस महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रशंसा कीजिये जिस ने बहुत ही चतुरता और साहस से उन सभी राज्यों को भारत में मिलाया। इतना होते हुए भी इन देशीय राजकुमारों के साथ जो भी बातचीत की गई वह संतोषजनक नहीं रही, क्योंकि इन तानाशाहों को ऐसे अधिकार दिये गये, जो वे इतिहास अथवा सामाजिक विकास की दृष्टि से प्राप्त करने के अधिकारी भी नहीं थे। यदि काश्मीर ने इन श्रेयों और अधिकारों का उन्मूलन करके एक दृष्टान्त स्थापित किया, तो हमें उसे बधाई देनी चाहिये।

मैं अधिक समय तक बोल नहीं सकता। हां, सदन को लेनिन के एक सिद्धान्त की याद दिलाना चाहता हूं जिस में उस ने कहा है कि बहुमत को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वह अल्पमत को अलग होने का अधिकार दे और अल्पमत को प्रवेश पाने के लिये अपने अधिकार और श्रेय काम में लाने का अधिकार है। यदि हम किसी देश को मजबूर करें तो मैं समझता हूं कि नैतिक एवं राजनैतिक दृष्टि से भारत का पतन होगा। हम ने काश्मीर को इस बात का अधिकार दिया है कि वह जनमतसंग्रह करें और एक संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राजतंत्र के रूप में संविधान सभा को संयोजित करें। और यदि वे इस अधिकार का प्रयोग करते हैं तो हमें संतुष्ट होना चाहिये। यदि हम ने उन्हें इस प्रकार के अधिकार दिये हैं तो काश्मीर के रहने वाले अपनी इच्छा से भारत में प्रवेश करेंगे। और यदि वे कुछ एक शर्तों पर भारत में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिये। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मेरी नज़र में वह ऐतिहासिक युग आने वाला है जब भारत एक बहुत बड़े राज्यसंघ या गणतंत्र का केन्द्र बनने वाला है। भारत के इर्द गिर्द छोटे छोटे देश, प्रदेश और राष्ट्र हैं जो विकास और संसाधनों की दृष्टि से पीछे हैं। हो सकता है कि हमें कुछ एक शर्तों पर उनको भारत में मिलाना पड़े, और यदि काश्मीर ने एक दृष्टान्त स्थापित किया और भारत ने संविधान में उदारता और नमनशीलता दिखाई, तो भारत के इतिहास का एक नया अध्याय खुलेगा।

[श्री ए० सी० गुहा]

मैं यह नहीं कह सकता कि भारत और दूर-दूर तक के किन किन राज्यों को अपने में मिला देगा ।

हां—मैं कम से कम भूटान और सिक्किम राज्यों का उल्लेख कर सकता हूं । ये हमारे सीमान्त पर हैं, और यों कहना चाहिये कि भारत का एक अंग हैं । हमें उनको मिलाने के लिये विशेष व्यवस्था करनी पड़गी, और उनके निकट आने के साथ साथ अन्य राज्य और प्रदेश भी जो वर्तमान भारत की सीमाओं पर हैं, भारत में मिल जायेंगे, और शायद ये कुछ विशेष शर्तों पर भारतीय संघ के महत्वपूर्ण भाग बनेंगे । मेरा यह विश्वास है कि हमारी सरकार ने काश्मीर के लिये विशेष व्यवस्था करके दूरदर्शी राजनीतिज्ञता तथा दूरदर्शिता का प्रमाण दिया है—और एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया है जिस से भारतीय इतिहास का एक ज्वलन्त अध्याय खुलेगा ।

मौलाना मसूदी (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब डिप्टी स्पीकर, (माननीय उपाध्यक्ष जी), मैं समझता हूं कि काश्मीर के बारे में आज सुबह (प्रातः) से जिस दोस्ताना फिज़ा (मैत्रीपूर्ण वातावरण) में और संजीदगी (गम्भीरता) के साथ गुफ्तगू (बातचीत) हो रही है, उसे देखते हुये शायद इसमें मेरे हिस्सा लेने की कोई खास ज़रूरत न होनी चाहिये थी लेकिन एक दो बातें जो इस हाउस (सदन) में और बाहर कभी कभी दोहराई गई हैं और जो एक हद तक बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म (प्रकार) की हैं, मैं जनाब वाला (श्रीमान्) की बसातत (के द्वारा) उनकी तरफ इस मुअज़्ज़ज़ (माननीय) हाउस (सदन) को मुतवज्जह (आकर्षित) करना चाहता हूं ।

काश्मीर का मामला इसमें कोई शुबह (सन्देह) नहीं और हर शख्श (व्यक्ति) इसको तस्लीम (स्वीकार) करता है कि अपनी किस्म का खास मामला है, और उसको हिन्दुस्तान की बाकी स्टेट्स (राज्यों) के साथ कयास नहीं किया जा सकता (उनके समान नहीं लिया जा सकता) काश्मीर पर सोचते वक्त (समय) लाज़मी (आवश्यक) बात है कि वह अहम (महत्वपूर्ण) बातें जिनमें से इस वक्त काश्मीर गुज़र रहा है, उनको नज़रअन्दाज़ न किया जाय (भूला न जाय) । इसमें कोई शुबह नहीं कि तकसीम (विभाजन) के बाद हिन्दुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में कुछ न कुछ उथल-पुथल हुई । गड़बड़ हुई । रिफ्यूजी (शरणार्थी) आये । झगड़े हुये, सारी चीज़ें हुईं लेकिन वक्त के साथ साथ यह सारी चीज़ें अपना एक सांचा अख्तियार कर गईं और अब काश्मीर के अलावा बाकी रियासतों में हम खुशी के साथ यह महसूस करते हैं कि हालात आहिस्ता आहिस्ता नारमल (साधारण) शक्ल अख्तियार कर रहे हैं । इसलिये इन बाकी रियासतों के बारे में गौर करते वक्त एक आम सांचा या एक आम पैमाना इस्तैमाल किया जा सकता है । जो बात एक रियासत में ठीक है । वही दूसरी रियासत में भी ठीक हो सकती है, लेकिन ऐसे हालात काश्मीर में नहीं हैं । काश्मीर पूरे पांच साल से एक जंग की फिज़ा (वातावरण) में से गुज़र रहा है । वह एक मैदाने जंग (रणस्थल) है, यह ठीक है कि वहां आज से दो तीन वर्ष पहले सीज़ फ़ायर (युद्धबन्दी) हुआ । गोली बन्द कर दी गई । इसलिये किसी को शुबह होगा कि वहां भी ऐसे हालात हैं जो यहां हैं । लेकिन दर हक़ीक़त (वास्तव में) कैफ़ियत (स्थिति) ऐसी नहीं । पाकिस्तान ने कबायली रेड (आक्रमण) की शक्ल में जो हमला किया था उस हमले का जवाब देने के लिये फ़ौजें जो काम कर रही थीं, सीज़ फ़ायर से या

गोली बन्द करने से वह काम तो रुक गया लेकिन असल जंग जो पाकिस्तान और काश्मीर के दरम्यान (मध्य) है या जो पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के दरम्यान है वह अब भी उसी तरह ज़ारी है। सीज़ फ़ायर ऐलान (घोषणा) के बाद हिन्दुस्तान की कमिटमेंट्स (बाग्बद्धतायें) इस मसले को ते करने के लिये एक दूसरी शक्ल में सामने आईं। और वह हैं अमन राय (शान्तिपूर्वक मत) हासिल करने के ज़रिये (द्वारा) काश्मीर के मसले को तै करना। इसी पुर अमन (शान्तिपूर्वक मत) को हासिल करने के लिये बाक़ायदा (नियमपूर्वक) एक जंग लड़ी जा रही है। बाक़ायदगी के साथ सीज़ फ़ायर लाइन (युद्धबन्दी सीमा) की दूसरी तरफ इस जंग की तैयारियां हो रही हैं और इस बाक़ायदगी के साथ सीज़ फ़ायर लायन के इस तरफ भी हमें जवाबी तैयारियां करनी पड़ रही हैं। यह एक बुनियादी फ़रक़ (अन्तर) है जिसको किसी भी सूरत में नज़रअन्दाज़ नहीं करना चाहिये। इस फरक (अन्तर) को सामने रखते हुये जब देखा जाय तो नज़र आता है कि सीज़ फ़ायर के बाद जहां मुसलह बावरदी (सशस्त्र सैनिक) आज हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की अपनी अपनी जंग रोक दी गई है वहां दोनों तरफ गैर मुसलह (निःशस्त्र) और बगैर बरदी फौज एक पोलीटीकल (राजनैतिक) हथियार लेकर सयासी राजनैतिक हथियार (शस्त्र) लेकर मैदान में उतरी हुई है, लेकिन इस मामले में किसी हद तक मुझे सीज़ फ़ायर लायन के उस तरफ यानी पाकिस्तान वालों के उन गैर मुसलह सिपाहियों (निःशस्त्र सैनिकों) और पोलीटिकल (राजनैतिक) वर्कर्ज़ (कामकरों) पर रश्क (स्पर्धा) आता है। उनको पाकिस्तान की तरफ से जिस क़द्र मुकम्मिल (पूरी) ताईद (समर्थन) कदम कदम पर और बात बात पर मिलती है उत नी, मुझे बदक़िस्मती से कहना पड़ता है इस तरफ से मुहाज़ (रणस्थल) पर काम करने वालों की नहीं मिलती। बल्कि अगर शिकायत न हो तो यह कहूं कि इस तरफ से लड़ने वालों की पीठ में बारहा अपनों ही के हाथों छुरी घोंप दी जाती है। ज़ाहिर है कि ऐसी हालत में जबकि आपकी तरफ से एक सिपाही मैदान में लड़ रहा हो, वहां आपकी तरफ से उसको जो इमदाद (सहायता) मिलनी चाहिय उसके बदले आप उस पर पत्थर फ़ेंकें तो यह आपकी कामयाबी की दलील नहीं हो सकती। इसकी एक छोटी सी मिसाल पेश करूंगा, वह यह है कि बदकिस्मती से काश्मीर के अन्दर जिस वक्त एक तरफ़ से पाकिस्तान वालों का हमला हुआ उस वक्त जहां वादी काश्मीर में हम अमन व अमान (शान्ति तथा व्यवस्था) क़ायम रखने में कामयाब रहे। इस वक्त काश्मीर के एक हिस्से में जो कि पंजाब से क़रीब था और जिसके ऊपर पंजाब का असर (प्रभाव) आसानी के साथ रोका नहीं जा सकता था, उस हिस्से में फ़िरकादाराना (साम्प्रदायिक) फसादात (दंगे) हुये। उस हिस्से में जम्मू ज़िले के इर्द-गिर्द और मीरपुर ज़िले के आसपास वही सूरत (स्थिति) हुई जो मशरिक़ी (पूर्वी) पंजाब और मगरिबी (पश्चिमी) पंजाब में हो रहा था, जिस तरह पश्चिमी पंजाब में हिन्दू और सिख अक़लियत (अल्पसंख्यकों) को अमन (शान्ति) नहीं मिला और मशरिकी पंजाब (पूर्वी पंजाब) में मुसलमान अक़लियत (अल्पसंख्यकों) को अमन नहीं मिला। इसी तरह मीरपुर में हिन्दू और सिखों की जान नहीं बच सकीं और कठुआ, ऊधमपुर और जम्मू ज़िलों में मुसलमानों की जान नहीं बच सकीं। जम्मू में कुछ लोग थे जो इस मारधाड़ के ज़िम्मेवार थे। और अगर आप महात्मा गांधी की २५ दिसम्बर, १९४७ ईस्वी की प्रार्थना के बाद की तक़रीर (भाषण) को उठ कर देखें तो आपको

[मौलाना मसूदी]

अन्दाज़ा हो जायेगा कि उस वक्त खसूसियत के साथ (विशेषत:) जम्मू में जहां खुद (स्वयं) महाराजा हरीसिंह बैठे हुये थे। जहां उनकी फ़ौजें थीं, जहां उनके तमाम अख्तियारात मौजूद थे वहां क़त्ल और लूट के कितने दर्दनाक और अफ़सोसनाक (दयनीय और खेद जनक) वाक़ियात (घटनायें) हुये। मैं उनकी तफसीलात (विस्तार) में नहीं जाना चाहता। बहर सूरत उन वाक़ियात ने एक पार्टी पैदा की जिसके जराइम (अपराध) इस क़िस्म के थे कि वह आसानी के साथ मुल्क के आम लोगों के साथ और हमज़बान नहीं बन सकती थी। जब काश्मीर और जम्मू में भी अमन क़ायम हो गया तो उस पार्टी के लिये यह ज़रूरी था कि कुछ वक्त तक चुप रहे और कुछ वक्त के बाद अपने वजूद (अस्तित्व) को किसी न किसी नई शक्ल में पैदा करे। खैर, वह पार्टी चाहे कुछ खयालात (विचारधारा) रखती हो; वह चाहे जो कुछ करना चाहती हो लेकिन यह बात मानी हुई है कि वह वहां मुक़ामी तौर पर (स्थानीय दृष्टि से) उस जमात के खिलाफ और उस निज़ाम (व्यवस्था) के खिलाफ बरसरपैकार (अग्रसर) है जो जमात हिन्दुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के साथ लड़ रही है।

ऐसी सूरत (स्थिति) में यह मुक़ामी वक्त और मुक़ामी मुसीबत बजात खुद (स्वयं) थी। लेकिन अब हिन्दुस्तान के कुछ लोगों की तरफ़ से (मैं आम हिन्दुस्तान के बारे में यह नहीं कह सकता, लेकिन हमारे भाई और हमारे साथिनों के एक छोटे से हिस्से की तरफ़ से इस क़िस्म के खतरे की तरफ़ से) आंखें बन्द करके और बिला (बिना) सोचे और समझे, यहां की सयासी (राजनतिक) बातों को मद्दे-नजर (दृष्टि में) रख कर, जम्मू के इस टोले की ताईद शुरू हो जाय तो इसका नतीजा क्या होगा। इसका फायदा (लाभ) कौन उठायेगा। आज एक नारा लगाया जाता है और कहा जाता है कि काश्मीर से जम्मू और लद्दाख को अलग करेंगे। मैं आपकी तवज्जह इस नारे की तरफ़ दिलाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप संजीदगी (गम्भीरता) के साथ इस नारे के नतीजों पर ग़ौर करें। अगर महज़ (केवल) सरसरी तरीक़े से कोई शख्स (व्यक्ति) यह कह दे कि चूंकि जम्मू में हिन्दू हैं, वह आसानी के साथ हिन्दुस्तान के साथ आ सकते हैं और चूंकि लद्दाख में भी उनके ख्याल के मुताबिक़ कुछ ग़ैर मुस्लिम हैं, उनको भी ले लिया जाय, बाक़ी रह गये थोड़े से मुसलमान उनके लिये देखा जायेगा तो यह भी एक तरीक़ा है सोचने का और कोई शख्स उस तरीक़े से भी सोच सकता है। लेकिन यह कितना खोखला, थोथा और बोदा तरीक़ा है ऐसे मसले पर सोचने का। सबसे पहली बात आप यह सोचें कि इस दलील की बुनियाद किस बात पर है; इस दलील की बुनियाद इस बात पर है कि एक ही मुल्क में रहते हुये हिन्दू और मुसलमान अलग कौमें हैं हिन्दू और सिख अलग-थलग कौमें हैं। बुद्ध एक अलग-थलग क़ौम है। नारे की सारी बुनियाद इसी चीज़ पर है वरना कोई वजह नहीं है कि इस तरह सोचा जाय कि जम्मू के जो हिन्दू हैं वह इधर आ जायें और काश्मीर के मुसलमानों के बारे में देखा जायेगा।

पहले इस बुनियाद को लीजिये। तो आज यह बात किस के दावा की ताईद करती है। यह बात बैनुल अक़वामी (अन्तर्राष्ट्रीय) मैदान में हिन्दुस्तान के असूल की ताईद करेगी या पाकिस्तान के दावा की ताईद करेगी। पाकिस्तान का तो मसला ही यह था वह तो यह कहता है कि चूंकि रियासत जम्मू और काश्मीर में मसलमान अकसीरियत

(बहुमत) में हैं लिहाज़ा (इसलिये) हमको रियासत मिलनी चाहिये। तो यह खयाल ले देकर इसकी बुनियाद है। हम पांच साल से इसके साथ लड़ रहे हैं और हमारी तरफ़ से यह जवाब है कि हम इस बुनियाद को तसलीम नहीं करते। आज जिस वक्त हमारे बड़े बड़े नेता और बुजुर्ग लीडर हिन्दुस्तान के उठते हैं और यही नारा लगाते हैं कि जम्मू में हिन्दू हैं, वह इधर आ जायें और मुसलमान जो हैं, उनके बारे में देखा जायेगा तो पाकिस्तान को और क्या चाहिये। उसकी एक दलील जब आपने मान ली और उस पर आप चलें। अब उसके बाद इस दलील पर चल कर क्या आप यह समझते हैं कि अब इस जम्मू के हिस्से को वाक़ई ले लेंगे? यह नामुमकिन है। क्यों? इसलिये कि सबसे पहले आपके जिहन (विचार) में यह एक गलत खयाल है कि जम्मू सूबा में (जैसा कि प्रजा परिषद् वाले कहते हैं) हिन्दुओं की अकसीरियत (बहुमत) है। अल हक़ीक़त (तथ्य) यह नहीं है। यह सही है कि काश्मीर के मुकाबले में जम्मू के सूबे में हिन्दुओं की काफ़ी तादाद है लेकिन यह कहना कि अगर दोनों सूबों को अलग अलग करके देखा जाये तो जम्मू में हिन्दुओं की अकसरियत (बहुमत) है। यह बिल्कुल झूठ है, और धोखा है। इस धोखे में आकर हमारे कुछ दोस्त गलत बातें कर रहे हैं। वांक़िआ (सत्य) यह है कि जहां काश्मीर में ९३ प्रतिशत मुसलमान हैं वहां जम्मू के सूबे में भी ६० फी सदी मुसलमान हैं, जो आखिरी मरदम शुमारी (जनगणना) आपके हाथ में आ सकती है वह सन् १९४१ की है, और उसको उठा कर देख लीजिये। १९ लाख की आबादी में से १२ लाख और २१ हज़ार से ज्यादा मुसलमान हैं सूबा जम्मू में और क्या पाकिस्तान वाले चुप रहेंगे। आप अपनी इस दलील को पक्का करते जाइये; अच्छी तरह से पक्का कीजिये और जिस वक्त पूरे तौर पर खुले मैदान में आकर आप कहेंगे कि हम तो इसलिये कहते हैं कि जम्मू हमारा हो जाय, क्योंकि वहां हिन्दुओं की अकसरियत है। वह सिर्फ मरदम शुमारी की रिपोर्ट आप को दिखला कर आप की दलील को रद्द कर देंगे और जम्मू भी ले जायेंगे और काश्मीर भी। काश्मीर तो आपने इसी दलील से उनके सिपुर्द कर दिया है कि हम तो आबादी की अकलियत और अकसरियत को मानते हैं। अभी आपने इस बात को मान लिया है और कहते हैं कि काश्मीर के बारे में देखा जायेगा और यह होगा और वह होगा। इस तरह काश्मीर तो आपने उनको दे दिया, और आप चाहते हैं कि जम्मू ही इधर आ जाये, लेकिन जम्मू के लिये भी वही दलील आपके खिलाफ़ इस्तेमाल की जायेगी। यह एक खतरनाक जाल है, जिसमें मैं देखता हूं कि हमारे कुछ दोस्त निहायत (बहुत) बे फ़िक्री के साथ और आंखें बन्द किये चले जा रहे हैं। (**एक आनरेबिल मेम्बर**: बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं) यकीनन (निश्चय ही) बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किसी मकान को बनाने के लिये बहुत ज्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, लेकिन उसको जला डालने के लिये ज्यादा आदमियों की ज़रूरत नहीं होती। कोई एक आदमी भी यह काम कर सकता है।

तो जनाब (श्रीमान्) असल चीज़ उसके पीछे क्या है। मैं एक छोटा आदमी हूं और एक बड़ी बात नहीं कहूगा। छोटे मुंह से बड़ी बात कहना हिन्दुस्तान में बुरा समझा जाता है, लेकिन एक खयाल जो मेरे ज़हन में पैदा होता है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वह यह है कि जब से काश्मीर का मसला शुरू हुआ है, बैनुल अक़वामी (अन्तर्राष्ट्रीय) मैयार (स्तर) पर कोशिश की जा रही है कि इसको भी कोरिया की शक्ल दे दी जाय। जिस तरह से शुमाली (उत्तरी) कोरिया और जनूबी (दक्षिणी)

[मौलाना मसूदी]

कोरिया वाले आपस में लड़ रहे हैं, जिससे दूर दराज़ बैठी हुई कौमों को मौका मिल रहा है कि उनके मामलों में दखल दें और वहां से किसी सूरत में भी अपने पांव न हटायें और दुनियां भर की लड़ाइयां उन की ज़मीन पर लड़ें, ऐसा ही वह काश्मीर के बारे में भी चाहते हैं। यह कोशिश मुखतलिफ तरीकों से होती रही है। यह कोशिश अब तक इस लिये नाकाम थी कि जो कुछ भी हो, काश्मीर के वह लोग जो मुहम्मद शेख अब्दुल्ला और नेशनल कान्फ्रेन्स के साथ हैं और यह लोग जो पंडित जवाहरलाल नेहरू में मुकम्मिल ऐतिमाद (विश्वास) रखते हैं, यह मुतहिद (संगठित) होकर हिन्दुस्तान के साथ अपनी आवाज को मिलाते रहे हैं। मगर आज इस चीज़ की बररूयकार (काम में) लोने के लिये काश्मीर और जम्मू को अलग अलग करके दिखाया जा रहा है। पहले यह कोशिश की जा रही है कि इस मसले को इधर से हवा दी जाय और यहां से इमदाद की जाय। और फिर मौका आने पर इस चीज को फैलाया जाय, और इस तरह जम्मू और काश्मीर के दरम्यान एक कश्मकश (संघर्ष) पैदा कर दी जाय, और इस तरह से एक ऐसा वक्त आ जाय कि जम्मू और काश्मीर एक दूसरे के साथ इस तरह से बरसरे पैकार (शत्रुता में) नजर आयें जिस तरह से कि शुमाली (उत्तरी) और जनूबी (दक्षिणी) कोरिया। यह एक खेल है जो कि इस मसले को लेकर खेला जा रहा है। मैं उन दोस्तों से जो यहां बैठ कर इस मसले की ताईद करते हैं, अदब के साथ यह अर्ज करूंगा कि वह इस चीज को देखें। यह चीज़ उनकी आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिये कि अगर काश्मीर को अमलन (वस्तुतः) दूसरा कोरिया बना दिया गया और आहिस्ता-आहिस्ता काश्मीर में कोई ऐसी शक्ल पैदा हो गई कि इसके एक हिस्से में दुनिया के जो मुखतलिफ ग्रुप (भिन्न दल) हैं उनमें से एक का हाथ हो और दूसरे में दूसरे का हाथ हो तो फिर आप समझ लीजिये कि इस सूरत में (स्थिति में) पूरा हिन्दुस्तान और पाकिस्तान एक आग की भट्टी बन जायेगा, तो यह एक खतरनाक तरीन (सबसे अधिक भयावह) चीज है जो मैं इस सिलसिले में आपके सामने रखना चाहता हूं।

मैं उन छोटे छोटे सवालात और उन बातों के जवाब में नहीं जाना चाहता जो पिछले दिनों की गुफ्तगू से पैदा हुये हैं और जिनके बारे में बहुत ज्यादा बहस दूसरे हाउस में हो चुकी है, लेकिन मैं एक बात अर्ज (निवेदन) करूंगा। मैं यह मानता हूं कि काश्मीर में हिन्दुस्तान के कौमी झण्डे के साये (छाया) में एक और दूसरे झण्डे की इजाजत देना वाक़ई एक गैर मामूली (असाधारण) सी बात है। मैं मानता हूं कि सिटीज़नशिप (नागरिकता) के हकूक (अधिकारों) में काश्मीर को कोई खास रियायत देना भी एक गैर मामूली बात है। मैं यह भी मानता हूं कि फंडामेंटल राइट्स (मूलभूत अधिकार) के बारे में कोई खास फ़रक (अन्तर) रखना भी गैर मामूली बात है और मुन्तखिब (निर्वाचित) हैड ऑफ दि स्टेट (राज्य का प्रमुख सदर-ए-रियासत) मुकर्रर (नियुक्त) करना नुमायां तौर पर (स्पष्टतः) गैर-मामूली बात है, यह सब गैर मामूली बातें हैं, और इनसे भी ज्यादा गैर मामूली बात यह है कि स्टेट के जो जाइद हकूक (अतिरिक्त अधिकार) होते हैं, बकिया (शेष) अख्तियारात (अधिकार) होते हैं उनका सरचश्मा (उद्गम) रियासत की असेम्बली (विधान सभा) होगी और उनको इस्तेमाल करने की वही मज़ाज़ (अधिकृत) होगी। मगर क्या इन सबसे ज्यादा बड़ी और गैर मामली बात यह नहीं है कि आपने यानी इस

पार्लियामेंट (संसद्) ने जम्मू और काश्मीर स्टेट को कांस्टीटुऐन्ट असेम्बली (संविधान-सभा) बना कर अपना कांस्टीट्यूशन बनाने की इजाजत दे दी है ? जब यह सबसे बड़ी गैरमामूली बात आपने की और मेरे मुहत-रिम बुजुर्ग (माननीय गुरुजन) डाक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने की। और उनकी बड़ी और गैर मामूली बात को जरूरी समझा। तो यह बिला वजह (निष्कारण) नहीं था। इसके लिये कितनी मजबूत वजूहात (कारण) थीं जिनकी वजह से इन्होंने काश्मीर को एक कांस्टीटुऐन्ट असेम्बली बनाने और उसके जरिये एक कांस्टीट्यूशन बनाने का अख्तयार दिया।

जब इतनी बड़ी गैर मामूली बात आपने की तो एक गैर मामूली बात से बीसियों गैर मामूली बातें पैदा होती हैं। इसलिये इन गैर मामूली बातों पर इस वक्त ऐतराज़ करने और नुक्ताचीनी (समालोचना) करने का और कोई और फायदा (लाभ) नहीं हो सकता सिवाय इसके कि हम अव्वाम (जनसाधारण) के दिमागों (मस्तिष्कों) में एक किस्म की परेशानी और कन्फ्यूजन (आपाधापी) डालें।

तो जनाब वाला (श्रीमान्) इन चन्द अलफ़ाज़ के साथ मैं इस तजवीज़ (प्रस्ताव) की ताईद करता हूं जो प्राइम मिनिस्टर (प्रधान मन्त्री) ने आज सुबह (प्रातः) इस हाउस (सदन) के सामने कही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि काश्मीर के मसले पर गौर करते वक्त और बोलते वक्त तमाम वह दोस्त जो हम से लफ्ज़ ब लफ्ज़ (शब्दशः) मुतफ़िक (सहमत) हों या न हों इस बात को ज़रूर मदे-नज़र (दृष्टि में) रखगे कि काश्मीर उनका मैदान-ए-जंग है वह एक गैर मामूली हालत में से गुज़र रहा है और उसके बारे में बात करते वक्त पूरे वतन-परस्तानां (देशभक्तिपूर्ण) ज़ज़्बे (भावना) से बात करेंगे।

श्री वैलायुधन: मैं जम्मू तथा काश्मीर राज्य के साथ भारत के सम्बन्धों के विषय में भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली नीति का समर्थन कर चुका हूं। यहां सदन में बहुत से भाषण हुये हैं, और मुझे भी इस बात की प्रेरणा मिली है कि मैं भारत के प्रधान मन्त्री की वैदेशिक नीति की प्रशंसा में कुछ एक शब्द कहूं। जब कभी भी हम काश्मीर के सम्बन्ध में सरकारी नीति पर विचार करें तो हमें यह सबसे महत्वपूर्ण बात याद करनी चाहिये कि हमने संयुक्त राष्ट्र संस्था को क्या वचन दिये हैं। मैं काश्मीर में हुये भूमि सुधार को कोई महत्व नहीं देना चाहता, किन्तु अलबत्ता काश्मीर के राज्यशाही-उन्मूलन को एक चमत्कार समझता हूं। जम्मू तथा काश्मीर के भारत के साथ क्या सम्बन्ध हैं, यह तीसरा प्रश्न है। इस प्रश्न पर बहुत वाद-विवाद हो चुका है। लेकिन मैं समझता हूं कि सम्बन्ध कुछ भी हो, हमें एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि काश्मीर संयुक्त राष्ट्र संस्था के हाथ में है, और जब तक वे इस समस्या को नहीं सुलझाते तब तक हम वहां की आन्तरिक नीति के सम्बन्ध में कोई भी निश्चयपूर्वक बात नहीं कह सकते। हमें अभी भी इस बात का स्मरण है कि भारत ने काश्मीर की समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष रखा। वह ठीक हो चाहे गलत उस समय भारत से जनमत संग्रह के लिये कहा गया, कुछ भी हो, हम अभी भी उसी वचन पर हैं, जैसा कि प्रधान मन्त्री जी बतला भी चके हैं। हमें साथ ही इस बात का अनुभव हो चुका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने काश्मीर-समस्या को किसी भी हद तक नहीं सुलझाया, और इस बात का हमें कटु-अनुभव है। सच्ची बात यह है कि हमें जनमत-संग्रह के बारे में भी बहुत सन्देह था। हमारे सामने डा० ग्राहम

[श्री वैलायुधन]

तथा अन्य संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रतिनिधियों की रिपोर्टें भी थीं। किन्तु अब आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जनमत संग्रह का विचार खड्डे में पड़ गया है और इस काश्मीर समस्या के पीछे वहां की संविधान सभा का ही प्रश्न है। मैं प्रधान मन्त्री जी की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। जहां तक हमारी वैदेशिक कूटनीति का प्रश्न है, उन्हें इस पर पूरा-पूरा अधिकार प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस प्रश्न को संतोषजनक ढंग से नहीं निपटाया, अतः वहां की संविधान सभा ने यह काम अपने हाथ में लिया। मुझे कई सदस्यों के भाषण सुन कर आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह समझने का प्रयत्न नहीं किया है कि काश्मीर के प्रश्न पर हमारी वैदेशिक नीति निर्भर कर रही है। आज तक हमें सफ़लता मिली है और मैं कह नहीं सकता कि भविष्य क्या होगा। मैं साम्यवादी दल, जन संघ तथा हिन्दू महासभा के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इस समय चुप रहें। जब तक काश्मीर की समस्या नहीं सुलझती, तब तक वे चुप रहें, और वैदेशिक नीति पर प्रहार न करें। हम बार बार वैदेशिक नीति बता नहीं सकते। यह एक कठिन और नाजुक प्रश्न है। जिस समय काश्मीर के सम्बन्ध में यहां सदन में प्रश्न किया गया, मैं समझ रहा था कि कोई गुप्त सत्र होगा जिसमें हम कूटनीति के प्रवर पंडित और वैदेशिक नीति के कूटनीति सम्राट् प्रधान मन्त्री जी से काश्मीर से सम्बद्ध नीति की बात सुनेंगे। किन्तु बाद में यह बात खुले सत्र में रखी गई।

अब आप में से कई एक व्यक्ति यह चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संस्था से यह मामला वापिस लिया जाय। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे पाकिस्तान से लड़ने को तैयार हैं। क्या आप भारत को एक विश्व युद्ध में धकेलना चाहते हैं। सिद्धान्त या आदर्श को नीति से नहीं, अपितु अवसरवादी नीति से, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत इस समय युद्ध नहीं लड़ सकता।

मैंने तीन विषयों के सम्बन्ध में काश्मीर से बनाये गये इन सम्बन्धों की कड़ी आलोचना सुनी और आलोचकों से यह भी सुना कि भारत इस कमज़ोर नीति पर चलने से अपने आपको अलग कर रहा है। भारत माता के सपूत शेख अब्दुल्ला ने तो अभी बहुत थोड़ा सुधार किया है। भूमि सुधार में भी अभी उसने कोई ज्वलन्त बात नहीं दिखाई जिस पर आप शोर मचायें। उसने थोड़ी सी बंजर और पड़ती भूमि भूमिहीन कृषकों को दी है। यही कुछ हुआ है। अतः इस पर शोर उठाने की कोई बात नहीं। उन्होंने एक कानून बनाया, कोई क्रान्ति नहीं की। यदि काश्मीर ने भारत में पूरी तरह से प्रवेश नहीं किया है, और इसी स्थिति में रहता है जिसमें वह आजकल है, तो मैं नहीं समझता कि भारत विघटित हो जायेगा भारत का विघटन भारत में ही हो सकता है, काश्मीर के कारण नहीं। अतः हमें इस विषय में सावधान रहना पड़ेगा और सोच समझ कर काश्मीर समस्या को सुलझाना पड़ेगा। सारा विश्व भयानक स्थिति से गुज़र रहा है, और यदि कहीं कोई धमाका हुआ तो काश्मीर वहीं का वहीं रहेगा। अभी अगले महीने हमारे प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में भाग ले रहे हैं, अतः म सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वहां बहुत ही कुशल व्यक्ति भेजे जायें जो अच्छी तरह से मामले का स्पष्टीकरण कर सक। इन शब्दों के साथ मैं प्रधान मन्त्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) :

धर्मेण शासिते राष्ट्रे
न च बाधा प्रवर्तते।
नाधयो व्याधयश्चव
रामे राज्यं प्रशासति॥

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काश्मीर के सम्बन्ध में विचार प्रकट करने में मेरा यह विश्वास है कि इस संसद् में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो इस बात को अनुभव नहीं करता कि इस समय वहां कितनी ही उलझनें पड़ी हुई हैं और किसी सदस्य की यह भावना नहीं है कि काश्मीर के साथ कोई मज़ाक़ किया जाय, क्योंकि यदि हम उसके वातावरण को विक्षुब्ध बना कर अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहें तो निश्चय ही न तो स्वार्थ पूर्ति होगी और उससे काश्मीर के काम में धक्का भी लग सकता है। म इस बात की ओर इस संसद् का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिस की ओर हमारे काश्मीर के प्रतिनिधि और कुछ महानुभावों ने काश्मीर के एक भिन्न और विचित्र स्वरूप का वर्णन किया है। मेरा तो यह विश्वास है कि काश्मीर केवल भारत का एक अंग ही नहीं, वरन् जिस बन्दे मातरम् का आप गुण गाते थे, वह काश्मीर भारत माता का मस्तक है और मैं चाहता हूं कि हर एक भारतवासी चाहे वह कांग्रेसी हो, हिन्दू महासभाई हो या कम्युनिस्ट हो काश्मीर को इसी दृष्टि से देखे। हमारे दुर्भाग्य से भारत माता के टुकड़े हुए और उस की दायीं और बायीं भुजा बंगाल और पंजाब कट चुकी और उसके सिर पर भी ज़ख्म पहुंच चुका है, कुछ हिस्सा उसका भी कटा हुआ पड़ा है। मुझे वह दिन स्मरण है और मैं उसकी ओर माननीय प्रधान मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जब उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि काश्मीर की एक एक इंच भूमि से इन डाकुओं और हमलावरों को मार कर निकालेंगे, वह उन की प्रतिज्ञा अभी तक अधूरी है, और आज भारत का हर देशवासी उस प्रतिज्ञा की पूर्ति की ओर उत्सुकतापूर्वक ध्यान लगा कर देख रहा है कि वह शुभ घड़ी कब आयेगी जिसकी हम सब लोग इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह दिन कब आयेगा जिस दिन हमारे प्रधान मन्त्री अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरा करने में सफल होंगे। आपको भूलना नहीं चाहिये कि जिस दिन काश्मीर पर आक्रमण हुआ था, भारतवर्ष के कोने कोने से और बच्चे बच्चे के मुंह से यह आवाज़ उठी थी कि वह काश्मीर के लिये अपना बलिदान देने को तैयार है और उसमें किसी पार्टी का कोई प्रश्न नहीं आयेगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि मेरे कांग्रेसी भाई इस बात को सोचें कि जब हम लोग कभी कोई उनसे मतभेद की बात करें, जिस से वह सहमत न हों तो उन्हें उस का यह अर्थ नहीं निकाल लेना चाहिये कि हम कोई उसमें कांग्रेसियों का दोष दिखाना चाहते हैं। हो सकता है कि हम किसी रोग की चिकित्सा का एक उपाय बतायें और आप कोई दूसरा ठीक समझें, हम रोग का निदान दूसरे प्रकार से करना चाहें और आप ने उस रोग का निदान दूसरे प्रकार से किया हो।

अभी यह आवाज़ उठी कि हम यू० एन० ओ० (संयुक्त राष्ट्र संघ) के सामने काश्मीर का प्रश्न ले जा चुके हैं और वह काश्मीर जो कभी हमारा रहा है और उसके साथ हमारे पुराने से पुराने भौगोलिक अथवा सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे हों परन्तु आज के दिन काश्मीर का प्रश्न केवल भारत का ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय खिलवाड़ की चीज़ बन गयी है और अमेरिका और इंग्लैण्ड आदि देश उस में खेल रहे हैं। लेकिन हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना पडेगा कि और सतर्क रहना पडेगा कि कहीं काश्मीर के प्रश्न को लेकर बन्दर-बांट न हो जाय, ऐसा न हो कि बन्दर पनीर अपने हाथ में रख ले और उसको बांटने के प्रयत्न में छोटे छोटे टुकड़े करके अन्त में सारा खुद हड़प जाय और स्वाहा कर ले। मुझ से मेरे काश्मीर के प्रतिनिधि मित्रों ने पूछा भी था और हालांकि इस समय

[श्री नन्द लाल शर्मा]

यहां पर मेरे हिन्दू सभा और जनसंघ आदि के सज्जन नहीं हैं, तब भी मैं यह कहना चाहता हूं कि काश्मीर के बटवारे का प्रश्न इस समय हमारे लिये खतरनाक है। मैं समझता हूं कि वहां के अल्पसंख्यक लोगों का जीवन ज़रूर कष्टमय है और उन को तकलीफ़ है और मैं प्रधान मन्त्री और सज्जनों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि चाहे वह प्रेमनाथ डोगरा हों, या प्रजा परिषद् के दूसरे सदस्य हों और इसको हमारे मौलाना मसूदी ने भी स्वीकार किया है कि प्रजा परिषद् वाले भारत से पूर्णतया मिल जाना चाहते हैं। हमें एक बात ज़रूर सोचनी पड़गी कि काश्मीर में जो अल्पसंख्यकों की एक पार्टी है वह कैटोगोरिकैली (बिना किसी शर्त के) इस बात को कहती है कि हम को सब विषयों में भारत के साथ पूरी तरह मिल जाना चाहिये। मैं पूछना चाहूंगा कि काश्मीर की बहुमत वाली नेशनल कांफ्रेंस जो अपने आपको सोलहों आने नेशनलिस्ट (राष्ट्रवादी) कहती है, इंडियन (भारतीय) कहती है, वह नेशनल कांफ्रेंस आज अपने लिये एक दूसरा फ्लैग (झण्डा) स्वीकार करती है और वह कान्स्टीट्यूशन (संविधान) द्वारा स्वीकार किये गये नियमों को स्वीकार करने में क्यों हिचकिचा रही है और मेरे नेशनल कांफ्रेंस वाले भाई आज खड़े होकर यह क्यों नहीं कह देते कि हम सोलहों आने भारतवर्ष के साथ हैं और हम काश्मीरियों को अपनी दूसरी अलग सत्ता क़ायम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर वह ऐसा ऐलान कर देते हैं तो फिर चाहे वह प्रेमनाथ डोगरा हों, या कोई भी व्यक्ति हो, उसको कुछ कहने या बोलने का अवसर ही नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि हम लोगों को भी ईश्वर सद्बुद्धि दे और इस समय हिन्दू, मुसलमान का प्रश्न खड़ा करना निश्चय ही अपन पैर पर कुल्हाड़ी मारना है, भले ही हम अपने मन में कटर से कटर हिन्दू हों अथवा कोई दूसरे कटर से कटर मुसलमान हों लेकिन हम को यह सोचना पड़ेगा कि भारत देश में जो भी लोग रहते हों, और अपने को भारतीय कहते हों, उनको हमें एक भारतीय के अधिकार देने पडेंगे। ऐंग्लो इंडियन जो यहां भारत में बसते हैं उन्हें भी हमें भारतियों के अधिकार देने पड़ेंगे। मेरे पास पास बैठे हुए भाई अछूतों की बात करते हैं। उनके लिए तो मैं कहूंगा कि अछूतों के लिए भारतीय संविधान में विशेष रूप से ज़िक्र है, उनको पूर्ण स्वतन्त्रता, पूर्ण स्वराज्य, साम्राज्य, वैराज्य, महाराज्य आदि सब कुछ दे दिया गया है। इतने अधिकार आपको दिये जाने पर भी आप हिन्दू जाति को गाली देने और कोसने से चूकते नहीं।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): श्रीमान् औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं कि आप ने जो कहा है कि हमने गाली दी, तो आप बतलायें कि हम ने क्या गाली दी ?

श्री नन्द लाल शर्मा: मेरा यह निवेदन है कि चाहे वह अछूत हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, पारसी हो, अथवा यहूदी हों, कोई भी हों, भारतवर्ष में रहने के नाते वह सब भारतीय हैं और उनको वही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं, हो रहे हैं और होने भी चाहियें जो किसी भी हिन्दू को प्राप्त हो रहे हैं या होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरा विचार है कि माननीय सदस्यों को अब भविष्य में 'अछूत' शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिये, क्योंकि संविधान के अन्तर्गत इस शब्द का प्रयोग एक अपराध समझा गया है।

श्री नन्द लाल शर्मा: मैं उपाध्यक्ष महोदय से क्षमा का प्रार्थी हूं किन्तु सत्य यह है

कि 'अछूत' शब्द का प्रयोग स्वयं माननीय सदस्य ने किया था, मैं ने तो केवल दोहराया। मैं ने स्वयं इसका प्रयोग नहीं किया। हमारे यहां तो अछूत नाम का शब्द भी नहीं है, अस्पृश्य नाम की कोई जाति भी नहीं है और मैं खुल्लमखुल्ला इस बात को यहां पर कहना चाहता हूं कि हमारे हिन्दू धर्म शास्त्रों में अस्पृश्य नाम की जाति का कहीं वर्णन नहीं आता है। यह दूसरी बात है कि समयानुसार कोई अस्पृश्य रहे, यह तो कोई भी रह सकता है, मैं भी अस्पृश्य रह सकता हूं। मैं काश्मीर के सम्बन्ध में आते हुये यह कहना चाहूंगा कि काश्मीर के बंटवारे का प्रश्न खड़ा करना, जम्मू और लद्दाख के सम्बन्ध में कोई बात कहना, इस अवसर पर बड़ी अहितकर और घातक सिद्ध हो सकती है। पहली बात तो यह है कि जैसे आज से कुछ दिन पूर्व बंगाल और पंजाब के बटवारे का प्रश्न मेरे कुछ भाइयों ने खड़ा किया था और उस का जो परिणाम हमें भोगना पड़ा वह सब के सामने है और यह हमारा दुर्भाग्य है कि काश्मीर के बंटवारे के प्रश्न को अन्तर्राष्ट्रीय जगत ने पकड़ लिया है और आज के दिन लाउड स्पीकर्स बहुत सेंसेटिव (भावुक) हो रहे हैं और कोई भी आवाज़ बहुत जल्दी पकड़ते हैं और अगर हमने उस दिशा में कोई कदम बढ़ाया तो वह अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना होगा और मैं इस बात को चाहे वह कितने ही अच्छे भाव से की जाय, लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि उससे भारतवर्ष और काश्मीर के आपसी सम्बन्ध अच्छे होंगे।

इसलिये काश्मीर के बटवारे के सम्बन्ध में चाहे वहां के सारे के सारे हिन्दू एक दिन में ही बलिदान हो जायें, उनको उस बलिदान के लिये तैयार रहना चाहिये, किन्तु काश्मीर के बंटवारे का नाम आगे के लिये कभी नहीं लेना चाहिये। मैं यह भी समझता हूं कि अभी हमारे भारतवर्ष का जो बटवारा हुआ है, भारत मां के जो टुकड़े हैं उन टुकड़ो की भी मरहम पट्टी करनी है, काश्मीर की भी मरहम पट्टी करनी है और काश्मीर और भारतवर्ष का जो टुकड़ा आज इस समय अलग हो चुका है, अभी उस को लौटाने का प्रश्न है। भाग्य से जो टुकड़ा हमारे पास बचा हुआ है यदि उसके बटवारे का प्रश्न भी हम खड़ा कर लेंगे तो इस से बढ़ कर कोई और दुर्भाग्य नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय: एक से अधिक बज चुका है। क्या वह भाषण जारी रखना चाहते हैं।

श्री नन्द लाल शर्मा: हां, श्रीमान्।

उपाध्यक्ष महोदय: वह मध्याह्न भोजन के बाद भाषण जारी रखें। सदन के स्थगित होने से पहले ही मैं कार्यक्रम के सम्बन्ध में घोषणा कर देना चाहता हूं। ८, ९ और ११ दिनांक को सदन समवेत होगा। और सत्र में जो काम किया जायेगा वह इस प्रकार होगा :—

रक्षा मन्त्री यह प्रस्ताव करेंगे कि रक्षित तथा सहायक वायु सेना विधेयक, जैसा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित हो चुका है, पर विचार किया जाये।

रक्षा मन्त्री यह प्रस्ताव करेंगे कि राज्य परिषद् द्वारा पारित नैशनल केडेट कोर अधिनियम में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह प्रस्ताव करेंगे कि राज्य परिषद् द्वारा पारित सारभूत प्रदाय अधिनियम पर विचार किया जाय,।

गृह कार्य मन्त्री यह प्रस्ताव करेंगे कि राज्य परिषद् द्वारा पारित दण्ड प्रक्रिया संहिता में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।

[उपाध्यक्ष महोदय]

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह प्रस्ताव करेंगे कि ठेके दिये जाने से सम्बन्धित कई मामलों के नियमन का प्रावधान करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाय।

पुनर्वास मन्त्री निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्थान अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

यही है कुल कार्य।

श्री बी० शिवा राव (दक्षिण कनड़ा--दक्षिण) : कल की कार्याविधि के सम्बन्ध में आपने कुछ भी नहीं बताया।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि कल उनको विधेयकों को, जो राज्य परिषद् ने पारित किये हैं, और उन अन्य विधेयकों को जिन की रिपोर्ट प्रवर समिति ने दी है, पारित किया जाना है, अतः मेरे विचार में इस कार्य में अधिक समय नहीं लगेगा। मैं समझता हूं कि अपराह्न में देर तक बैठने की कोई भी आवश्यकता नहीं।

सांसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा:) आज हम अपराह्न में कार्यवाही जारी रखेंगे और कार्य की प्रगति देख कर ही इस बात का निश्चय करेंगे कि कल से अपराह्न में बैठा जाना चाहिये या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : समय के सम्बन्ध में कोई भी निश्चय नहीं है। यदि आवश्यकता हुई तो हम अपराह्न में बैठा करेंगे। मेरा यह सुझाव है कि हम यथापूर्व प्रातः ९ बजे से १ बजे म० प० तक बैठक किया करेंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम ३ या ३-३० म० प० पर पुनः समवेत होंगे, किन्तु हमें सारा कार्य ११ तक ही समाप्त कर देना चाहिये। कदाचित् हमें १२ दिनांक को राज्य परिषद् की ओर से निवारक निरोध विधेयक पर उनकी एक रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

श्री जवाहरलाल नहरू: प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं। उस दिन बहुत सा कार्य करना होगा।

श्रीमान्, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और उस पर आप और सदन निश्चय कर लें। अधिक अच्छा यह होगा कि हम आवश्यकतानुसार कल प्रातः और मध्याह्न पश्चात् की दोनों बैठकें लगायें और शनिवार की छुट्टी मनायें। अन्यथा कल की आधे दिन की बैठक और शनिवार की आधे दिन की बैठक इतनी सुविधाजनक नहीं होगी।

अनेक माननीय सदस्य : यही अधिक अच्छा होगा।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : क्या १२ को सदन की बैठक होगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि इस समय परामर्श दिया जा रहा है १२ दिनांक को कोई भी काम नहीं होगा। संसद् सचिव ने भी यही बताया।

श्री जवाहरलाल नेहरू: जी हां, बहुत काम है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझ से यही कहा गया।

श्री जवाहरलाल नेहरू: नहीं, श्रीमान्।

उपाध्यक्ष महोदय : हर रोज़ मामलों का निश्चय होगा और तदनुसार घोषणा की जायेगी। कुछ भी हो, मैं तो समझता हूं कि १२ दिनांक के बाद सदन की बैठक नहीं होगी।

श्री जवाहरलाल नेहरू : कुछ कहा नहीं जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय: कल हम प्रातः ९ बजे समवेत होंगे।

श्री जवाहरलाल नेहरू : कल दोपहर के बाद भी।

उपाध्यक्ष महोदय: वह मुझे मालूम है, किन्तु मैं कल प्रातः की बैठक का समय बता रहा था।

आज हम ३ बजे पुनः समवेत होंगे।

कई माननीय सदस्य: श्रीमान्, ३-३० पर।

उपाध्यक्ष महोदय: सदन की अनुमति पर ही इस का निश्चय होगा। चूंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, अतः मैं समझता था कि ३ बजे ही बैठक समवेत हो जाय।

एक माननीय सदस्य: कल अध्यक्ष जी ने इस प्रकार घोषणा की थी कि आज की मध्याह्नोत्तर बैठक ३–३० से ६–३० म० प० तक होगी।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इस पर चलने के लिये तैयार हूं। तो हम अब ३–३० म० प० पर समवेत होंगे।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मध्याह्न भोजन के लिये साढ़े तीन बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् सदन की बैठक साढ़े तीन बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुये]

श्री नन्द लाल शर्मा:

धर्मेण शासिते राष्ट्रे
न च बाधा प्रवर्तते।
नाधयो व्याधयश्चैव
रामे राज्यं प्रशासति॥

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कभी कुछ एक व्यक्तियों को संसद् में यह ध्यान आता है कि प्रत्यक्ष में यह मंगलाचरण क्यों? मैं जानबूझ कर अपने कम्युनिस्ट भाइयों के लाभ के लिये यह कहता हूं। उन के कान में शायद भगवान् का नाम न पड़ता हो। इस नाते धर्म का नाम, ईश्वर का नाम किसी बहाने से उन के कान में पड़ जायेगा। कभी तो बीज अपना काम करेगा।

आज के अपने पिछले भाषण में मैंने कहा था कि अल्पसंख्यक दल के एक-आध व्यक्ति के नाम से, जिनका नाम भी लिया गया था, काश्मीर के बंटवारे की बातचीत चल रही है। मुझे उन लोगों से निश्चित रूप से तो पता नहीं है लेकिन मैं उनके भाव का केवल एक ही अर्थ लगाता हूं कि वह लोग भारत के साथ मिलने की इच्छा रखते हैं। यह उन्होंने अपना सोलह आने निश्चय व्यक्त दिया है। इसके साथ ही मैं ने वहां के बहुमत दल के अपने बन्धु से जो कि यहां बैठे हुये थे यह निवेदन किया था कि वह लोग भी अपनी ओर से १६ आना एक घोषणा कर दें कि वह भारत में सदा के लिये पूर्णतया विलीन होने के लिये तैयार हैं, भारत का अंग हैं। यह बात मैं इसलिये ही नहीं कहता कि भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हम एक हैं, बल्कि इसलिये कि काश्मीर सदा से भारत का अंग रहा है। अशोक का नाम लिया गया था कि अशोक के समय से काश्मीर भारत का अंग है। वाल्मीकीय रामायण पाश्चात्य ऐतिहासिकों के विचार से भी अशोक के समय से पहले का ग्रन्थ है। उस में भी काश्मीर को भारत का अंग होना वर्णन किया गया है। काश्मीर के साथ साथ गन्धर्व देश जो सिन्धु नदी के दोनों पार में वहां भारत का शैलूष नाम का राजा था, उसे मार कर भरत जी के पुत्र तक्षक का राज्य हुआ था। उसी के नाम से तक्षशिला नाम पड़ा था और उस के दूसरे भाई का राज्य गन्धार में था। तक्षक तक्षशिलायां पुष्कलं पुष्कलावते। जिस देश को आज हम कलात के नाम से पुकारते हैं वह भी भारत वर्ष के अन्तर्गत था। आज भी जब हमारे बच्चों को यज्ञोपवीत दिया जाता है तो वह

[श्री नन्द लाल शर्मा]

कहता हूं कि मैं विद्याध्ययन के लिये काश्मीर जाता हूं। काश्मीर सरस्वती का स्थान माना गया है। इसलिये हम कहते हैं कि उसे भारत से अलग करने का प्रश्न नहीं है। जो दल बहुमत का दल है और जिस दल को हमारे प्रधान मंत्री ने और हमारी भारत सरकार ने वहां का प्रतिनिधि स्वीकार किया है, हम चाहते हैं कि वह दल एकमात्र यह घोषणा कर दे कि वह किसी प्रकार भी भारत से बाहर जाने को तैयार नहीं है। संसद् ने प्रधान मंत्री के भाषण को अच्छी तरह से सुना किन्तु जो वहां के अल्पसंख्यक लोग हैं उनको बैनीफिट आफ डाउट (शंकालाभ) तो अवश्य देना चाहिये। अगर हम वहां के अल्पसंख्यकों को अभियुक्त समझें तो उन्हें सन्देह का लाभ देना चाहिये क्योंकि बैनीफ़िट आफ डाउट गोज टू दी एक्यूज्ड (अभियुक्त को शंकालाभ प्राप्त होता है) वह लोग बार बार भारत में मिलने के लिये कह चुके हैं। मैं एक बात अपने प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूं। हमारे प्रधान मंत्री ने काश्मीरियों को जनगणना द्वारा आत्म-निर्णय का अधिकार दिया है। अगर इस सिद्धान्त को इसके लाजीकल ऐक्सट्रीम (तार्किक अन्त) तक ले जाया जाय तो हम देखेंगे कि यह सिद्धान्त किसी राष्ट्र के लिये ठीक नहीं होगा। अगर राष्ट्र के एक एक अंग को आत्म-निर्णय का अधिकार मिल जाय तो क्या परिस्थिति होगी। पहले प्रान्त को अधिकार दिया जाय कि वह देश में रहना चाहता है या नहीं, फिर एक एक ज़िले को अधिकार दिया जाय कि वह देश में रहना चाहता है या नहीं, इस तरह से एक एक तहसील को और उस तहसील के एक एक गांव को आत्म-निर्णय का अधिकार दिया जाय, और गांव में हर एक गृह को अधिकार दिया जाय कि वह आत्म-निर्णय करें, और जसा कि मेरे एक मित्र कह रहे हैं कि पति, पत्नी और बालकों को अधिकार दिया जाय, तो यह आत्म-निर्णय का सिद्धान्त अन्त में अपना नाश कर देगा। इसलिये इस को लाजीकल एक्सट्रीम तक नहीं पहुंचाना चाहिये। राष्ट्र के एक एक अंग को राष्ट्र में रहने के लिए कहा जा सकता है लेकिन उस को आत्म-निर्णय का अधिकार नहीं दिया जा सकता। यदि यह आत्म-निर्णय का अधिकार दिया जायगा तो फिर जम्मू और लद्दाख का प्रश्न भी आयेगा। मैं ने पहले भी इस का विरोध किया था। मैं इस के पक्ष में नहीं हूं कि किसी प्रकार से भी काश्मीर के बंटवारे की बातचीत की जाय। हमारा अपने नेशनल कान्फ्रेंस के प्रतिनिधियों से जो कि यहां संसद् में विद्यमान हैं बराबर कहना है कि उन को इस बात का निश्चय दिलाना होगा। हमारे प्रधान मंत्री इस बात को कह चुके हैं। पर झंडे का प्रश्न हमारे सामने आता है, कान्स्टीट्यूशन का प्रश्न आता है और प्रेसीडेंट (राष्ट्रपति) का प्रश्न हमारे सामने आता है। किन्तु यह सारी बातें सुन कर हम को इस बात का दुःख नहीं है कि वहां से महाराजा हरी सिंह को हटा दिया गया। महाराजा हरी सिंह अथवा और कोई महाराजा संसार में सदा नहीं रहे हैं और उन को हटना होगा ही। किन्तु प्रश्न यह है कि सब के साथ समान व्यवहार हो। इस कारण से भी भारत की जनता के मन में और वहां के कुछ लोगों के मन में कुछ सन्देह होता है कि कोई कान्सपिरेसी (षड्यन्त्र) तो नहीं है। जम्मू और लद्दाख के लोगों के मन में यह बात उठती है कि सम्भव है कि कल को यह लोग भारत को धोखा देकर भारत से हट जायं तो हम लोग भी मारे जायेंगे और ऐसा न हो कि यहां से भी लाखों शरणार्थियों को भारत की ओर भागना पड़े। तो आज हमारा उन लोगों से

अपनी ओर से यह कहना है कि चाहे वह भले ही अपने प्राण ही दे दें लेकिन उन को भारत और काश्मीर के बटवारे की बात नहीं करनी चाहिए। हम अपने प्रधान मंत्री से मांग करते हैं और उस समय की उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वह अपनी यह प्रतिज्ञा पूरी करेंगे कि हमारे देश की एक एक इंच भूमि को वापस लेंगे।

हमारे पंडित जी ने और मौलाना मसूदी साहब ने कहा कि काश्मीर की एक खास पोजीशन (स्थिति) है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि काश्मीर की यह पोजीशन की किस ने? यह तो हमारी ही पैदा की हुई है। अगर हम स्वयं उन बन्दरों के पास न जाते तो आज हम को यह बन्दरबांट का दृश्य न देखना पड़ता। हमारे प्रधान मंत्री के वक्तव्य से मालूम होता है कि वह एक सादा सा प्रश्न ले कर गये थे परन्तु वह नरपशु आज तक उस को हल नहीं कर सके हैं। कभी कोई प्रश्न खड़ा कर देते हैं कभी कोई प्रश्न खड़ा कर देते हैं। याराने शतरंज (शतरंज के खिलाड़ियों) के दिलों में कोई और ही बात है। उधर मैं देखता हूं कि हमारे कम्यूनिस्ट भाई भी परिस्थिति को देख रहे हैं। वह देखते हैं कि अगर जम्मू और काश्मीर में राजा महाराजा न रहें और वहां झगड़ा फसाद हो तो हम अपने दोस्तों को चीन और रूस से वहां ले आवेंगे। लाल झंडा खड़ा है तिब्बत में जो कि भारत का अंग था। आज काश्मीर के लिए सेंट्रल एशिया (केन्द्रीय ऐशिया) का प्रश्न क्यों उठाया जाता है। हम तो गांधार तक को भारत का अंग मानते हैं। यह प्रश्न तो उस प्रदेश का है जो कि सतलज के तट पर है।

न छेड़ ऐ निगहते बादे बहारी
राह लग अपनी।
तुझे अठखेलियां सूझी हैं
हम बेजार बैठे हैं।

लेकिन मैं कहता हूं कि कम्यूनिस्ट भारत में कभी पनप नहीं सकते। यह ख्याल वह दिल से निकाल दें परन्तु मैं कांग्रेस के सदस्य महानुभावों से भी निवेदन करूंगा कि जो दूसरे विरोधी दल वाले धर्म को मानने वाले हैं उन को फ़िरकापरस्त (सांप्रदायिक) कह कर उन को गलत न समझें।

याद रहे राम राज्य परिषद् के विषय में कि मैंने स्वयं यहां गृह मंत्री से कहा था कि राम राज्य परिषद् का इस समय राजस्थान में विशेष प्रभाव है। उसी का फल हुआ कि कम्युनिज्म (साम्यवाद) वहां पर रुका रहा। लेकिन आज कम्युनिज्म वहां बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। कारण क्या है? हम लोग धर्म को ठोकर मारने का प्रयत्न करते हैं। मैं श्रीमान् प्रधान मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि धर्म का अर्थ यदि कम्यूनैलिज्म (संप्रदायवाद) हो तो "धर्म चक्र प्रवर्त्तनाय" का चक्र हमारे ऊपर पहले ही लग जाना चाहिये। अगर धर्म का अर्थ यह नहीं है तो हम को सब से पहले कम्युनैलिज्म, साम्प्रदायिक शब्द रोक देना चाहिये। सम्प्रदाय शब्द का अर्थ "तुल्यं साम्प्रदायकं" सूत्र जो मीमांसा दर्शन में है शब्द से मिलाना चाहिये जिस का अर्थ अविच्छिन्न आचार्य परम्परा से प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक अथवा व्यावहारिक विद्या है और आध्यात्मिक सिद्धान्त से इस का सम्बन्ध है। फिर सम्प्रदाय शब्द को इस प्रकार कम्युनैलिज्म के रूप में प्रयोग करने का कारण क्या है? हम अंग्रेजी शब्द के लिये अपनी भाषा में शब्दों का अर्थ निकालते हैं. . . .

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अब भाषण समाप्त कर लें। वह मध्याह्न भोजन से पहले दस मिनट और मध्याह्न भोजन के बाद और दस मिनट ले चुके हैं।

श्री नन्द लाल शर्मा: मैं निवेदन कर रहा था कि केवल मुस्लिम मैजारिटी (मुस्लिम

[श्री नन्दलाल शर्मा]

बहुमत) के नाम से जो तर्क दिया जाता है कि वहां मुस्लिम मैजारिटी है इसलिये हम को उसका ध्यान रखना पड़ेगा, मैं उस के सम्बन्ध में दो शब्द कह देता हूं। एक ओर वहां के राजा ने अपना मर्जर (विलयन) स्वीकार किया, अपने आप को भारत यूनियन के हवाले कर दिया और दूसरे राजे महाराजाओं ने भी अपने आप को भारत यूनियन के हवाले कर दिया। आप प्रश्न उठाते हैं कि वहां मुस्लिम मैजारिटी है, इसलिये हम वहां जनता को अधिकार देंगे। यदि हम उस के विरोध में यह प्रश्न खड़ा करें कि ट्रावनकोर में, कोचीन में, और दूसरे स्थानों में भी यदि जनता ने आत्म निर्णय के लिये मांग की हो तो आप उस का क्या उत्तर देंगे? यदि कल उत्तर प्रदेश और मद्रास के हिन्दू कहने लगें कि हम मुसलमानों को अपने यहां से हटायेंगे तो आप क्या कहेंगे। इसलिये हिन्दू मुस्लिम प्रश्न पर इस बात को नहीं छेड़ना चाहिये। हमें तो केवल भारतीयता के प्रश्न पर इस बात को देखना है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यद्यपि महाराजा का हम कोई प्रश्न नहीं करते, लेकिन राजप्रमुख का आप ने जो स्थान अपने कांस्टीट्यूशन में स्वीकार किया है, जब तक आप कांस्टीट्यूशन को बदलते नहीं हैं, किसी दूसरे के डर में आकर आप उस स्थान को हटा दें तो यह अनुचित होगा। अगर कान्स्टीट्यूशन का परिवर्तन करने के बाद आप सब का स्थान हटा दें तो उन का भी स्थान हटा दें, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

यदि मैं अब एक शब्द अल्पसंख्यकों के लिये कहे बिना बैठता हूं तो मुझे अपने कर्त्तव्य में कुछ त्रुटि दीखेगी। मैं निवेदन करूंगा कि अल्पसंख्यकों को भय कुछ ज़रूर लग रहा है, इसलिए वह भारतवर्ष में आने की इच्छा रखते हैं। वह यह कहते हैं कि हम को भारत में आने का पूर्ण अधिकार होना चाहिये। वह कभी भूल कर भी पाकिस्तान को नहीं जा सकते यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। यह बात, हमारे प्रधान मंत्री भी जानते हैं, इस को हमारा काश्मीर का प्रतिनिधि मंडल भी जानता है। हमारा कहना है कि उन के अधिकारों की रक्षा के लिये हमारे प्रधान मंत्री ने इस वक्तव्य में एक भी शब्द नहीं कहा, न उनके समझौते में कोई प्रसंग आया है। मैं उन से निवेदन करूंगा कि वह इस बात पर फिर ध्यान दें। लैंडलार्डिज्म (भू-स्वामित्व) को मिटाने का प्रयत्न किया गया, सो ठीक है। लेकिन हम को इस का मंशा देखना चाहिये कि वे लैंडलार्ड कौन थे? सम्भवतः एक स्थान के, एक ही जाति के लोग तो नहीं थे। फिर वहां धर्म स्थानों की सम्पत्ति भी आप के पास, काश्मीर के पास, आ चुकी है। धर्म स्थानों की सम्पत्ति भी छीनी जा रही है। उस से यह परिणाम होता है कि आज एक राज्य वहां से मिट गया और उस की धर्म सम्पत्ति भी मिट जायगी। तो वह जो वहां अल्पसंख्या में हैं, उन के धार्मिक स्थान वहां कैसे रह जावेंगे। इसलिए मैं श्रीयुत प्रधान मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिये विशेष ध्यान रखें और न किसी सम्प्रदाय के दृष्टिकोण से मैं इस बात को छेड़ता हूं और न मेरा यह विश्वास है कि यह सवाल इस तरह से हल हो सकता है। अगर यह सवाल इस दृष्टिकोण से देखा गया तो सारे भारत को यह बिगाड़ देगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन्होंने एक दूसरा कोरिया बनाने का संकेत किया था उन की यह भूल है। वह भारतवर्ष के सम्बन्ध में और काश्मीर के सम्बन्ध में दूसरा कोरिया नहीं बना सकते और हम दृढ़ दावे से कहते है कि भारत का एक एक बच्चा अपने आप को क़त्ल करवा देगा किन्तु कोरिया भारत में नहीं बनने देगा। न वह पाश्चात्य कूटनीतिज्ञ की कूटनीति को

सफल होने देगा । हम अपने प्रधान मंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि वह चाहे इंग्लैण्ड और अमेरिका की ओर बढ़ें, लेकिन हम उन को कभी भी ब्रिटिश राजमुकुट में ब्रिटिश कोहनूर की तरह नहीं सजने देंगे । वह भारत की सम्पत्ति है और भारत में ही रहेगी और हमारे सुख दुःख को उन्हें सुनना ही पड़ेगा ।

बस, इतना ही कह कर मैं आप को धन्यवाद देता हूं ।

श्री एस० एन० मिश्र (दरभंगा उत्तर) : मुझे आश्चर्य है कि यहां सदन में काश्मीर की स्थिति के सम्बन्ध में उन मूल तथ्यों को भी भली भांति समझा नहीं गया है, जिन की ओर प्रधान मंत्री जी ने बार बार ध्यान आकर्षित किया है । क्या जन संघ, क्या हिन्दू महासभा, क्या साम्यवादी, सभी ने किसी न किसी रूप में अनभिज्ञता प्रकट की है । मैं समझता हूं कि हमारे साम्यवादी मित्रों की भी एक अलग विचारधारा है, और उसे उन ही के प्रकाश में समझना भी चाहिये । इन दलों के कई व्यक्तियों ने काश्मीर की स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उत्साह और विशेष रुचि प्रदर्शित किये हैं । मुझे उस उक्ति का स्मरण हो रहा है जब कोई स्त्री किसी दूसरी स्त्री के बच्चे से उसकी माता की अपेक्षा अधिक प्यार करती थी और ऐसी स्थिति में मामला बहुत ही विषम हो जाता है । हमारे साम्यवादी भाइयों का यही रवैया रहा है ।

एक माननीय सदस्य : कितना ही अनभिज्ञ वक्तव्य है ।

श्री एस० एन० मिश्र : मैं यह पूछना चाहता हूं कि किस ने काश्मीर की समस्या को सही ढंग से समझा है । कानूनी दृष्टिकोण हो, अथवा वाणिज्यिक दृष्टिकोण किसी ने भी इसे समझने का प्रयत्न नहीं किया है । वास्तव में, काश्मीर की समस्या समझने का यह कोई भी ढंग नहीं । यदि आप इस समस्या को समझना चाहते हों तो उन काश्मीरियों के हृदय टटोलिये जिन्होंने दिवंगत जिन्ना का दो-राष्ट्र का सिद्धान्त असफल कर दिखाया और संप्रदायवाद को समाप्त कर के उन स्वप्नों को यथार्थ में परिवर्त्तित किया जिन के लिये भारतीयों ने बहुत से बलिदान किये थे ।

इस समय सामाजिक क्रान्ति में दो बड़े प्रयोग किये जा रहे हैं । एक प्रयोग आचार्य विनोबा भावे का है और दूसरा शेख अब्दुल्ला का । उनका कदम सामाजिक क्रान्ति की ओर बढ़ रहा है और इनका भूमि सुधार की ओर । मेरा विचार है कि इन दोनों नेताओं के प्रयोग उसी स्वर्गीय राष्ट्रपिता की आत्मा की पुकार के अनुकूल हैं और उसी से कभी अंकुरित भी हुये हैं । मेरा यह विश्वास है कि कभी न कभी इन दोनों का मिलाप होगा और सारे भारत में यही लहर फैल जायेगी। आप उस विशाल कृषक जनता को ध्यान में लाइये जिस के मन में आशा की एक नई ज्योति जगी है, और जिसका स्वप्न यथार्थ में परिवर्तित हुआ है——उन लाखों करोड़ों कृषकों के सम्बन्ध में सोच लीजिये जो सामन्तशाही बन्धनों से स्वतंत्र हो चुके हैं और थोड़े से भूमिखण्ड के स्वामी बन चुके हैं । ऐसी बात को ध्यान में लाते हुए, आप का यही अनुभव हो सकता है कि काश्मीर की स्थिति कोई साम्प्रदायिक स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है बल्कि एक विशाल क्षेत्र में कोई सामाजिक क्रान्ति कर रही है । विरोधी दल के कई सदस्यों का रवैया कुछ इस प्रकार का है जैसे यात्रा समाप्त हो चुकी हो और काश्मीर की कहानी भी समाप्त हो चुकी हो, लेकिन मेरे विचार में अभी इस कहानी की चर्म सीमा नहीं पहुंची है । हो सकता है कि हम अन्त का प्रारम्भ कर रहे हों किन्तु इतना स्पष्ट है कि अभी यात्रा का अन्त नहीं हुआ है । अक्तूबर १९४७ के काण्ड के लिये कदाचित् हमें और भी बहुत कुछ बलिदान करना पड़ेगा, और शायद विरोधी दल के

[श्री एस० एन० मिश्र]

सदस्यों को भी अभी बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि विरोधी दल के सदस्य काश्मीर को कोई भिन्न देश समझ रहे हैं। काश्मीर के साथ भारत ने जो करार किया है वह मेरी राय में उस प्रकार का नहीं, जिस प्रकार का उसे समझा जाता है। मैं समझता हूं कि वह करार उन कुछ एक निश्चयों का प्रतिनिधित्व करता है जो काश्मीर सरकार तथा भारत सरकार के प्रतिनिधियों के बीच किये जा चुके हैं। उन्हें इस अर्थ में एक करार नहीं समझा जाता क्योंकि काश्मीर स्थिति के सम्बन्ध में बड़े बड़े या मूल प्रश्नों पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई असहमति नहीं थी। प्रधान मंत्री जी ने यदि कभी कोई निश्चय किया भी तो वह भारत सरकार की पूरी स्वीकृति से ही किया। अतः इस अर्थ में इन निश्चयों को करार का नाम देना बिल्कुल गलत है। मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस महीने के अन्त पर जेनेवा में उच्चाधिकारियों का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन हो रहा है, और उसमें श्री गोपालस्वामी अय्यंगार जैसे सक्षम, कार्यकुशल और अनुभववृद्ध व्यक्ति भाग ले रहे हैं। हमें आशा है कि वह सदन की प्रतिष्ठा और यहां के मत को अपने साथ ले जायेंगे, और हम उनकी सफलता के लिये अपनी सद्भावनायें भी दे रहे हैं, किन्तु हम उन से यह प्रार्थना करेंगे कि वह हम लोगों की मानसिक अशान्ति का ध्यान रखें और इस बात पर भी सोचें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने काश्मीर की समस्या को किस प्रकार निबटा लिया है। हमें इस बात का भी पता चला है कि अब डा० ग्राहम वास्तविकता को समझने लगे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि मतभेद की बातों पर भी जेनेवा अधिवेशन में ही विचार किया जायेगा। हम उनसे भी यही प्रार्थना करेंगे कि जो कोई भी बात हो वह सनिश्चय हो, और उस पर किसी भी प्रकार की धांधली न मचे।

अभी हाल में काश्मीर सरकार और भारत सरकार के प्रतिनिधियों में जो भी बातें हुई हैं, उन से शायद संविधान में कुछ और खण्ड आविष्ट करने पड़ेंगे या उसमें कई संशोधन करने पड़ेंगे। नागरिकता निधि और मूल अधिकारों को ही लीजिये। इनके लिये संविधान में कई एक संशोधन या परिवर्तन करने पड़ेंगे। मेरा विचार है कि हमें उसमें किसी भी कठिनाई को अनुभव नहीं करना चाहिये। जिस तरह हमें भूमि सुधार करते समय कई एक सांविधानिक कठिनाइयां आई थीं, और हमने उन्हें संशोधित करके ठीक कर दिया था, उसी तरह इन बातों के सम्बन्ध में हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी।

प्रधान मंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई प्रतिज्ञा कर चुके हैं। हम उस प्रतिज्ञा का पालन करेंगे और काश्मीर की जनता की इच्छाओं के अनुकूल काम होने देंगे। अन्ततः काश्मीर के लोग ही काश्मीर का और अपना भाग्य बनाने के अधिकारी होंगे।

संयुक्त राष्ट्रसंघ और काश्मीर की जनता को हम ने यही वचन दिये हैं। डा० मुकर्जी तथा अन्य व्यक्ति सरकार पर इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि काश्मीर से सम्बन्धित नीति में पुनः नवीकरण किया जाय, और ऐसा करते समय वे जनता तथा संयुक्त-राष्ट्रसंघ के साथ की गई प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं। आप को स्मरण होगा कि यह प्रतिज्ञा उसी समय की गई थी जब डा० मुकर्जी भारत सरकार के एक उत्तरदायी सदस्य थे।

पैतृक शासन के उन्मूलन तथा क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूं। इन दोनों बातों के कारण हमारे देश की जनता का एक छोटा सा भाग बहुत ही परेशान हो रहा है। भारत सरकार को इन दोनों बातों के कारण कोई भी कठिनाई नहीं आई है, क्योंकि

उस ने सदा से सामन्तशाही शासन के उन्मूलन और समान सामाजिक क्रम का समर्थन किया है। और यदि काश्मीर हमारें उन सिद्धान्तों को वास्तविक रूप दे रहा है तो हमें प्रसन्नता होनी चाहिये। कई लोग इन दोनों बातों को रखना चाहते हैं, अतः स्पष्ट है कि वे अपने निहित स्वार्थों के कारण सदा दंगा करना चाहते हैं।

मैं अन्त में, उस के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं जो डा० मुकर्जी ने श्री शिवा राव के लिये कही थी कि वह इस बात के लिये सिद्ध हैं कि किस तरह लहरों के साथ तैरा जाता है, या अवसर से लाभ उठाया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह गई-बीती बातों की ओर क्यों निर्देश कर रहे हैं? वह यथासंगत बात बता दें।

श्री एस० एन० मिश्र: मैं वही बताने जा रहा हूं। हमारी समझ में डा० मुकर्जी ही इस कला को अधिक अच्छा जानते हैं। अब आप ही बताइये कि जिन दिनों संविधान का अनुच्छेद ३७० बनाया, प्रतिज्ञा की, काश्मीर के लोगों और संयुक्त राष्ट्रसंघ से प्रतिज्ञा की; उन दिनों को भूल कर वे अब सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं।

सरकार ने काश्मीर के सम्बन्ध में एक सफल नीति अपनाई है; इसके लिये वह बधाई की पात्र है।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल—पश्चिम कटक) : इस सम्बन्ध में मैं केवल एक बात बताना चाहता हूं कि सभी प्रकार के दलों वर्गों और व्यक्तियों द्वारा विरोध होता, अतः प्रत्येक दल, वर्ग या व्यक्ति को अपना मत प्रकट करने की आज्ञा दी जानी चाहिये किन्तु मैं कल अध्यक्ष जी का ध्यान आकर्षित नहीं कर सका अतः मुझे बोलने का कोई भी अवसर नहीं दिया गया। आज मुझे कुछ शब्द कहने का अवसर मिला है, अतः, सर्वप्रथम, समाजवादी दल का सदस्य होने के नाते—क्योंकि हमारी पार्टी बिना क्षतिपूर्ति के भूमि की मांग तथा कृषकों में उसका वितरण करने की मांग करती रही है, और भारत सरकार ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है, मैं अपने पुराने मित्र शेख अब्दुल्ला, जो काश्मीर के मुख्य मंत्री हैं, को बधाई देता हूं कि उन्होंने बिना क्षतिपूर्ति के कृषकों में भूमि बांटी है और परम्परागत शासन का उन्मूलन किया है। चुनाचि मैं राज्य-प्रजा आन्दोलन में कई वर्ष तक उनके साथ काम करता रहा हूं। इस प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बहुत ही मतभेद हुआ है किन्तु मेरा यह विचार है कि यद्यपि हम ने भारत से परम्परागत शासन, राजकुमारों की विशेष निजी निधि आदि चीजों का उन्मूलन करना चाहा, हम इन में सफल नहीं रहे। और तब तक इन बातों में संशोधन नहीं हो सकता जब तक संविधान में संशोधन नहीं किया जाय। अस्तु, क्योंकि सारा संविधान जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता था—मैं नहीं जानता कि क्या मुख्य मंत्री शेख अब्दुल्ला के ध्यान में इस प्रकार के उग्र परिवर्तन करने की बात भी थी या नहीं, और यही कारण है कि उसने अपने राज्य में सारा संविधान लागू नहीं होने दिया, चाहे कुछ भी हो—वह बात भी वहां की गई है, और मैं अपने कई मित्रों से थोड़ा-सा मतभेद प्रकट करूंगा—यानी काश्मीर में परम्परागत शासन का उन्मूलन तथा भूमि की प्राप्ति और बिना क्षतिपूर्ति के उसका वितरण—इन सब बातों को सारे भारत के लिये एक आदर्श समझा जाना चाहिये। प्रसंगवश इस मामले में भी शेरे-काश्मीर ने लड़ाई जीती है, जब कि शेरे-हिन्द असफल रह चुके हैं; मेरी यह भी आशा है कि ये दोनों शेर निकट भविष्य में ही किसी रोज इकट्ठे हो जायेंगे और भारत भर में मौलिक परिवर्तन कर लेंगे।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : ये दोनों शेर लड़ेंगे ।

श्री सारंगधर दास : काश्मीरी होने के नाते दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र हैं । इन दोनों मौलिक परिवर्तनों की प्रशंसा करते हुए मैं इस बात का उल्लेख किये बिना नहीं रहूंगा कि चूंकि सारा संविधान वहां लागू नहीं किया जाता, क्योंकि मूल अधिकारों, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा स्वातंत्र्य के सम्बन्ध में काश्मीरियों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने से वंचित किया जाता है, जो एक बहुत बड़ा भेद समझा जाना चाहिये, और चूंकि तीन विषयों को छोड़ कर अन्य मामलों में भारत के साथ पूरा ऐक्य नहीं है अतः काश्मीर एक प्रकार से पृथक्-सा होने लगा है। सिद्धान्त की दृष्टि से हम कहा करते हैं और हम कहा भी करेंगे कि काश्मीर भारत का एक अंग है, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से चूंकि काश्मीर के लोग पूरी तरह से संविधान के अन्तर्गत नहीं, अतः वे विगत पांच वर्षों से भारत की जीवन-धारा से अलग होते जा रहे हैं और अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं ।

सम्प्रदायवाद के सम्बन्ध में इतनी बातें हो रही हैं। काश्मीर में जो हमारे मित्र सहयोगी हैं वह संप्रदायवाद के सम्बन्ध में बोल रहे हैं और भारत के कई जन-खण्डों पर संप्रदायिकता का दोष मढ़ रहे हैं, किन्तु मेरे विचार में भारत में कहीं भी संप्रदायिकता नहीं है । साधारण रूप से यही कहा जा सकता है कि लोगों ने पांच साल पुरानी उन सभी बातों को भूल डाला है जब भाई भाई से लड़ा करता था। हां, कभी-कभी लोग उन बातों को स्मरण करते हैं, और कदाचित् उन बातों को दोहराना भी चाहते हैं । कुछ भी हो, मुझे इस बात में कोई भी तर्क नहीं लग रहा कि काश्मीर के रहने वाले और काश्मीर नैशनल कांफ्रेंस भारत को संप्रदायवाद के लिये क्यों दोषी ठहराते हैं । मैं उन माननीय मित्रों से बताना चाहता हूं कि भारत के हृदय में काश्मीर के लिये प्यार और स्नेह भरा है । सांविधानिक उलझनों के कारण काश्मीर दिन प्रतिदिन एक पृथक् राज्य बनता चला जा रहा है और काश्मीर के लोग भारत के रहने वालों के सुख-दुःख में कोई भाग नहीं ले रहे हैं । यदि भविष्य में भी यही पृथक्ता रहे तो यह कहना कठिन है कि क्या हो जायेगा । ३० वर्षों के संघर्ष में भारत में विविध बातें हो चुकी हैं, और संघर्ष की उस धारा में काश्मीर की नैशनल कांफ्रेंस ने कभी भी हाथ नहीं बटाया, यही कारण है कि काश्मीर वालों ने अपना एक अलग झण्डा रखा है जो हम में से बहुतों को पसन्द नहीं । जितनी देर तक भारत के राष्ट्रीय झण्डे को सम्मान मिलता हो और उचित स्थान प्रदान किया जाता हो, स्वयं मुझे तब तक ऐसी छोटी बातों की कोई भी चिन्ता नहीं । वह अपना झंडा रखें, उनकी भावनायें उनके साथ हैं । कदाचित् कुछ वर्षों में उनकी यह भावना बदल जायेगी, अतः अलग झण्डे की बात को मैं अधिक महत्त्व नहीं दे रहा हूं ।

कितना ही अच्छा होता कि हमारी सरकार इन बातों का उपचार करती जो काश्मीर को हम से पृथक् कर रही है, और काश्मीर में वहां के संविधान बनने में जल्दी कराती ताकि ये सभी मतभेद दूर हो जाते ।

सभी जानते हैं कि काश्मीर के तीन भाग हैं—लद्दाख, काश्मीर और जम्मू । कुछ समय हुआ कि जम्मू काश्मीर के प्रशासन का केन्द्र था। सहसा वह केन्द्र श्रीनगर में स्थानान्तरित किया गया है, अतः यह स्वाभाविक है कि जम्मू वालों को इस से दुःख हुआ होगा । राजनीतिज्ञ को चाहिये कि सभी बीती बातें भूल डालें। मुझे मालूम है कि स्वतन्त्र आन्दोलन में काश्मीर का क्या इतिहास रहा । नैशनल कांफ्रेंस से बाहर के कुछ व्यक्तियों के सम्बन्ध में बहुत अधिक अच्छी बातें नहीं लिखी गई थीं, किन्तु अभागी बातों को उसी तरह भुलाया जाना चाहिये जिस तरह भारत के

हिन्दुओं या मुसलमानों ने उन सभी बातों को भुला डाला जो मुसलमानों या हिन्दुओं ने उनके साथ की थीं। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नैशनल कांफ्रेंस का यह काम होना चाहिये कि जम्मू के लोगों को जम्मू तथा काश्मीर राज्य में मिलाना चाहिये। इसमें सन्देह नहीं कि जम्मू का आन्दोलन जोर पकड़ता जा रहा है, अतः इस के प्रति बहुत ही सावधानी बरती जानी चाहिये। वहां के मंत्रियों का भी यह कर्तव्य है कि लोगों से इस प्रकार का बर्त्ताव करें कि वे अपने आप को जम्मू तथा काश्मीर के नागरिक समझ लें। दोनों जम्मू और काश्मीर मिल कर लद्दाख को अपने साथ मिलायेंगे और संगठित हो कर बाद में भारत के साथ मिल जायेंगे। नहीं तो तब तक खतरा रहेगा जब तक काश्मीर भारत के साथ पूरी तरह से नहीं मिलता। यदि काश्मीर पृथक् रहा तो कमजोर होता जायेगा और आस-पास की पहाड़ियों से लोग अन्दर आते रहेंगे, और बाद में काश्मीर के लोग उन के आक्रमण का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अतःएव इन सभी बातों को, जिन से न तो भारत का भला होगा और न काश्मीर का ध्यान रखते हुए हमारी सरकार तथा काश्मीर की सरकार को इस बीच, जब कि वहां की संविधान-सभा द्वारा संविधान बनाया जा रहा है, आपस में समझौते की बातचीत करनी चाहिये ताकि उस में उन में वे सभी प्रावधान सम्मिलित हों जो इन दोनों भारत और काश्मीर. . . . . .

पंडित अलगू राय शास्त्री (जिला आजमगढ़---पूर्व व जिला बलिया---पश्चिम) : क्या भारत और काश्मीर एक दूसरे से अलग अलग हैं, और दो इकाइयों के रूप में हैं?

श्री सारंगधर दास: क्षमा कीजिये, मुझ से भूल हुई। मैं यह कहना चाहता था कि भारत और काश्मीर को एक दूसरे से समझौता कर लेना चाहिये, ताकि काश्मीर की संविधान सभा द्वारा बनाये जाने वाले संविधान में सभी आवश्यक उपबन्ध सम्मिलित किये जा सकें, और उन के परिणामस्वरूप काश्मीर पूर्ण रूप से भारत का एक अंग बने। अतः काश्मीर के सपूत हमारे प्रधान मंत्री जी और शेख अब्दुल्ला एक दूसरे से मिल कर बातचीत करें, और उन सभी सन्देहों को मिटा दें जो इस ओर या उस ओर लोगों के दिलों में पैदा हुए हैं।

मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता, किन्तु इतना बताना चाहता हूं कि पुरानी घिसी-पीटी बातों और की गई भूलों पर बार-बार जिक्र करना अच्छा नहीं। मेरा यह विश्वास है कि अब ही एक ऐसी तिथि निश्चित करने का मौका है जब कि डा० ग्राहम अथवा और किसी आने वाले सज्जन से यह कहा जाय कि इस बार अंतिम रूप से काश्मीर-प्रश्न हल किया जाना चाहिये, अन्यथा यह मामला चलता रहेगा और लखनऊ से आने वाली माननीया पंडित भी बहुत जोर देती रहें, वहां कुछ भी नहीं होगा, और काश्मीर की जनता काश्मीर में सेना के भरण-पोषण का भार भी नहीं संभाल सकेगी। निर्णय भले ही कुछ भी हो, उसमें कोई देर नहीं होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं प्रधान मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : अभी कल की बात है कि माननीय गृह मंत्री जो हमारे भाषणों को भविष्य के बन्दियों के भाषण बता रहे थे, और अब, यह चाहे थोड़ी देर के लिये ही हों, कितनी प्रसन्नता की बात है कि हम सरकार को उन सभी बातों के लिये बधाई दे रहे हैं जो उन्होंने काश्मीर के सम्बन्ध में की हैं। किन्तु गृह मंत्री जी के विचार से छुटकारा पाने के लिये हम पर कहीं इस प्रकार का दोष दिया

[श्री एच० एन० मुखर्जी]

जाय, अतः हम ऐसा नहीं करते, न तो हम इस विचार से सरकार की प्रशंसा करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य हमारी प्रशंसा करें, चुनाचि अभी थोड़ी देर पहले एक माननीय सदस्य ने कुछ स्तुतिवाक्य भी कहे थे। हम विरोध करने के लिये सदन में आये हुये है, और जहां कहीं भी विरोध की आवश्यकता पड़े, हम अवश्य विरोध किया करेंगे, किन्तु जहां पर सरकार की नीति से पीड़ितों और दुःखियों को कोई लाभ पहुंचता हो, वहां हम सरकार की प्रशंसा किये बिना नहीं रहेंगे ।

जहां तक काश्मीर का प्रश्न है हम उस निश्चय का स्वागत करते हैं जो भारत सरकार द्वारा काश्मीर के शिष्टमंडल के साथ किया जा चुका है। हम चाहते हैं कि उन बातों पर और आगे जा कर समझौते किये जायें; किन्तु वर्तमान स्थिति ऐसी है कि इस दिशा में कुछ काम प्रारम्भ किया जा चुका है, और चूंकि सही दिशा में काम किया जा रहा है, अतः हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में सारी बातें तय हो जायेंगी। यही कारण है कि हम ने सर्वसम्मति से उस करार से जो भारत और काश्मीर की सरकारों के बीच किया जा चुका है, सहमति प्रगट की है। यद्यपि हम इस करार में कुछ अन्य बातों का समावेश भी चाहते थे ।

अब, यह पहले ही बताया जा चुका है कि काश्मीर से सम्बन्धित निश्चय की कुछ एक सार्थकतायें हैं जिन के परिणाम बहुत देर में निकल आयेंगे। उक्त निश्चय में यह भी कहा गया है कि काश्मीर में कोई भी राजप्रमुख या उप-राजप्रमुख नहीं होगा, अपितु वहां की सभा द्वारा राज्य का एक मुखिया चुना जायेगा, जो भारत के राष्ट्रपति के अधीन वहां का उच्च पदस्थ बनेगा। अब इस नये परिवर्तन में काश्मीरियों के संघर्ष का इतिहास छिपा है, और हमें इस बात का पता चलता है कि काश्मीरियों ने कहां तक पुराने ढर्रे को उखाड़ने का प्रयत्न किया है। काश्मीर विभाजन के बाद के बवण्डरों का सामना करता रहा है, और सारे भारत के लिये एक प्रकाशस्तम्भ बना है; और आगे बढ़ कर यह कह रहा है "हम राजप्रमुख, महाराज या राजकुमार को राज्य का मुखिया या अध्यक्ष नहीं मानते, अपितु ऐसे व्यक्ति को राज्य का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं जिसे गणतंत्र के आधार पर निर्वाचित किया जायेगा और भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।"

इसका स्वाभाविक अर्थ यह है कि कुछ अन्य बातें भी की जा रही है। मुझे इस बात का भी निश्चय है कि काश्मीर की संविधान सभा काश्मीर के महाराज को १५ लाख रुपये दिलाने से इन्कार करेगी। मुझे इस बात का भी निश्चय है कि वहां के राज्य के मुखिया को (सदरे-रियासत को) किसी अन्य राज्यपाल की अपेक्षा अधिक पैसा नहीं मिलेगा। मुझे इस बात का भी निश्चय है कि यह सिद्धान्त भारतीय राज्यों के राजप्रमुखों और उप-राजप्रमुखों पर भी लागू किया जायेगा, और इस प्रसंग में मैं हैदराबाद के निज़ाम का नाम बार बार दोहराऊंगा । मुझे खेद से कहना पड़ता है कि अभी उस रोज प्रधान मंत्री जी ने हैदराबाद राज्य को 'विशाल आंध्र', 'संयुक्त महाराष्ट्र' आदि खण्डों में बटने नहीं दिया, और कहा कि हम हैदराबाद का विघटन नहीं करना चाहते। मुझे मालूम नहीं कि इस बात से हैदराबाद की पवित्रता पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा, किन्तु मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि काश्मीर और हैदराबाद के साथ अलग-अलग बर्त्ताव नहीं किया जा सकता। समय बीतने के साथ साथ राज्यों की सभी बातें और भी पक्की हो जायेंगी, अतः प्रधान मंत्री जी को हमें बाद में यह कहने पर

मजबूर नहीं हो जाना चाहिये कि अब हैदराबाद के प्रश्न का कुछ सुझाव नहीं दिया जा सकता। मैं चाहता हूं कि हैदराबाद के निज़ाम के साथ भी वही बर्त्ताव हो जो अन्य महाराजों के साथ हुआ है।

हमें इस बात पर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि काश्मीर की सरकार ने ज़मीनदारी का उन्मूलन किया है। हो सकता है कि उन्होंने उस ढंग से जमीनदारी का उन्मूलन नहीं किया हो जिस तरह से हम उसका उन्मूलन चाहते थे, किन्तु उन्होंने कई एक ऐसे सुधार किये हैं जो बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। बिना क्षतिपूर्त्ति के जमीनदारी के उन्मूलन की बात हमारे संविधान के मूल अधिकारों से पूरा मेल नहीं खाती: यही कारण है कि हम मूल अधिकारों को काश्मीर पर पूरी तरह से लागू नहीं कर सकते।

संविधान के सम्बन्ध में हमारी अपनी विचारधारा है और हम यह भी जानते हैं कि इसमें कई खामियां हैं, जिनके विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी चाहिये। मूल अधिकार सम्बन्धी अध्याय में ही तो एक ऐसा उपबन्ध है जो देश के हितों को बरबाद कर देता है, और यही क्या कम है कि प्रधान मंत्री जी उस विरोध को सुनने के लिये तैयार हैं। प्रधान मंत्री जी बहुत ही उदार चित्त वाले हैं और हर एक बात सुनने को तैयार हैं। वह जानते हैं कि संसार भर के लोगों की प्रवृत्ति क्या है अतः काश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वह अन्य राज्यों के लिये एक भूमिका है।

प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं सदन को इस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि अभी हाल के वर्षों में काश्मीर ने धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक राज्य के लिये कितना संघर्ष किया है। काश्मीर पर पाकिस्तान का भी दबाव रहा है और वहां के बहुसंख्यक मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं से अनुचित लाभ उठाने के लिये वहां की जनता पर कितना दबाव पड़ा, किन्तु फिर भी वे लोग डट कर संघर्ष करते रहे हैं। काश्मीर ने जितने भी प्रकार के भूमि सुधार किये हैं, वे सब हमारे लिये एक प्रकाशस्तम्भ का काम दे रहे हैं। हम यह भी देखते रहे हैं कि काश्मीर पर सभी प्रकार के प्रतिक्रियावादियों, संप्रदायवादियों और अन्य प्रतिक्रियावादियों का दबाव पड़ता रहा जिन्होंने तरह तरह के नारे और तरह तरह के आरोप लगाये, फिर भी काश्मीर खूब जोरों से संघर्ष करता रहा और अपनी भूमि का वातावरण बहुत ही स्वस्थ रखता रहा। कई लोगों ने इस प्रकार भी कहा कि जम्मू और लदाख में मुसलमानों की कम संख्या है अतः काश्मीर घाटी का जनमतसंग्रह अलग से होना चाहिये लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने अनुत्तरदायित्वपूर्ण बात कही है। वे लोग आजकल के युग में भी हिन्दुत्व और इस्लाम के नाम पर बटवारा करना चाहते हैं। अस्तु, मुझे इस बात का विश्वास है कि काश्मीर की संविधान सभा इन सब बातों को स्पष्ट करेगी और वहां के भिन्न भिन्न स्थानों में रहने वालों को अपने अधिकार दिला देगी। किन्तु एक बात कहना चाहता हूं कि हिन्दुत्व और इस्लाम के नाम पर काश्मीर और जम्मू का बटवारा किये जाने से सारा देश बरबाद हो जायेगा।

हमें इस बात का पता भी चला है कि काश्मीरी जनता पर ही नहीं अपितु इस देश की सरकार पर साम्राज्यवाद का दबाव पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र डा० लंका सुन्दरम् बता चुके हैं काश्मीर के सम्बन्ध में भारत सरकार के निश्चय पर अमरीकी समाचार पत्रों की क्या प्रतिक्रिया रही है। न्यू यार्क टाइम्स का कहना है कि भारत में सुधार किये जाने का कार्यक्रम काश्मीर के सम्बन्ध में उसकी नीति के कारण पिछड़ जाता है। अब बतलाइये कि उन्होंने कितनी ही भ्रान्तिपूर्ण बात कही है। वे कहते हैं: "आप भारत में बिना क्षतिपूर्ति किये

[श्री एच० एन० मुखर्जी]

भूस्वामित्व का उन्मूलन करने को तैयार नहीं : अतः आप ठीक रास्ते पर हैं।" "वे काश्मीर में बिना क्षतिपूर्ति किये भूस्वामित्व का उन्मूलन कर रहे हैं, अतः वे बहुत बुरा कर रहे हैं।" और इससे यही परिणाम निकलता है कि भारत सरकार का यह निश्चय कुछ इस प्रकार का है जो संयुक्त राष्ट्र संस्था तथा काश्मीरियों के हितों की उपेक्षा कर रहा है। ऐसा कहने वाले बहुत ही परेशान हो रहे हैं। वे कहते हैं कि भारत में काश्मीर ने प्रवेश नहीं किया, अपितु काश्मीर में भारत ने प्रवेश किया है। इस प्रकार की बेतुकी बातें हमारे राष्ट्र के भविष्य को खतरे में डाल रही हैं।

आखिर हम काश्मीर-समस्या को किस तरह निपटाना चाहते हैं? क्या हम काश्मीरियों को धर्मांध व्यक्तियों के हाथ में सौंप रहे हैं अथवा राष्ट्रीय आन्दोलन के अनुकूल किसी क्रम पर लाकर उनका भला करना चाहते हैं? यदि हम बाद की बात होने दें तो हम काश्मीर की सहायता कर सकेंगे। मैं यह भी समझता हूं कि हमारी सरकार यही करना चाहती है। कितना ही अच्छा होता कि ये सभी परिवर्तन आमूल होते, लेकिन जमीनदारी के उन्मूलन के सम्बन्ध में अभी वहां कुछ एक त्रुटियां हैं। कुछ भी हो, यही बहुत कुछ है कि जमीनदारी को वहां से बिना किसी क्षतिपूर्ति के उड़ा दिया गया है।

सुरक्षा समिति और संयुक्तराष्ट्र संघ से काश्मीर की समस्या वापिस ले लेने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी ने विवशता प्रकट की है, और कहा है कि चूंकि हमें सारी दुनिया के समक्ष खड़ा रहना है, और तथ्यों का सामना करना है अतः हम किस प्रकार यह मामला वापिस ले सकते हैं। ठीक है, हमें सभी बातों का सामना करना है, हम उन्हें छोड़ कर भाग तो नहीं सकते, किन्तु इधर पांच वर्ष से हम सुरक्षा समिति के निर्णय की प्रतीक्षा करते रहे, और उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। हम बल्कि इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्होंने—मेरा मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ से है जहां आंग्ल-अमरीकी बहुमत है—काश्मीर की समस्या से अनुचित लाभ उठाया, और काश्मीर के कई भागों में लड़ाई-दंगा करवा के अपना मतलब गांठा। निर्णायकों में डा० ग्राहम रहे हों या कोई अन्य महाशय, सभी ने यही बात की। भारत ने बहुत अधिक धैर्य्य और शान्ति से काम लिया है, और अब हम कितनी देर तक इस प्रकार प्रतीक्षा करते रहें, और ऐसे मनुष्यों के वचनों का मुंह ताकते रहें जो कभी भी हमारे विश्वासपात्र नहीं बने। भला, हम उनके पास जाकर क्यों नहीं कहते कि इस मामले को इतनी देर तक क्यों टाला जा रहा है। अस्तु, अब तो काश्मीरियों ने स्वयं अपने हाथों में यह मामला लिया है, और वे दूसरे पक्ष के काश्मीरियों को यह पाठ पढ़ा सकते हैं कि उन्हें काश्मीरियों के साथ ही रहना चाहिये। आज की यही स्थिति है, और यदि ऐसी स्थिति में हमें वहां जनमत-संग्रह भी करना पड़ा तो हम तैयार हैं। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि हमें प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहिये; हो सकता है कि हमें जनमत संग्रह करना पड़े, किन्तु उसमें इस प्रकार की कोई भी शर्त नहीं होनी चाहिये कि कोई विदेशी जरनेल या सेनाधिपति ही उस काम को कर ले। हम चाहते हैं कि बिल्कुल सही ढंग से जनमतसंग्रह किया जाय, और यदि ऐसी बात हो तो काश्मीरियों को जनमतसंग्रह स्वीकार करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी।

बहस के दौरान में कई एक बातें बताई गईं जिनकी ओर मैं निर्देश करना चाहूंगा। मेरे मान्य मित्र डा०. खरे ने कहा कि यदि निज़ाम से ही राज्यशाही का उन्मूलन प्रारम्भ

किया जाय तो अन्य राजाओं को भी धीरे-धीरे पकड़ में लाया जायेगा। ठीक है। कितना ही अच्छा होता कि डा० खरे इस बात पर डटे रहते। किन्तु खेद है कि उन्होंने दूसरे ही सांस में कहा कि वर्तमान व्यवस्था में राजकुमार या राजे केवल गद्दी की शोभा बढ़ा रहे हैं, अतः उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिये। मेरे बाईं ओर बैठने वाले मित्र बिल्कुल इसी तरह चल रहे हैं। वे भी एक महाराज के बारे में एक बात कर देते हैं और दूसरे राजा के बारे में दूसरी बात कह देते हैं; किन्तु हम चाहते हैं कि सभी माननीय राजे-महाराजे सदा के लिये चले जायें क्योंकि हम उनके शोषण से बहुत ही तंग हो चुके हैं। हम इन राजप्रमुखों को अधिक समय तक सहन नहीं कर सकते; हम अब उनसे बचना चाहते हैं।

डा० खरे ने यह भी कहा कि सीमान्तों पर, जहां गड़बड़ पैदा की जा सकती है, रहने के कारण नागों और सिखों को स्वायत्तता दी जानी चाहिये थी, और जब उन्हें स्वायत्तता नहीं दी जाती तो क्यों काश्मीर को स्वायत्तता दी जाती है। मैं इसी में सरकार की बुद्धिमत्ता समझता यदि वह नागों और सिखों को इस प्रकार का श्रेय देती। अस्तु, रहा काश्मीर का प्रश्न : चूंकि काश्मीर ने साम्राज्यवाद और सामन्तवाद के विरोध में आन्दोलन चलाया, और इन दोनों समाज के शत्रुओं को मार भगाया अतः हम ने उन के साथ मित्रता पक्की की, और उन्हें इस प्रकार की रियायतें दीं। हमें ऐसा करना भी चाहिये। आखिर, ये दोनों बातें भारत के हित में हैं, अतः हमें इस प्रकार के पग उठाने चाहियें।

अब मैं श्रीमती सुचेता कृपलानी द्वारा पूछे गये इस अलंकारिक प्रश्न पर कि क्या काश्मीर भारत की इकाई का एक अंग है या नहीं, कुछ एक शब्द कहना चाहता हूं। हां, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अलंकारिक प्रश्न का उत्तर अलंकारों में नहीं दिया जा सकता। काश्मीर भारत की इकाई का एक अंग है; कौन कहता है कि वह भारत का अंग नहीं। स्वयं काश्मीरी यह बात मानते हैं कि वे भारत का ही एक अंग हैं, किन्तु कुछ एक कारणों से शेष भारत के साथ काश्मीर के प्रवेश के किसी विशेष सिद्धान्त के अनुसार लेना पड़ेगा। भारत के विविध भागों का गठ-जोड़ तब ही हो सकता है, जब वे हार्दिक रूप से एक दूसरे के निकट आ जायं—भले ही ये भाषा, संस्कृति और मनोविज्ञान की दृष्टि से भिन्न हों। सभी क्षेत्रों का वास्तविक संगठन करने के लिये हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा और एक दूसरे से गाढ़ी मित्रता पैदा करनी पड़ेगी, और इन्हीं बातों को लेकर हमने काश्मीर में इस कार्य का श्रीगणेश किया है। सरकार ने इस दिशा में बहुत कुछ किया है किन्तु अभी बहुत सा काम बाकी है। चूंकि कार्य आरम्भ हुआ है, अतः मैं आशा करता हूं कि एक सार्थक युग की भमिका से हमारी सरकार का यह उद्देश्य पूरा हो जायेगा।

मैं प्रधान मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का सहर्ष अनुमोदन करता हूं, और उन्हें इस बात का सुझाव देता हूं—यदि वह इसे ठीक समझते हों तो—कि संयुक्त राष्ट्र संघ से इस मामले को पूरी छुट्टी दिला दी जाय। अब जब काश्मीरियों ने स्वयं ही अपने भाग्य के निर्णय का बीड़ा उठाया है, हमें इस मामले को संयुक्त राष्ट्रसंघ की पैंतरेबाज़ी और चालबाज़ी से छुड़ा देना चाहिये, और उनका रास्ता साफ कर देना चाहिये। हमें काश्मीर-भारत की मैत्री को इतना गाढ़ा कर देना चाहिये कि हमारे इस प्राचीन देश में फिर से स्वर्ग का वातावरण हो और हम चहुमुखी उन्नति के पथ पर अग्रसर हों।

डा० एस० पी० मुकर्जी : मैं प्रधान मंत्री जी से इस बात में सहमत हूं कि काश्मीर का मामला बहुत ही पेचीदा है, और हमें इसको

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

रचनात्मक दृष्टिकोण से समझ लेना चाहिये, किन्तु मैं अभी मेरे पहले बोलने वाले वक्ता-सदस्य से इस बात में सहमत नहीं हूं कि प्रधान मंत्री जी के प्रस्ताव पर प्रस्तुत योजना से हम अपने देश में स्वर्ग का वातावरण बना सकेंगे। प्रधान मंत्री जी के ही शब्दों में इस प्रश्न के दो भाग हो सकते हैं। प्रथम भाग काश्मीर की घरेलू उलझनों से सम्बन्धित है और दूसरा काश्मीर तथा भारत के बीच के सम्बन्ध एवं काश्मीर के भावी संविधान के सम्बन्ध में। चूंकि समय बहुत ही सीमित है अतः मैं प्रश्न के पहले भाग पर बोलना नहीं चाहता।

यह बतलाया गया है कि जब इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ के पास लिया गया तो मैं उस समय के निश्चय में एक सदस्य था; यह ठीक है। मैं विवश हूं अतः मैं यह नहीं कह सकता कि किन असाधारण परिस्थितियों में उस समय यह निश्चय किया गया था, किन्तु कोई भी व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं किया। प्रधान मंत्री जी यह भी बतला चुके हैं कि प्रवेश के सम्बन्ध में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता नहीं लेनी चाही क्योंकि प्रवेश के सम्बन्ध में पहले ही तय हो चुका था। उन दिनों हम केवल इसलिये संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गये थे कि काश्मीर पर के उन आक्रमणों के सम्बन्ध में जिनके पीछे पाकिस्तानी हाथ था, कोई खोज की जाय और उन्हें रोका जाय। चुनांचि वे आक्रान्ता और किसी के इशारे पर चल रहे थे। अब चार वर्ष बीत चुके हैं। प्रधान मंत्री जी ने डा० ग्राहम को श्रद्धांजलि भेंट की—भले ही वे उसके पात्र हों या न हों। कुछ भी हो लग तो ऐसा रहा है कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ से कुछ भी नहीं मिलेगा। कोरिया में जंग शुरू हुई, वहां आक्रमण चल रहा था और उसी समय वे बड़े बड़े देश जिनका संयुक्त-राष्ट्र संघ पर प्रभुत्व था, सारे संसार से साक्षी मांगने लगे और अपनी स्वतंत्रता बचाने के लिये उनसे सहायता भी मांगने लगे। चुनांचि उन ही देशों ने उस समय काश्मीर पर के आक्रमण के सम्बन्ध में भारत की नीति का विरोध किया था। मैं जानता हूं कि प्राविधिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई भी मामला वापिस नहीं लिया जा सकता। प्राविधिक दृष्टि से अभी भी हैदराबाद का मामला उन्हीं के पास है। दक्षिणी अफ़्रीका का मामला भी उन ही के पास है, किन्तु उन्होंने अभी तक क्या किया है? उन्होंने कोई भी प्रगति नहीं दिखाई है, अतः जहां तक काश्मीर का सम्बन्ध है, यह प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ से वापिस लिया जाना चाहिये। हमें उन से कहना चाहिये कि अब बहुत कुछ हो चुका है, और हम अपने प्रयत्नों से ही वहां की समस्या निपटा लेंगे। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ से अलग होना चाहिये। काश्मीर का एक तिहाई भाग जो अभी भी शत्रुओं के अधिकार में है, झगड़े का विषय है। आज प्रधान मंत्री जी ने बतलाया कि वह भाग भी वैसे का वैसा पड़ा है; किन्तु यह राष्ट्र के लिये कितनी ही लज्जाजनक बात है। हम कहते हैं कि काश्मीर भारत का एक भाग है। और वह है भी। कितनी ही दुःख की बात है कि भारत के किसी भाग पर आज शत्रुओं का अधिकार है और हम बेबस हैं। ठीक है कि हम शान्तिप्रिय हैं, लेकिन कहां तक? क्या हम इस हद तक शान्तिप्रिय हैं कि हम अपनी भूमि पर शत्रुओं का अधिकार सहन करें। इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रधान मंत्री जी ने कहा: "अब तक ही, भविष्य मे नहीं।" उन्होंने आज भी यही बताया कि यदि आक्रान्ता काश्मीर के किसी भाग में अन्दर चले आयें तो उस समय पाकिस्तान और काश्मीर का नहीं अपितु भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा होगा।

अब, मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या हम इस अधिकृत प्रदेश को वापिस ले सकते हैं ? हम संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अथवा अन्य शान्तिपूर्ण कार्यवाही या पाकिस्तान के साथ बातचीत करने से काश्मीर के इस भाग को नहीं ले सकते। इसका यह अभिप्राय है कि हम इस भाग से हाथ धो बैठे हैं--हां, लड़कर हम वापिस ले सकते हैं किन्तु हमारे प्रधान मंत्री जी वैसा कदम नहीं उठाना चाहते। आप तथ्यों का सामना कीजिये--और बताइये कि क्या हम यह भाग छोड़ सकते हैं ?

अब मैं उन रियासतों का उल्लेख करूंगा जो काश्मीर को दी जा चुकी हैं। यह भी बताया गया है कि संविधान में इस तरह का कोई उपबन्ध है, और हम प्रतिज्ञाबद्ध हैं। प्रतिज्ञायें ? इसमें सन्देह नहीं कि हम कई एक प्रतिज्ञायें कर चुके हैं। हम हैदराबाद को भी प्रतिज्ञा दे चुके। क्या हमने यह नहीं कहा कि वहां भी एक संविधान सभा बनेगी। उसके बाद हमने एक और प्रतिज्ञा की कि हैदराबाद का भविष्य वहां की विधान सभा द्वारा ही निश्चित किया जायेगा। किन्तु आप यह बता दीजिये कि क्या हैदराबाद भारत का एक भाग नहीं है--क्या वह एक भाग ख राज्य नहीं है ? हम उन राजाओं को भी प्रतिज्ञायें दे चुके हैं जिन्हें आजकल समाप्त किया जा रहा है। यदि आप प्रतिज्ञाओं की बात करते हैं तो हम आज तक भिन्न २ मौकों पर कई प्रतिज्ञायें कर चुके हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हम ने पूर्वी बंगाल से आई हुई अल्पसंख्या के साथ भी प्रतिज्ञायें की थीं। अभी उस दिन प्रधान मंत्री जी ने राज्य-परिषद् में बतलाया कि यदि काश्मीर ने भारत में प्रवेश न भी किया होता तो काश्मीर पर आक्रमण होने की स्थिति में हमारी सेनायें काश्मीर चली जातीं और वहां के आक्रान्तों को बचा लेतीं। मुझे उनकी इस बात पर गर्व है, किन्तु यदि मैं भी इसी प्रकार की बात कहूं या ऐसा कोई सुझाव दूं और कहूं कि हमें हमारे उन ९० लाख भाइयों और बहनों की रक्षा करनी चाहिये जिन के प्रयत्नों से हमने स्वतंत्रता प्राप्त की तो मुझे संप्रदायवादी, प्रतिक्रियावादी और जंग-खोर कहा जाता है।

प्रतिज्ञायें? ठीक है कि प्रतिज्ञायें भी की जा चुकी हैं, और मैं इस बात के लिये चिन्तित भी हूं कि उन प्रतिज्ञाओं का सम्मान किया जाना चाहिये। किन्तु किस प्रकार की प्रतिज्ञायें थीं ? हमने कोई नई प्रतिज्ञा नहीं की इतना तो हमें स्पष्ट कर देना चाहिये।

जैसा प्रधान मंत्री जी उस रोज बतला भी चुके हैं और आज भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि जिस समय ब्रिटिश भारत से चले गये उस समय किस प्रकार का ढांचा स्वीकार किया गया था। भारत--भारत और पाकिस्तान में विभाजित हुआ था और, यदि मुझे यह कहने की आज्ञा हो तो भारत का वह भाग भी था जहां राजे-महाराजे रहते थे। उन सभी राजे-महाराजों को जिनकी संख्या ५०० तक थी, सैद्धान्तिक रूप से स्वतंत्रता मिली, और होना ऐसा चाहिये था कि वे ३ विषयों में भारत में प्रविष्ठ हो जाते। अन्य बातों में उनकी इच्छा पर ही सब कुछ निर्भर था। ब्रिटिश सरकार से हमने इसी प्रकार की व्यवस्था स्वीकार की थी। जहां तक ४९८ राज्यों का प्रश्न है, वे सभी भारत के समक्ष आये, और जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने आज प्रातः कहा भी, १४ अगस्त, १९४७ को ३ विषयों के सम्बन्ध में भारत में प्रविष्ट हुये; लेकिन फिर भी इसे पूरा प्रवेश कहा गया। कालान्तर में ये सभी राज्य भारत के संविधान में जो हमने पारित किया है, प्रविष्ट हुये। मान लीजिये कि नये राज्यों ने भी हम से इसी प्रकार की प्रतिज्ञायें मांग ली होतीं, तो क्या हम उन को पूरा कर पाते ? हम

[डा० एम० पी० मुखर्जी]

वैसा कर नहीं सकते थे क्योंकि उस से भारत में बरबादी हो जाती। किन्तु उन समस्याओं को सुलझाने का एक भिन्न तरीका था। उन्हें यह अनुभव कराया गया कि सभी के हित में उन्हें भारत का संविधान स्वीकार करना पड़ेगा, और संविधान में भी ऐसे उपबन्ध रखे गये कि वे प्रविष्ट हुये। चूंकि उन्हें यह अनुभव कराया गया कि संविधान में प्रवेश पाने से उन्हें सब कुछ मिलेगा, अतः उन्हें इसमें कोई भी मजबूरी नहीं दिखाई दी; न तो उन्हें मजबूर किया गया।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या शेख अब्दुल्ला इस संविधान के बनने के समय हमारे साथ नहीं था। वह संविधान सभा का एक सदस्य था, किन्तु आज वह विशेष रियायतें मांग रहा है। क्या उसने ४९७ राज्यों के सम्बन्ध में यह संविधान स्वीकार करने की बात नहीं मान ली ? यदि वह सभी राज्यों के लिये अच्छी है तो काश्मीर के लिये अच्छी क्यों नहीं ?

संविधान के एक उपबन्ध की ओर हमारा निर्देश किया गया है। बिहार के सदस्य ने अज्ञानवश यह बात कही है कि हम जम्मू तथा काश्मीर राज्य को हमारी शर्तें मनवाने पर मजबूर कर रहे हैं, और उन्हें शस्त्रों की धमकी दे रहे हैं। मैंने एसी कोई भी बात नहीं कही है। भला मैं किस प्रकार ऐसी बात कहूं भी ? संविधान में हमने क्या प्रावधान रखा है ? आप अनुच्छेद ३७३ और श्री गोपालस्वामी अय्यंगार का वह प्रस्ताव पढ़ लीजिए। उन दिनों की स्थिति क्या थी ? सभी अन्य राज्य प्रकाश में आ चुके थे। चूंकि काश्मीर का मामला सुरक्षा समिति में था, वहां युद्ध था और काश्मीर प्रदेश के एक भाग पर शत्रुओं का अधिकार था, और वहां की जनता को संविधान सभा बनाने तथा स्वतन्त्र रूप से जनमत संग्रह करने का अधिकार भी दिया गया था अतः काश्मीर इन विशेष कारणों से संविधान के घेरे में नहीं आ सकता था। इन्हीं कारणों से एक स्थायी निर्णय या निश्चय नहीं किया गया। यह एक अस्थायी उपबन्ध था, किंतु आप श्री गोपालस्वामी अय्यंगार का वह भाषण पढ़ तो लीजिए।

उन्होंने निश्चित रूप से कहा कि उनकी और काश्मीर सरकार की यही आशा है कि काश्मीर किसी अन्य राज्य की तरह भारत का संविधान स्वीकार कर लेगा। इसमें कोई मजबूरी नहीं। भारत का संविधान यह नहीं बताता कि जम्मू तथा काश्मीर की संविधान सभा तो कुछ भी मांग करे, वह भारत उसे दे देगा। इस प्रकार का उपबन्ध नहीं। उपबन्ध यह है—करार, समझौता और सहमति। मैं इससे सहमत हूं।

आज कई एक प्रस्थापनायें प्रस्तुत हुई हैं। उनमें से कई एक हमें पसन्द नहीं हैं। किन्तु हम कर क्या सकते हैं ? यदि हम कुछ कहें तो हमें प्रतिक्रियावादी कहा जाता है, संप्रदायवादी बताया जाता है और शत्रु समझा जाता है। अचम्भा है ! हम चुप भी नहीं रह सकते। यदि हम चुप रहें और वर्ष दो वर्ष में कोई बरबादी हो तो हम से कहा जायगा कि चुप क्यों रहे; उस समय क्यों नहीं बताया और इस बात पर हमें कुछ कहने से रोका जायेगा।

मुझे इस बात की बहुत अधिक चिन्ता है कि हमें काश्मीर के साथ शान्ति से इन बातों का निबटारा कर लेना चाहिए। मैं यह भी समझता हूं कि काश्मीर की भूमि पर कितना बड़ा प्रयोग किया जा रहा है। विभाजन से किसी को भी लाभ नहीं हुआ। मैं ऐसे क्षेत्र से आया हूं जहां दिन प्रति दिन लोगों की आपदायें बढ़ती जा रही हैं। हम प्रति घंटा प्रति दिन विभाजन के कुपरिणामों का अनुभव करते हैं, और सोचते हैं कि सांप्रदायिक

दृष्टिकोण से इस समस्या को क्यों नहीं सुलझाया गया ? क्यों आज तक हमने शेख अब्दुल्ला की नीति के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं कहा ? मुझे मंत्रिमंडल से निकले हुए दो ढाई वर्ष हुए, मैं बोल भी सकता था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा : मैंने बल्कि काश्मीर सरकार की नीति का समर्थन किया, और कहा कि एक बड़ा भारी प्रयोग हो रहा है---जिसमें हम सारे संसार को यह जताना चाहते हैं कि सिद्धान्त की दृष्टि से ही नहीं अपितु व्यवहार में भी भारत में हिन्दू मुस्लिम, ईसाई और अन्य धर्मावलम्बी बिना किसी भय के एक-से रहेंगे। हमारे संविधान में यही लिखा गया है। हो सकता है कि कहीं इधर उधर इसके विरुद्ध मांग की जा रही हो---जो सांप्रदायिक उद्देश्य से होगा। उस समय हमारे सामने इस बात का भय पैदा होता है कि कहीं हमारी इस नीति से भारत भी 'बलकानीकरण' न हो, और यहां देश के टुकड़े-टुकड़े न हों। खतरा इसी बात में है कि कहीं पृथक् राष्ट्रीयताओं से बना यह देश कहीं टुकड़े टुकड़े न हो जाये।

अब शेख अब्दुल्ला ने कौन सी चीज़ मांगी है ? उसने संविधान में कई परिवर्तन करने को कहा है। हमें ठंडे मस्तिष्क से और सावधानी से इस बात पर विचार करना चाहिए। हमें इस बात को जांचना चाहिए कि उसे वे रियायतें देने से कहीं भारत को कोई हानि तो नहीं पहुंच रही है और काश्मीर के हाथ मजबूत तो नहीं हो रहे। मैं संविधान के विरुद्ध कोई भी बात नहीं कहना चाहता। मैं यह चाहता था कि प्रधान मंत्री जी हम विरोधी दल के कुछ सदस्यों को उस समय बातचीत के लिए बुलाते जब शेख अब्दुल्ला यहां था। ऐसी बातें गुप्त में होने की हैं। हम भी कुछ सुझाव देते। क्योंकि उसने जो भी निश्चय किये हैं वह हमें पसन्द नहीं। यह दूसरी बात है कि वह हमारा सुझाव नहीं मानता लेकिन फिर भी हम अपनी बात उसे बता तो सकते। यों तो मैं उसे एक निजी बैठक में मिला, किन्तु मैं चाहता था कि हम मैत्रीपूर्ण तरीके में मिलते ताकि हम उन्हें अपना दृष्टिकोण समझा देते। हम वास्तव में कोई ऐसा करार करना चाहते हैं जिससे भारत एकता रख सके और काश्मीर पाकिस्तान से अलग रह कर भारत में प्रविष्ट हो सके।

आप इस बात को निष्पक्ष रूप से देखिए कि कब से गड़बड़ शुरू हुई ? जब से शेख अब्दुल्ला पेरिस से लौटे, उनके ऐसे वक्तव्य आने लगे जिनसे हमें परेशानी हुई। उसने अपना पहला वक्तव्य स्वतन्त्र काश्मीर के सम्बन्ध में विदेश में दिया था। यहां आकर उसने उसका स्पष्टीकरण किया और तब से इन वक्तव्यों का सिलसिला शुरू हुआ और परेशानी बढ़ती गई। यदि वह भारत से अलग रहने में अपनी रक्षा समझते हैं तो वह ऐसा कहें---हमें दुःख तो होगा किन्तु हो सकता है कि यही एक अनिवार्य बात बन जाय। किन्तु ईमानदारी से उसका अन्यथा अनुभव है, जैसा मैं सदा से आशा करता रहा हूं तो निश्चय ही उसे इस बात की व्याख्या करनी चाहिए कि वह क्यों इस प्रकार के परिवर्तन चाहता है।

काश्मीर की संविधान सभा में भी उसने तीन चार महीने पहले ऐसे शब्द कहे जिन से दलगतनीति से दूर के व्यक्तियों के मस्तिष्क में भी भ्रम पैदा हुआ। मझे मालूम नहीं कि क्या प्रधान मंत्री जी को भी उस बात का पता चला। चुनांचि शेख अब्दुल्ला ने कहा :

"हम शत प्रतिशत संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न संस्था हैं। कोई भी देश हमारे रास्ते में रोड़ा नहीं अटका सकता। इस राज्य से बाहर की किसी भी संसद् को, वह भारतीय हो अथवा कोई अन्य, हमारे राज्य पर कोई भी अधिकार नहीं।"

यह बहुत ही मनहूस वक्तव्य है। मैं प्रधान मंत्री और शेख अब्दुल्ला के सामने भेंट

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

प्रस्तुत करूंगा। अन्तरिम उपचार के रूप में मैं इस योजना का पूरे हृदय से समर्थन करूंगा। आज प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि कोई भी बात अन्तिम नहीं है बात अंतिम कैसे हो सकती है जब कई बातों पर विचार-विमर्श करना है। किन्तु फिर भी मैं पूरा समर्थन करने को तैयार हूं यदि दो शर्तों को पूरा किया जाये।

शेख अब्दुल्ला इस बात की घोषणा करें कि वह इस संसद् की संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्नता स्वीकार करते हैं। भारत में दो प्रभुत्व-सम्पन्न सत्ताधारी संसदें नहीं हो सकतीं। आप कहते हैं काश्मीर भारत का एक अंग है और शेख अब्दुल्ला कहता है कि काश्मीर के लिए एक संपूर्ण सत्ताधारी संसद् होनी चाहिए कितनी ही असंगत बात है। इसमें प्रतिवाद है। आखिर इस संसद् में चन्द एक व्यक्ति तो नहीं, इसमें जनता के प्रतिनिधि हैं, तो फिर वह स्वतन्त्र भारत की सत्ता मानने को क्यों तैयार नहीं हैं ?

दूसरी यह बात है कि राष्ट्रपति के आदेश से संविधान के उपबन्ध बदलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अब आप उन कई एक बातों को देखिए जिनकी मांग की जा रही है। महाराजा का रखा जाना। इसी बात पर हमारा विरोध किया जा रहा है कि हम महाराजा के समर्थक हैं। मैं आज तक यहां के महाराजा से नहीं मिला हूं, न तो मैं उसे व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। हम तो किसी भी महाराजा के समर्थक नहीं। और महाराजा भी अपनी इच्छा से वहां नहीं रह सकता। भारत के संविधान ने ही तो उसे जम्मू और काश्मीर का संविधानिक मुखिया मान लिया है। और अब विडम्बना भी देखिए। संविधान के अनुसार वहां महाराजा होना चाहिए, और उसी को अभागा समझ कर यहां से हटाया जा रहा है। महाराजा एक सांविधानिक मुखिया है, और यदि आप इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो संविधान बदल लीजिए। आप साफ साफ कहिए कि पैतृक परम्परा से राजप्रमुख नहीं होंगे। यह विचारनीय मामला है; देखिए किस तरह एक हिन्दू महाराजा को हटाया जा रहा है। पाकिस्तान में इस बात की भी चीखपुकार है, लेकिन हिन्दू महाराजाओं के शाही अधिकार किसने छीने ? शेख अब्दुल्ला ने नहीं बल्कि स्वतन्त्र भारत के संविधान ने। हम ही ने उसे बनाया। किन्तु शेख साहब अपने हर किसी भाषण में यही कहते हैं कि महाराजा, और डोगरा राज समाप्त हो चुका है। क्या यही प्रचार है—क्या यही आवश्यक है ? आप एक मरे घोड़े पर लाठियां बरसाते हैं भला इससे क्या लाभ है ?

निर्वाचित राज्यपाल के सम्बन्ध में आपका क्या विचार है ? प्रधान मंत्री जी को याद होगा कि हम ने संविधान में यह उपबन्ध रखा था कि एक निर्वाचित राज्यपाल होना चाहिए, लेकिन बाद में सरदार पटेल और प्रधान मंत्री तथा अन्य व्यक्तियों ने यही अनुभव किया कि प्रजातंत्रवादी राज्य व्यवस्था में राज्यपाल का कोई काम नहीं। किन्तु उसमें यह भी बताया गया था कि राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होगा, और यदि राज्यपाल विधान अथवा जनता द्वारा निर्वाचित होगा तो मुख्य-मंत्री भी निर्वाचित होगा। बाद में प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में इन सभी बातों पर विचार करते हुए बतलाया कि भारत में संगठन तथा केन्द्र के साथ राज्यों का सम्पर्क रखने के लिए राष्ट्रपति ही राज्यपाल का निर्वाचन करेगा। आप इन सभी बातों की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि शेख अब्दुल्ला कहते हैं : "अब मैं एक निर्वाचित मुखिया चाहता हूं।" आप उसे और

अन्य व्यक्तियों को क्यों नहीं समझा देते कि संविधान के उपबन्ध क्या हैं और यदि वहां एक निर्वाचित मुखिया की आवश्यकता है, तो इस पर आप विचार कीजिए, और इसको एक विशिष्ठ प्रस्थापना के रूप में प्रस्तुत कीजिए। इसके गुण-दोषों पर विचार विमर्श कीजिये। किन्तु इसी बीच मेरे मित्र श्री हीरेन मुकर्जी सहसा बोल उठते हैं कि लोग एक निर्वाचित मुखिया चाहते हैं। लोग हर किसी जगह पर इस तरह की पुकार करते हैं, तो क्या आप हर कहीं निर्वाचित मुखियों को रख लेंगे ? सत्य तो यह है कि वर्तमान स्थिति में हम राज्यपालों को पूर्णतया समाप्त ही कर देंगे। निराश, पराजित, अस्वीकृत, अवांछित मंत्रियों आदि के लिए ही राज्यपाल के पद प्रायः सुरक्षित रखे जाते हैं। किन्तु हम इस प्रकार का वर्ग नहीं चाहते। कम से कम मैं तो नहीं चाहता, और यह एक ऐसा परिवर्तन है जिसके लिए कोई भी तर्क नहीं दिया जाता।

इसके बाद झण्डे का प्रश्न हमारे सम्मुख है। झण्डे का कोई महत्व भी है। यदि प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि इसमें एक भावना की बात है तो वह कोई पर्याप्त तर्क नहीं। अभी दो तीन दिन पहले समाचार पत्रों में इस बात की घोषणा हुई थी कि केवल दो अवसरों पर भारतीय झण्डा लहराया जायेगा, अन्यथा राज्य का झंडा ही लहराता रहेगा। यदि आप इस तरह की बात से भारत की सत्ता और संगठन को अप्रभावित समझते हों और यह मानते हों कि बाद में कोई झगड़ा नहीं होगा तो आप उनकी यह बात स्वीकार कीजिए और सभी के लिए लागू कीजिए। किन्तु आप शेख अब्दुल्ला की बात मान कर इस चीज को क्यों लागू करना चाहते हैं ?

वह अपने आपको प्रधान मंत्री कहलाना चाहता था। अतः उसने इसी तरह अपना रवैया रखकर कार्य आरम्भ किया। हम में से कई व्यक्तियों को यह बात पसन्द नहीं आई। काश्मीर को मिलाकर भी हम भारत में केवल एक प्रधान मंत्री को जानते हैं जो हमारे बीच यहां बैठे हुए हैं। किस तरह भारत में दो प्रधान मंत्री हो सकते हैं, जिनमें से एक दिल्ली में विराजे और दूसरा श्रीनगर में। प्रारम्भ में हम इसे एक साधारण सी बात समझते थे, किन्तु वह पग पग पर अपने लिए एक विशेष बर्ताव चाहते हैं। क्या हमने नागरिकता और मूल अधिकारों के सम्बन्ध में कभी सोचा ? क्या सदन ने उन सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में कभी विचार भी किया जो काश्मीर के लिए की गई हैं। आप नागरिकता के सम्बन्ध में बिना कोई विचार किये संविधान के उपबन्धों में परिवर्तन कर रहे हैं। यह भी कहा गया कि धनी पुरुष काश्मीर जा रहे हैं और संपत्ति खरीद रहे हैं। प्रधान मंत्री जी अपने वक्तव्य में यह उल्लेख कर चुके हैं कि अनुच्छेद १९ (५) में एक उपबन्ध है। संविधान बनाने के समय हमने सरसरी तौर पर इस अनुच्छेद पर विचार भी किया। भिन्न-भिन्न प्रान्तों ने प्रयत्न किये भी, और वे बड़े पैमाने पर भूमि की अनधिकृत खरीद से बचने के लिए कोई विशेष रक्षा चाहते थे। भला बताइये कि हमने क्या कहा है ? हमने यही कहा है कि कोई भी राज्य-विधान सार्वजनिक अथवा अनुसूचित जातियों या जनजातियों के हित के लिए एक भाग से दूसरे भाग में जाने अथवा संपत्ति अर्जन करने के सम्बन्ध में कोई विधि पारित करके उचित निर्बन्ध लगा सकता है। यदि शेख अब्दुल्ला इस बात का कोई अनुभव करता है तो विधि मौजूद है। मैं प्रधान मंत्री जी से इसके सम्बन्ध में स्पष्टतया पूछना चाहता हू क्योंकि उन्होंने इस बात को छोड़ ही दिया है। क्या काश्मीर की विधान सभा कोई विशेष प्रतिबन्ध लगाना चाहती है। वहां चार प्रकार के नागरिक हैं, लेकिन इस प्रकार का वर्गीकरण वहां के अभागे महाराजा के जमाने में हुआ है। क्या उन चार श्रेणियों को रखा जायेगा या छोड़

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

दिया जायेगा ? मुझे इस सिलसिले में लार्ड कर्जन द्वारा लिखी गई एक कहानी याद आ रही है कि किस तरह इंग्लैण्ड की एक जोड़ी ५०-६० वर्ष हुए फ़ारस के शाह के दरबार में गई थी, जहां उस अंग्रेज की स्त्री को तीसरी श्रेणी का सम्मान प्राप्त हुआ था। चुनांचि उस घटना से यहां एक थलका मच गया था। जम्मू तथा काश्मीर में चार प्रकार की नागरिकता श्रेणियां हैं—क्यों ? उन चारों श्रेणियों को हटा कर नागरिकता की केवल एक श्रेणी रख देनी चाहिए। हमने कभी भी ऐसी बात नहीं कही कि कोई भारतीय वहां जाकर संपत्ति खरीद लेगा—उसके लिए वैधानिक उपबन्ध हैं। और हम उनको स्वीकार भी कर चुके हैं। अब भय काहे का है ? भारत में काश्मीरी प्रधान मंत्री है, काश्मीरी गृह मंत्री है। फ़िर भी हम भारत में प्रसन्न और सन्तुष्ट हैं। हम इस बात की चिन्ता नहीं करते बल्कि उनका स्वागत करते हैं। तो काश्मीर वालों को किस बात का भय है ? क्या वे इस बात से डरते हैं कि भारत वाले काश्मीर पर आक्रमण करेंगे और हम में से कोई वहां का प्रधान मंत्री बन बैठेगा। हम जम्मू तथा काश्मीर पर आक्रमण नहीं करना चाहते। मैंने कभी भी उस सुन्दर प्रदेश को नहीं देखा है। मैं वहां जाकर कुछ देर ठहरना चाहता था। मेरे पास पैसा नहीं कि वहां मकान खरीद सकूं। कुछ भी हो मैं वहां जाना चाहता हूं। और यह मूल अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रही है। वहां आप नये नये परिवर्तन कर रहे हैं। प्रधान मंत्री जी ने वहां के लिए छात्रवृत्ति, सेवा आदि के सम्बन्ध में उल्लेख किया। यह 'आदि' क्या है ? और 'सेवायें' क्यों ? क्या आप सेवाओं के सम्बन्ध में नागरिकों में भेद करना चाहते हैं ? और इस बात में भी केवल संसद् को यह अधिकार प्राप्त है कि सेवायें दिलाने में वह उन्हें विशेष रियायतें दें जिन्हें रक्षा की जाने वाली हो। इसी प्रकार दक्षिण में भी इस तरह की बात चल रही है। यदि आप काश्मीर को विशेष अधिकार दे रहे हैं तो दक्षिण वालों को भी दीजिए।

एक और बात की ओर प्रधान मंत्री जी ने निर्देश नहीं किया है। मैं हैरान था कि किस प्रकार एक विशेष उपबन्ध बनाया गया। आप जानते हैं कि दो लाख लोग पाकिस्तान चले गये हैं। एक उपबन्ध यह भी है कि उन लोगों को काश्मीर वापिस बुलाने के लिए एक विशेष कानून संविधान में निविष्ट किया जायगा। अभी युद्ध जारी है, और नागरिक स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में मूल अधिकारों को और भी जटिल बनाया जाने वाला है, तो किस तरह आप पाकिस्तानियों को काश्मीर आने का बुलावा दे रहे हैं, और इसके लिए आप एक विशेष कानून बना रहे हैं—क्यों ? क्यों शेख अब्दुल्ला इस बात से चिन्तित हैं कि काश्मीर से पाकिस्तान भागे हुए आदमियों को फिर बुलाया जाये ? क्या इसमें कोई तुक है ? इससे सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

मौलाना मसूदी : भागे नहीं, कत्ल करके निकाले गये।

डा० एस० पी० मुखर्जी : मरे हुए आदमी वापस नहीं जा सकते। और अब जो भी जिन्दा हैं—यदि वे ईमानदारी से भारत और भारतीयता में विश्वास करते हैं और जम्मू में रहना चाहते हैं—भविष्य में चले आयेंगे। इसके लिए कोई विशेष उपबन्ध बनाने की आवश्यकता नहीं। जम्मू में बहुत ही दुःखद दृश्य बने। क्या हिन्दू क्या मुसलमान—दोनों एक दूसरे से तंग हो चुके थे, और उन्होंने एक दूसरे को मारा काटा। किन्तु भारत के बहुत से भागों में ऐसी बात हो रही थी, और अब स्थिति बिल्कुल भिन्न है। आपने हजारों शरणार्थियों को भारत आने की सुविधा दी

है । मैं समझता हूं श्री अजित प्रसाद जैन आपको इसके सम्बन्ध में बतला सकेंगे । वे लोग जम्मू व काश्मीर से आये हैं और भारत पर एक बोझ बने हुए हैं। आप कोई ऐसा उपबन्ध क्यों नहीं बनाते जिससे वे ही वापिस जम्मू व काश्मीर में चले जायें ? हजारों काश्मीर से निकल कर भारत आये हैं । मुझे मालूम नहीं कि कितने पंडित काश्मीर से निकल आये हैं । उन्हें भी वापिस काश्मीर जाना चाहिए ।

श्री ए० पी० जैन : माननीय सदस्य को मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि उनमें से बहुत से लोग जम्मू व काश्मीर को वापिस चले जा रहे हैं ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : मुझे प्रसन्नता है कि वे वापिस जा रहे हैं, किन्तु वे अभी वापिस नहीं गये हैं । दूसरे भाग की बात बहुत ही गम्भीर है । जम्मू व काश्मीर का दूसरा भाग जो कुल राज्य की एक तिहाई है, पाकिस्तान के अधिकार में है । वहां से लगभग १ लाख हिन्दू और सिख आये हुए हैं और काश्मीर प्रदेश में शरणार्थियों की तरह रह रहे हैं । उन्हें क्या होगा ? आप उनकी चिन्ता नहीं करते जबकि आप पाकिस्तान से ऐसे मुसलमानों को बुलाना चाहते हैं जो पाकिस्तानी हैं। आप उन्हें बुलाकर काश्मीरी बना तो लेंगे, लेकिन इन अभागे काश्मीरियों के लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे। क्या इन्हें मकान या भमि मिली है । इन ही मामलों पर आपको पुनः विचार करना है ।

संकट की स्थिति के सम्बन्ध में वहां राष्ट्रपति को अंतिम शब्द कहने का अधिकार नहीं है । भारत के राष्ट्रपति का यह भय क्यों है ? क्या राष्ट्रपति के लिए इससे बढ़ कर और कोई अपमानजनक बात हो सकती है ? इस बात में काश्मीर की सरकार को भारत के संविधान पर चलना चाहिए था । वे लोग अपनी गलतियों से वहां दंगा फैलायें और बाद में यहां वालों से यह प्रार्थना करें कि अब हस्तक्षेप किया जाये, कितनी ही विचित्र बात है ।

मान लीजिए कि वे चीन, रूस या अन्य राष्ट्रों से सांठ-गांठ कर रहे हों, और वहां पर दंगा हो जाय, तो वे क्यों आप से सहायता या हस्तक्षेप के लिए मांग करेंगे ? मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वहां अन्य संकटकालीन उपबन्ध लागू होते हैं या नहीं । आप जानते हैं कि संविधान में दो अन्य उपबन्ध ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं । उनमें से अनुच्छेद ३५४ आपात की उद्घोषणा के समय राजस्व के वितरण से सम्बन्धित उपबन्धों के विषय में है और दूसरा, अनुच्छेद ३५६ राज्यों में सांविधानिक प्रशासन की असफलता की स्थिति में लागू होने वाले उपबन्धों से सम्बन्धित है । क्या शेख अब्दुल्ला ने अनुच्छेद ३५६ का लागू किया जाना स्वीकार किया है, अथवा अनुच्छेद ३६० में दिये गये अधिक महत्वपूर्ण उपबन्ध को—जो वित्तीय आपात के सम्बन्ध में है—स्वीकार किया है ? प्रधान मंत्री जी ने इसकी ओर भी निदश नहीं किया है । वहां सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र भी अभी स्वीकार नहीं किया गया है ।

शेख अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया जाने बिना ही मैंने ये सभी बातें कही हैं । पिछली बार जब वह दिल्ली में था, उसने मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट की थी । चूंकि मैं यहां नहीं था अतः मैं उससे मिल नहीं सका । मैंने उसे मैत्रीपूर्ण उत्तर लिख भेजा । कदाचित्, हम कभी भी एक दूसरे से मिल सकते हैं—इसमें मिलने-मिलाने की बात नहीं, बल्कि यह तथ्य है कि हमें कई प्रमाणों के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए । सर्वप्रथम वहां के लिए राष्ट्रपति को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं कि वे संविधान में कोई ठोस परिवर्तन कर सकें ।

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

यदि प्रधान मंत्री जी का यह अनुभव है कि भूमि जैसे विषय पर संविधान के महत्वपूर्ण उपबन्ध की पुनः जांच की जानी चाहिए, और यदि आप भी इस बात को समझते हैं कि बिना क्षतिपूर्ति के भूमि छून ली जानी चाहिए, तो संविधान में ऐसा विधान उपबन्धित कीजिए। आप ऐसा कानून बनाइए जो सारे भारत पर लागू हो, या उन भागों में लागू हो जिनके लिए संसद् ने कोई विशेष छूट दे रखी हो। आप सांविधानिक प्रणाली के अनुसार चलिए, संविधान से खिलवाड़ न कीजिये। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है जिस पर धन और समय व्यय किये जा चुके हैं। और यदि आप यह महसूस करते हैं कि काश्मीर या भारत के किसी अन्य भाग में कोई व्यवस्था विकसित हो रही है जिस पर विचार करने के लिए कई परिवर्तनों की आवश्यकता है, तो आप सहर्ष इस देश के रहने वालों को अपना मत व्यक्त करने दीजिए।

अन्त में हम में से कई एक पर यह आरोप लगाया गया कि हम जम्मू और लद्दाख के सम्बन्ध में पृथक् से विचार कराना चाहते हैं। मैं आपको और सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम जम्मू और काश्मीर के विभाजन के पक्ष में नहीं हैं। मैं विभाजन के दोषों को जानता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि विभाजन के बाद क्या होगा किन्तु उस विभाजन से बचाने का उत्तरदायित्व उन ही लोगों पर है जो इस समय जम्मू व काश्मीर के मालिक बने बैठे हैं और भारत का संविधान स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। मैं कोई विभाजन की बात तो नहीं कर रहा लेकिन मान लीजिये कि जम्मू के लोग यह कहते हैं कि वह अक्षरशः भारत का संविधान मानने को तैयार हैं। क्या वे ऐसा कहकर कोई अपराध कर रहे हैं? मैं जम्मू को काश्मीर से अलग नहीं कराना चाहता न तो यह बात मेरे या सदन के अधिकार की है कि काश्मीर का क्या भविष्य होना चाहिए। जैसा कि प्रधान मंत्री जी बतला भी चुके हैं. इसका निर्णय वहां की जनता द्वारा ही होगा। मान लीजिए कि जम्मू और लदाख के लोग यह कहें कि जम्मू व काश्मीर पूर्णतया भारत में प्रविष्ट होना चाहिए, और अगर यह बात शेख अब्दुल्ला को मान्य नहीं तो कम से कम इन दो प्रान्तों को भारत में प्रविष्ट होने देना चाहिए। भले ही काश्मीर किसी भी ढंग से चले—अधिक स्वायत्तता और कम हस्तक्षेप मांगे—यह ऐसी बात है जिसे रद्द नहीं किया जा सकता। मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए।

काश्मीर से आने वाले मेरे मित्र मौलाना मसूदी ने आज प्रातः जम्मू का निर्देश किया—और अब मैं उसके उत्तर में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। तो, उन्होंने कहा कि यदि यह जम्मू की मांग है तो १९४१ में वहां—यानी जम्मू में—मुसलमान ही अधिक संख्या में रहते थे। उन्होंने यह तो कहा लेकिन कहानी पूरी नहीं की। इसमें कोई सन्देह नहीं कि १९४१ में वहां मुसलमानों की अधिक संख्या तो थी, किन्तु तभी ऐसी बात थी जब जम्मू के साथ वे जिले भी थे जिन पर इन दिनों पाकिस्तान का अधिकार है। अतः, यदि आप उन क्षेत्रों को अलग करें .....

मौलाना मसूदी : क्या आप उन्हें छोड़ना चाहते हैं?

डा० एस० पी० मुखर्जी : मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने यह प्रश्न पूछा है। प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि वह क्षेत्र पुनः अधिकार में नहीं लाया जायेगा, किन्तु यह एक भिन्न बात है। आप उसको पुनः अधिकार में ला नहीं सकते —यह संभव भी नहीं। कुछ भी हो उन

लोगों ने जम्मू तथा काश्मीर के विरुद्ध काम किया है, और जैसा कि बार बार बतलाया भी जा चुका है, वे लोग भारत की अपेक्षा पाकिस्तान के ही मित्र बन चुके हैं।

एक माननीय सदस्य : गलत।

डा० एस० पी० मुखर्जी : यदि आप १९५१ की जनगणना के आंकड़े लें--आंकड़े प्रकाशित तो नहीं हुए हैं, किन्तु ये आंकड़े उस प्रदेश के आधार पर हैं जो हमारे अधिकार में है--वहां की ७५ प्रतिशत जनसंख्या हिन्दुओं की होगी। किन्तु मैं हिन्दुओं और मुसलमानों की संख्या के आधार पर नहीं चल रहा हूं। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं उन लोगों की इच्छा को आधार बना रहा हूं जो खण्डशः या पूर्णतया भारत में मिलना चाहते हैं। यदि जम्मू और लदाख इन सभी विषयों सहित भारत में मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं तो उनके लिये आप यह संभव बना दीजिए।

आप काश्मीर के लिए जिन बातों का दावा करते हैं, हो सकता है कि जम्मू और लदाख के लोग भी वैसा ही करना चाहते हों। हमें मित्रतापूर्ण वातावरण में इस प्रश्न को सुलझाना चाहिये। स्वयं शेख अब्दुल्ला ने एक मास पूर्व कहा कि यदि जम्मू और लदाख के लोग सचमुच भारत में मिलना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है--मैं यह नहीं कहता कि आप तुरन्त ऐसा करा दीजिये या इस प्रकार का विधान चलाइये, लेकिन यह प्रतिपादित करना चाहता हूं कि उन क्षेत्रों के लोगों के लिए इस प्रकार की सुविधा पैदा कीजिए कि वे निश्चय कर सकें और प्रवेश पाने के लिये कार्यरत रहें--चुनांचि यह बात शेख अब्दुल्ला के बुनियादी दावों पर आधारित आत्म-निश्चय के उन सिद्धान्तों के अनुसार होगी जिनका समर्थन हमारे प्रधान मंत्री जी भी करते हैं।

पंडित कोतद (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं काश्मीर के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गए भाषण का सम्मान और समर्थन करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि संसद् की बुद्धि को भी वैसी ही प्रेरणा मिले ताकि काश्मीर समस्या पर ठंडे मस्तिष्क से विचार हो सके। पूर्व इसके कि मैं अपने मान्य सहयोगी डा० एस० पी० मुखर्जी की बातों का जवाब दूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ज़रा दो मिनट के लिए रुकें। सदन में बहुत शोर हो रहा है। शान्ति, शान्ति। आपकी ज़रा सी आवाज़ भी ध्वनिविस्तारक यंत्रों द्वारा फैल जाती है। माननीय सदस्य आगे की कतार में आयें।

पंडित फोतेदार : बहुत ही खेदजनक बात है कि ऐसे अवसर पर जबकि हमें शत्रु से लोहा लेना है, जबकि युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, और हमारा मामला जनेवा में विश्व की संस्था क समक्ष है यहां सदन में एक दूसरे का विरोध हो रहा है: चुनांचि ऐसी प्रवृत्तियों से देश का भला नहीं हो सकता न तो उस धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के हित में कोई काम हो सकेगा जि सके लिए भारत और काश्मीर इतनी देर से संघर्ष करते रहे और क्षति उठाते रहे। यदि हम इसी प्रकार एक दूसरे से भिड़ते रहे तो पाकिस्तान और हमारे शत्रुओं के हाथ मजबूत हो जायेंगे। १९४४ के बाद जब जिन्ना अपने जीवन में एक बार काश्मीर आया था और वहां के मुसलमानों ने उसकी विचारधारा के कारण उसके साथ अच्छा बर्ताव हीं किया काश्मीर के सम्बन्ध में दो बातें चाहता था। पहला यह कि काश्मीर भारत से अलग हो और दूसरा यह कि अब्दुल्लावाद समाप्त हो।

[पंडित फोतेदार]

जिन्ना जन्म भर जिस बात को प्राप्त नहीं कर सका, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान बार-बार आक्रमण करने पर भी जो बात प्राप्त करने में असफल रहे, वही बात आज यहां संसद् में, भारत और हिन्दुत्व के नाम पर कही जा रही है, और यह स्पष्ट है कि इससे पाकिस्तान का काम बन रहा है और जिन्ना का सिद्धान्त पूजा जा रहा है। मुझे इस अवसर पर एक फ़ारसी कवि का [illegible] याद आ रहा है :—

दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से।
इस घर को आग लग गई घर के चिराग से॥

इतिहास के इस नाजक युग में भारत की इस बड़ी संसद् से, जिसमें करोड़ों जनता के प्रतिनिधि हैं, यह आशा की जाती है कि लोगों का सही नेतृत्व करे। यदि हम इस मौके पर जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते तो हमारी भावी पीढ़ियां यही कहेंगी कि हमने राजनैतिक आत्महत्या की थी। मैं इस बड़ी संसद् के समक्ष वह सभी संघर्ष रखना चाहता हूं जो काश्मीर की जनता विगत २० वर्षों से वहां के शोषण, दारिद्रय और राज्य-शाही का उन्मूलन करने के लिए लड़ती रही, और इस बड़े संघर्ष में काश्मीर की जनता को भारतीय राष्ट्रीय, विशेषतः कांग्रेस की सहायता प्राप्त होती रही। कांग्रेस को महात्मा गांधी के आशीर्वाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व प्राप्त थे। और जब विभाजन एक वास्तविकता में परिवर्तित हुआ और जब हम सब में से वयोवृद्ध सदस्य डा० एस० पी० मुखर्जी ने परिस्थितियों से विवश होकर दो राष्ट्र का सिद्धान्त स्वीकार किया तो उस समय भारत भर में केवल एक जगह ऐसी थी जिसने अंग्रेज़ों की कूटनीति को चुनौती दी और दो राष्ट्र का सिद्धान्त विफल कर दिखाया। चुनांचि इस बात का सौभाग्य काश्मीर को ही प्राप्त हो सका। जब दोनों पंजाब और सारा उत्तर भारत घरेलू आग से भड़क उठे थे, जब मनष्य को मनुष्य खा रहा था और जब नृहत्या का रास रचा जा रहा था—केवल काश्मीर में सांप्रदायिक ऐक्य और साम्य रहा। यद्यपि काश्मीर में पश्चिमी और पूर्वी पंजाब के शरणार्थियों का संगम बना फिर भी वहां एक व्यक्ति का भी बाल बांका नहीं हुआ। जब वे हमारे राज्य में से होकर गुज़रे तो एक तकको भी नहीं छुआ गया। जब हमारे अपने सीमान्त भड़क उठे, जब पाकिस्तान ने उन राक्षसों को काश्मीर पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और जब महाराजा ने वहां की हिन्दू जनता के लिए कोई भी चिन्ता नहीं की, मुसलमानों के लिए न सही, और अपना सारा सामान बांध कर वहां से चला गया, और अपने साथ अपने सम्बन्धी, राजपूत, अपनी सारी संपत्ति, सोना, आदि ८५ मोटर गाड़ियों में भर कर ले गया, जब अन्दर से प्रशासन की सारी मशीन बिगड़ गई, और कहीं कोई सिपाही नहीं दिखाई दिया, जब शत्रु हमारे दरवाजों पर धरना मार रहे थे और अन्दर बाहर सभी जगह मुसलमान थे—तो ऐसी स्थिति में मैं डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी से यह पूछना चाहता हूं कि काश्मीर के लिए वे तीन दिन ऐसे थे जिनका विश्व के इतिहास में कोई भी उदाहरण नहीं—वहां क्या हुआ ? क्या कारण है कि काश्मीर के मुसलमानों को पाकिस्तान की गोद में जाने से रोका गया ? किस चीज़ ने उन्हें ऐसा करने से रोका ? और ऐसा होते हुए भी आप शेख अब्दुल्ला की ईमानदारी पर सन्देह करते हैं, और हम से कहा जाता है कि हम संप्रदायवादी और हवाबीन हैं। हो सकता है किन्तु सभी बातों पर बहस करने के बाद मैं इस की व्याख्या चाहूंगा।

इतिहास अपने अध्याय हर बार और प्रायः नहीं दोहराता । एक ही बार ऐसी बात हुई, किन्तु इतिहास में यही बात सोने के अक्षरों से लिखी जायेगी कि भारत की धर्म-निरपेक्ष लहर में केवल काश्मीर संप्रदायवाद से बचा रहा। मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं : क्या भारत ने पैसे का लालच दिया ? काश्मीरी संदिग्ध अवस्था में लड़ रहे थे। भारत के साथ हमारा एक ही रास्ते का सम्बन्ध था, और वह वायु का रास्ता था, जिसको २० मिनट में अधिकार में लाया जा सकता है, और हमारा सारा अस्तित्व समाप्त हो जाता। मेरे मित्र श्री चटर्जी और श्री देशपांडे को यह बातें भी देखने को मिलतीं कि हमारी मां-बहनें और बेटियां रावलपिण्डी और किसाखाना के बाजारों में चन्द टकों में बिक जातीं । उस समय डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अथवा श्री चटर्जी या और किसी हिन्दू नेता ने काश्मीर में मेरी मां बहनों की लाज नहीं बचाई । वे तीन कितने ही स्मरणीय हैं—हां, वे तीन दिन जब भारतीय सैनिक अब काश्मीर की भूमि पर नहीं उतरे थे । उन दिनों हमारी नज़रें आकाश की ओर लगी रहतीं, और हम यही समझते कि कांग्रेस द्वारा काश्मीर को भारत के आशीर्वाद प्राप्त हैं, अतः भारत से कोई जहाज आयेगा । हमने शेख अब्दुल्ला की ओर नज़र उठाकर देखा : हिन्दू और मुसलमान उसके गिर्द इकट्ठे हो गये और जोरों का नारा लगाया—शेरे काश्मीर जिन्दाबाद—ये वे दिन थे जब कोई भी मामूली नेतृत्व उखड़ जाता—किन्तु शेख अब्दुल्ला मौजूद था—शेख अब्दुल्ला—जो एक मुसलमान है। वह क्यों पाकिस्तान के साथ नहीं मिला ? वह क्यों हिन्दुस्तान की ओर हाथ बढ़ा रहा है । वहां १५ लाख मुसलमान थे, और यदि शत्रुओं ने काश्मीर पर अधिकार किया होता, बानिहाल को पार किया होता और यदि वे जम्मू से होते हुए गुरुदासपुर पहुंच गये होते, तब हमारा सीमान्त ऊड़ी में न होकर गुरुदासपुर में होता, और तब आप उस तरह काश्मीर, लदाख या जम्मू की बातें नहीं करते जिस तरह आप इस समय कर रहे हैं। इन बातों पर इस प्रकार बोलना बहुत ही आसान है । चोट खाने के बाद हाथ से काम लेना बहुत ही आसान है । खैर, मैं अपने मित्र से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि काश्मीर क्यों पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं हुआ ? वह क्यों रुका ? क्या यह पैसे के लालच में आया या पाकिस्तान से बदला लेना चाहता था, या क्या यह पागलपन था ? हमें धर्मनिरपेक्ष गणराज्य से स्नेह था, और हमें डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बहकी बहकाई बातों में नहीं अपितु महात्मा जी द्वारा दिखाये गये पवित्र रास्ते में पूरा विश्वास था और हम २० वर्ष से मानव-जीवन दर्शन में अनुभव प्राप्त कर चुके थे—और इसलिए हम पाकिस्तान की गोद में नहीं गये । और मैं आपको विश्वास दिला दूंगा कि कोई भी शक्ति हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दिखाये गये उस रास्ते से भटका नहीं सकती । कुछ भी हो हम सत्य, धार्मिकता और मानवता का मार्ग नहीं छोड़ देंगे ।

इसके पश्चात् मैं अपने माननीय मित्र डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा उठाये गये कुछ प्रश्नों की ओर निर्देश करूंगा । उन्होंने काश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में उल्लेख किया, और वह भी बहुत देर से । २६ जनवरी १९५० को जब आपने अपना संविधान पूरा किया, आपने संविधान में परिवर्तनशील उपबन्ध तथा अनुच्छेद ३७० सम्मिलित किये और काश्मीर को एक विशेष प्रतिष्ठा दी । जबकि यह कहा जाता है कि कांग्रेस और पंडित जी ने ऐसा ही हिन्दुत्व और हिन्दुस्तान के मूल तत्वों को बेच डाला है, मैं समझता हूं कि मेरे मान्य मित्र डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही संविधान बनाये जाने के समय काश्मीर को यह विशेष प्रतिष्ठा प्रदान की थी । वह प्रतिष्ठा संवि-

[पंडित फोतेदार]

धान बनाने के सम्बन्ध में थी। क्या आपने किसी अन्य राज्य को वह अधिकार दिया है? यदि नहीं तो वे कौन से कारण थे जिनसे डा० श्यामा प्रसाद सरीखे देशभक्त को इस बात की विवशता का अनुभव हुआ था कि ऐसा खण्ड संविधान में रहने दिया जाय। जब आप ने मुझे अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया है तो मैं अपने कार्यों का स्वामी हूं। मैं अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए यह कहना चाहता हूं कि मेरी स्थिति उस लड़की जैसी है जो अपनी मां के घर में यानी भारत के गणतन्त्र में उसके अधीन है, और अपने घर में स्वतन्त्र है। शायद यह कहा जाय कि हम सारा संविधान काश्मीर पर लागू करें और वहां सभी मूल अधिकार दे दें। सत्य तो यह है कि मैं ऐसी बात का होना पसन्द करता। किन्तु इससे लोगों की इच्छा की स्वतन्त्रता किस तरह रह सकती है। यदि ऐसी बात होगी तो कुछ ऐसा लगेगा कि हमने बिना दूल्हे की ही बरात निकाली है। प्रवेश का अधिकार और उपबन्ध——सही हो या गलत——बनाया गया है। और अब चूंकि यह बतलाया जा चुका है अतः लोगों की इच्छा को देखना पड़ेगा। डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हैदराबाद का उल्लेख किया है, हो सकता है कि हमने कुछ वचन दिये हों——और मुझे मालूम भी नहीं कि हमने वे प्रतिज्ञायें पूरी की हैं या नहीं, किन्तु हैदराबाद में और कोई भी पार्टी नहीं थी जिससे विचार-विमर्श किया जाता। और काश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तान और संयुक्तराष्ट्र संघ के बीच——बचाव का प्रश्न पैदा होता है। काश्मीर का प्रश्न एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न है। हम यह भी कहा करते हैं कि हमें जम्मू दिया जाय। मान लीजिये पाकिस्तान जम्मू की मांग करता है और इसी तरह की बातें बताता है: तो यदि आप कहते हैं कि हम जम्मू और लदाख लेंगे, उसका यह मतलब है कि आप पाकिस्तान को काश्मीर सौंप देते हैं। भला मुझे बताइये कि कितने ऐसे भारतीय हैं जो काश्मीर घाटी को पाकिस्तान को सौंपना चाहते हैं। तो मेरा यह कहने का अभिप्राय है कि सोच समझ कर बातें की जानी चाहिएं, और विश्व की राजनीति को समझ लेना चाहिए। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि काश्मीर की समस्या इतनी पेचीदा, उलझी और नाजुक है कि यदि उचित विचार से काम न लिया जाय, और राजनीतिक मूल आधार को नहीं समझ लिया जाय तो न केवल भारत और एशिया को खतरा होगा अपितु सारे संसार की शांति को खतरा पहुंच जायेगा।

और अब, माननीय डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके चरणों में बैठकर मैं कई बातें सीखने का चाव रखता हूं, और जिनके लिए मेरे मन में काफी सम्मान है, और जिन्हें भारत में राष्ट्रीय संस्था का बहुत बड़ा नेता होना चाहिए था और जिस भारत में आर्थिक कार्यक्रम होना चाहिए था, दुर्भाग्यवश एक साम्प्रदायिक संस्था के नेता हैं। क्या हमें भुखमरी, आपत्ति, अभाव आदि कठिनाइयों से स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त करनी चाहिये? उन्होंने अभी जम्मू की जनसंख्या के सम्बन्ध में कुछ जिक्र किया। अभी पांच ही महीने हुए हैं जब उन्होंने कहा था: "आप पाकिस्तान द्वारा लिए गए प्रदेश को विजय से क्यों अपने साथ नहीं मिलाते?" कदाचित् उन्हें इस बात का स्मरण होगा कि भारत ने लोज़ानो के समक्ष इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि जब तक चार शर्तों को पूरा नहीं किया जाता, भारत किसी भी समझौते, बातचीत या करार के लिए तैयार नहीं होगा। उनमें से सर्वप्रथम बात यह थी कि पाकिस्तान द्वारा अधिकृत प्रदेश के ७ लाख शरणार्थियों को बसाय जाय। हम कई बार इस चीज़ की मांग कर चुके हैं, लेकिन

अब वे एक चीज़ की बलि देकर दूसरी चीज़ को प्राप्त करने के लिए यह कहते हैं कि जम्मू की आबादी ७-८ लाख है, और बाकी प्रदेश पाकिस्तान के पास है। तो इस तरह की पैंतरेबाजी करना और एक ही सांस में दो बातें करना उन जैसे व्यक्ति के लिए शोभा-मान नहीं।

मैं यह बतलाना चाहता हूं कि उनकी ऐसी बातों से एक मैत्रीपूर्ण वातावरण पैदा नहीं हो सकता। मेरा यह कहने का अभि-प्राय नहीं कि काश्मीरी भारत के साथ नहीं। काश्मीरी भारत के साथ हैं और काश्मीर भारत का एक अंग है, किन्तु प्रश्न यह है कि वहां की जनता का मत लेना होगा जिसके लिए आप वचनबद्ध हो चुके हैं। मैं डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी से जो बुद्धिमान हैं, देशभक्त हैं, नेतागिरी कर सकते हैं और हमें रास्ता दिखा सकते हैं, यह अपील करता हूं कि वह निष्पक्ष तटस्थ भाव से इस प्रश्न को समझें, और इस बात का विश्लेषण करें कि किस व्यक्ति को इतने बड़े बवण्डर से लाभ पहुंच सकता है।

दूसरी बात यह है। आप राजनीतिक नैतिकता से विद्रोह करते हैं और बहुत अनुदार और अनुचित काम करते हैं जब आप एक ऐसे व्यक्ति को परीक्षा लेना चाहते हैं जो विषमताओं का मुकाबला करता रहा और काश्मीर तथा भारत के निकटतम संकट के समय भी भारत के साथ रहा। यदि हम जनसंख्या को ही इस बात का प्रमाप बनायें और उसी दृष्टिकोण से देखें तो जहां कहीं भी मुसलमान अधिक संख्या में थे, वह प्रदेश पाकिस्तान के साथ मिल गया, और जहां कहीं भी हिन्दुओं का बहुमत था, वह जगह हिन्दुस्तान के साथ मिल गई। काश्मीर ही एकमात्र स्थान है जहां मानवता के जीवन-दर्शन पर एक प्रयोग हो रहा है। और जिसने मुसलमानों का बहुमत होते हुए भी भारत में प्रवेश किया है। इसी विचारधारा को सफल बनाने और आगे बढ़ाने के लिए काश्मीर संघर्ष कर रहा है। काश्मीर ही एक ऐसा स्थान है जहां हिन्दू और मुसलमान मित्रवत रहते हुए आपत्तियों का सामना करते रहे, और अब हम यही चाहते हैं कि उसी मैत्रीपूर्ण वाता-वरण में काश्मीर में प्रशासन कार्य चले। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे माननीय श्यामा-प्रसाद मुखर्जी स्थिति समझलेंगे और उसी के प्रकाश में हमारा नेतृत्व करेंगे।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस के दौरान में जम्मू तथा काश्मीर के सम्बन्ध में भारतीय सरकार की नीति के विषय में उदारता से बोला है, मैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आज हमारी उस नीति को खुले दिल से स्वीकार किया गया है। चुनांचि उसकी आलोचना भी की गई है और मैं उसका स्वगत करता हूं क्योंकि आलोचना से कोई भी विशष स्थिति समझी जाती है, और काश्मीर जैसी कठिन और नाजुक समस्या के जितने भी पहलुओं पर बहस हो, उतनी ही बातों पर प्रकाश पड़ेगा और उतना ही वह हम सब के लिए अच्छा रहेगा। अब हम पांच वर्षों से काश्मीर की समस्या पर विचार करते रहे हैं। एक वर्ष से अधिक समय तक हमने वहां लड़ाई लड़ी और हमारे बहुत से वीर युवक वहां जाकर रहे भी। और इस काश्मीर की समस्या को हमने संसार के कई एक न्याय-मंडलों के समक्ष रखा, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के पास भी गए। कुछ भी हो, सबसे बड़ी बात जो हुई वह यह है कि हमने जम्मू तथा काश्मीर के निवासियों के हृदयों में संघर्ष की आग भड़का दी है। इस संसद् के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि अन्त में काश्मीर के लोग – वहां के पुरुष और वहां की स्त्रियां—ही इस बात का निर्णय करेंगे यहां की संसद् और संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

का निर्णय नहीं कर सकते। हम ने काश्मीर की इस समस्या को कई एक तरीकों से हल करने का प्रयास किया है। किन्तु हमने अभी उसको सुलझाया नहीं है। मैं सदन में स्पष्ट-वादिता के साथ कहना चाहता हूं कि मैं इस मामले को जल्दी से निबटाने की कोई प्रतिज्ञा भी नहीं कर सकता। भला मैं ऐसी प्रतिज्ञा भी क्यों करूं जो मैं बाद में पूरी न कर सकूं। मैं सदन को यह भी बतला दूं कि आज के संसार में रोज ही ऐसी समस्यायें होती हैं, जो छोटी या बड़ी होने के नाते संसार के भविष्य पर अपना प्रभाव रखती ही हैं, किन्तु प्रति मास, प्रति वर्ष ऐसी की ऐसी बनी रहती हैं, सुलझती नहीं। इतना ही बहुत कुछ है कि ये समस्यायें बिगड़ती नहीं। इसी को बहुत कुछ समझना चाहिए कि कोई समस्या बिगड़ती न हो। इसमें भी कोई बात बिगड़ नहीं जाती कि विदेशों में रहने वाले वे लोग जो हमें परामर्श देना अपना कर्तव्य समझते हैं, हम से कहा करते हैं : "आप काश्मीर के प्रश्न को, जिससे बहुत बड़ी बातें पैदा हो सकती हैं, और विश्व में संघर्ष हो सकता है, क्यों नहीं सुलझाते ?" विदेशों में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें उदारता से परामर्श देते हैं। उनको सुन कर हमें उन्हें यह कहने की तबियत होती है कि क्या वे भी, दूरपूर्व या यूरोप की कई समस्याओं में व्यस्त हैं, और उनकी वे समस्यायें दिन प्रति दिन. एवं वर्ष प्रति वर्ष क्यों वैसी की वैसी बनी रही हैं। तबियत उनसे यह भी कहने को करती है कि वे उन्हे क्यों नहीं सुलझाते? भला क्यों ऐसी बात होती है कि यदि हम काश्मीर की समस्या को नहीं सुलझा सकते तो हमें दोषी ठहराया जाता है, और वे स्वयं अपनी समस्याओं को न केवल सुलझा नहीं सकते अपितु और भी स्यायें पैदा कर देते हैं। किन्तु हम ऐसी थोथी बात नहीं कहेंगे क्योंकि हम स्वयं कष्टों में पड़े हैं और विश्व की उन कई एक विषमताओं का सामना कर रहे हैं जो किसी भी राष्ट्र के वश या अधिकार में नहीं हैं।

अतः मैं यह चाहता हूं कि सदन इस समस्या पर विचार करे, जैसा वह आज तक करता भी रहा है, इसके विविध पहलुओं पर विचार करे, और कुछ समय के लिए उन छोटी छोटी वकीलों जैसी बातों को छोड़ दे—मुझे वकीलों के लिए पूरा सम्मान है, और मैं उनकी प्रतिष्ठा करता हूं, देश में उनका भी स्थान है, बशर्ते कि वे उसे बना रख सकें। कई एक बातें कही गई हैं। मेरे मान्य मित्र डा० मुखर्जी ने कभी इस खण्ड पर और कभी उस खण्ड पर बहुत कुछ कहा है। यदि मेरे पास समय होता तो मैं उन सभी खण्डों पर विचार कर लेता, किन्तु सत्य यह है कि ऐसी बातों का कोई भी महत्व नहीं कि अमुक खण्ड में क्या बताया गया है अथवा उसकी सार्थकता क्या है। आप इस समस्या को किस तरह समझते हैं, यही महत्व की बात है, और इस समस्या का मूल-आधार ही महत्वपूर्ण है—यानी क्या आप इसे समझते हैं या नहीं—महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तव में आपका क्या उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने का मार्ग क्या है। यदि आपका यही उद्देश्य है—मेरा यही दावा है कि यही बात होगी—कि इस समस्या का निर्णय काश्मीर के लोगों द्वारा ही उनकी सद्भावना से, उन के मन और मस्तिष्क आपके साथ रहने से, होगा, तब तो आप को वही उद्देश्य प्राप्त करने के लिये कोई ऐसी नीति अपनानी चाहिये और इस प्रकार की नीति के अतिरिक्त और कोई भी सुझाव नहीं हो सकता। भला बताइये कि आप क्यों धमकियां देते हैं? उनसे क्यों कहा जाता है : "आप इस तरह करें, और उस तरह करें?" इन बातों से कोई भी अन्तर नहीं पड़ता। मुझे इस अर्थ में काश्मीरी कहा और समझा जाता है कि आज से दस पीढ़ियं

पहले मेरे पूर्वज काश्मीर से भारत के इधर के भाग में आये थे । आज मैं उस बन्धन से बन्धा नहीं, अपितु उन बन्धनों से बन्धा हूं जो इधर के पांच वर्षों में पैदा हुए हैं । और जिन के कारण हम एक दूसरे के निकट पहुंचे हैं। मैं ही नहीं बन्धा हूं—मैं जनता का एक प्रतीक हूं । भारत और काश्मीर की असंख्य जनता एक समान शत्रु के विरुद्ध पांच वर्ष तक संघर्ष करते रहने के कारण एक बन्धन में बन्ध चुकी है । अतः हम इस मूल प्रस्थापना को स्वीकार करते हैं कि अन्ततः काश्मीर की जनता की सद्भावना और उन के सहयोग से ही इस प्रश्न को हल किया जायेगा । हां, यह भी बता दूं कि इस संसद् की सद्भावना या इस के सहयोग से यह समस्या हल नहीं की जा सकती—यह इस लिये नहीं कि संसद् को वहां की समस्या हल करने की शक्ति नहीं ; मैं संसद् की शक्ति को स्वीकार करता हूं, बल्कि इस लिये कि यह संसद् इस विधि से काम नहीं करती,-जो एक ठीक विधि है, और चूंकि इस संसद् ने यह नियम बनाया है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति चलाई जायेगी जो आज तक चलती भी रही है । यह इसलिये है कि हम अपनी स्थिति के अनुसार अन्य लोगों की इच्छाओं पर अपना मत नहीं लादना चाहते । हम अन्य प्रणालियों, और तरीकों से चलते हैं, और अन्य नीतियों का अनुसरण करते हैं ।

अतएव, हमें अपने मस्तिष्क में इस बात के विषय में बिल्कुल स्वच्छ और स्पष्ट होना चाहिये कि अन्ततः जम्मू तथा काश्मीर राज्य का निर्णय वहां के लोगों द्वारा ही होगा । इस निष्कर्ष पर पहुंच कर हमें इसी बात के अनुसार अन्य नीतियों को भी रूप देना होगा, और इधर उधर की बातों पर दोषान्वेषण करना छोड़ना पड़ेगा क्यों कि हम दोषान्वेषण नहीं करना चाहते । जम्मू और काश्मीर में बहुत सी ऐसी घटनायें हुई हैं जिन्हें मैं स्वीकार नहीं करता—किन्तु ये बातें हो चुकी हैं । मुझे इस बात में भी सन्देह नहीं लग रहा कि वहां ऐसी बहुत सी घटनायें घट चुकी हैं और घटेंगी, जिन्हें मेरे मान्य विरोधी सदस्य स्वीकार नहीं करें और मैं भी स्वीकार नहीं करूं—यह कुछ ऐसा ही है जैसे कि भारत भर में—जम्मू और काश्मीर में ही नहीं—कई ऐसी बातें हो जाती हैं जिन्हें मैं स्वीकार नहीं करता । भारत में जो कुछ भी हो जाता है, उस सारे पर मेरा वश नहीं—मैं ऐसा मानता भी नहीं कि हर किसी बात पर मेरा ही हाथ रहे—और मैं वैसी बातों को सहन करता हूं । किन्तु हमारी प्रणाली क्या होगी । और हम इसे कैसे समझ और सुलझा पायेंगे ? यदि हम इस समस्या को उसी प्रकार समझते हैं तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिये जो हमें उल्टी दिशा में पहुंचायें, हमारी नीति का महत्व कम कर दे, रास्ता बिगाड़ दे और उन के हाथ मजबूत बना दे जो हमारा विरोध कर रहे हैं, और हमारी शत्रुता करते हैं। हमें इस बुनियादी बात को समझना होगा, और इस के सम्बन्ध में अपना मस्तिष्क स्वच्छ रखना होगा । आप शेख अब्दुल्ला की आलोचना कर सकते हैं । शेख अब्दुल्ला कोई ईश्वर तो नहीं, वह बहुत सी गलतियां करता है, और बहुत सी गलतियां करेगा । वह एक बहादुर मनुष्य है और अपनी जनता का एक बड़ा नेता है । यही एक बहुत बड़ी बात है । उस ने सुख-दुख में और ऐसे समयों में जब वहां की जनता तबाही की ओर जा रही थी—अपनी जनता का नेतृत्व किया है । वैसे कड़े समय में भी वह नेतृत्व से नहीं चूका—और यही बात किसी भी मनुष्य की विशेषता हुआ करती है । तो हुआ क्या यदि उस ने कभी कोई ऐसी-वैसी बात कही या कोई गलती की ? सैंकड़ों गलतियों के बावजूद भी बड़प्पन बड़प्पन कहलाता है । यह शेख अब्दुल्ला या किसी अन्य के साथ की ही बात नहीं है ।

[पं जवाहरलाल नेहरु]

किसी भी व्यक्तिगत मामले की अपेक्षा यह काफी बड़ा मामला है, और जैसा कि सदन जानता भी है, काश्मीर का यह प्रश्न निश्चय ही हमारे लिये एक प्रदेश या उपनिवेश का प्रश्न नहीं रहा है। हमें कोई भी लाभ नहीं: आर्थिक दृष्टि से हमें कोई भी लाभ नहीं है—जब तक इस का विकास हो तब तक हमें बहुत सा धन व्यय करना पड़ेगा, क्योंकि काश्मीर प्रदेश बहुत ही समृद्ध है, और जब तक इस का विकास होगा तब तक हमें बहुत सा धन व्यय करना होगा। कुछ भी हो, हम ने किसी भी लाभ के लिये काश्मीर पर लालच भरी नज़रें नहीं लगाई हैं। पुराने बन्धनों, पुरानी भावनाओं, और हां, नई भावुकताओं के लिये हम ने काश्मीर पर नज़रें फैला दी हैं, और अब काश्मीर हमारे हृदय और मस्तिष्क के बिल्कुल निकट आ चुका है। और, मानलीजिये कि दुर्भाग्य से काश्मीर भारत से अलग हो जाये, तो हम सभी को बहुत दुख होगा। किन्तु यह चाहे दुख हो अथवा आपत्ति, यदि काश्मीर के लोग भारत से सम्बन्ध तोड़ना चाहते हैं, तो तोड़ दें, क्योंकि, भले ही उनके अलग होने से दुःख और कष्ट हो, हम कभी भी उन की इच्छाओं के विरुद्ध अपने साथ रखने के लिये विवश नहीं करेंगे। भारत इसी नीति का अनुसरण करेगा, और चूंकि भारत इस प्रकार की नीति का अनुसरण करेगा, लोग उस के साथ रहेंगे और उस के पास चले आयेंगे। कारण यह है कि हम को आपस में बांध कर रखने वाले बन्धन सेना के या संविधान के बन्धन नहीं होंगे—जैसा कि कई बार निर्देश हो चुका है—बल्कि प्रेम और स्नेह, तथा पारस्परिक समझ के बन्धन होंगे जो संविधान—कानून और सेना के बन्धनों की अपेक्षा अधिक दृढ़ हैं।

६ म० प०

समस्या को जब इस प्रकार से समझा जाता हो तो विरोधी दल के कई माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये तर्क बिल्कुल भी लागू नहीं होते। उन बातों में स्थिति की पूरी समझ नहीं, अतः वह लागू नहीं हो सकती हैं। कई बातें हुई हैं जिन की मैं आलोचना कर सकता हूं, मैं यह भी चाहता हूं कि कोई एक बातें हो जातीं किन्तु वे नहीं हो पाई हैं—इस तरह कहना बहुत ही आसान है। मैं भले ही उन्हें सुधारने का प्रयत्न करूं, किन्तु यह जुदा बात है। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार के आचरण से आप अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। अथवा क्या आप उद्देश्य के पथ पर जा रहे हैं? मुझ से पूर्व बोलने वाले काश्मीर का सदस्य श्रीनगर के अल्पसंख्यक संप्रदाय—काश्मीरी पंडित समुदाय—का प्रतिनिधि है, और मुझ से अधिक काश्मीरी पंडित है—चुनाचि वह आप को काश्मीर घाटी में रहने वाले क्या हिन्दू, क्या मुल्सलमान—विशेषतया हिन्दुओं और सिखों का, उन दिनों का चित्रमय वर्णन दे चुका है जब वे सभी भविष्य के खतरे से थर्रा रहे थे। किसी को भी इस बात का पता नहीं था, और उन्हें कैसे पता चलता कि कल क्या होगा। काश्मीर के लोग विशेषतया यहां की महिलायें काश्मीर से बाहर के प्रदेशों में भी विख्यात हैं। तो इस बात का भी ध्यान रहे कि बहुत बड़ी संख्या में काश्मीर की हिन्दू और मुसलमान स्त्रियां उन आक्रान्ताओं द्वारा उठाई गईं, और अफ़गानिस्तान तक पहुंचाई गईं। कई स्त्रियों को वहां से भी दूर प्रदेशों में पहुंचाया गया। और चन्द टकों में बेचा गया। माननीय सदस्यों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिये कि इन कहानियों और वर्णनों से काश्मीर के लोगों और काश्मीर से सम्बद्ध लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, और उन्होंने किस तरह यह सोचा होगा।

कि उन की अपनी मां—बहनों और पत्नियों का भी कल यही हाल होगा । अब देखिये कि वे उन सभी घटनाओं को पार कर गये, और सभी बातों का मुकाबला करते रहे : भागे नहीं । और, मैं यह भी बता दूं कि जब तक आप के पास मोटर आदि जैसी सवारियां भी नहीं हों तब तक आप वहां की उन पहाड़ियों को पार नहीं कर सकते । तो, इस तरह इन पांच वर्षों में यह ही ऊच-नीच रहे हैं। इस में कोई भी सन्देह नहीं कि बहुत सी गलतियां हो गई होंगी, किन्तु मैं समझता हूं कि इन पुराने पांच वर्षों पर निगाह डालते हुए मोटे तौर पर यही कहा जा सकता है कि काश्मीर की जनता, भारत की जनता और भारत की सरकार ने बहुत सी छोटी गलतियां करने के बावजूद भी सचाई का रास्ता अपनाया है और ये सभी उसी पर चलते रहे हैं । ठीक है, इन सभी ने यह सीधा और तंग रास्ता नहीं छोड़ा है । जब कभी यह रास्ता ठीक अवसर का नहीं भी दिखाई दिया, और जब कभी लोग अप्रसन्न भी रहे, उन्हों ने यही रास्ता लिया, यद्यपि कभी कभी थोड़ा सा परिवर्तन करने से इन्हें विदेशों से लाभ प्राप्त होता । उसी समय विदेशों ने हमारी ओर देखा भी और हम से कुछ आशायें भी कीं । इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ा कि हमारा उन के सम्बन्ध में क्या विचार था, किन्तु वे सुरक्षा समिति में थे और बहुत अधिक बोला करते थे जिस में कभी बुद्धि की बात होती थी और कभी मूर्खता की । यही इस बीच होता रहा, और हम ने, हमारे उन तथाकथित न्यायाधीशों की बातें सहन कीं ; क्योंकि वे जिस बात का न्याय देने का प्रयास करते थे वह इस अर्थ में हमारे लिये महत्वपूर्ण थी कि हम काश्मीरियों के निकट थे, और उस का यह कारण नहीं था कि हम उस पर अधिकार करना चाहते थे, जैसा कि कई सदस्यों ने यहां बताया । तो, सुरक्षा समिति में उन सदस्यों ने काश्मीर को एक भौगोलिक इकाई जान कर एक तमाशे की चीज़ बनाया, और इधर हमें काश्मीर इतना प्यारा था, और उन सभी परिस्थितियों के कारण यह हमारी अनुभूतियों, विचारों, भावों, और भावुकताओं में इतना जकड़ा हुआ था कि हमारा एक अंग बन चुका था । और हमें उस समय कितना दुःख हुआ जब विदेशियों ने हम से आंय-बांय-शांय किया और हमें साम्राज्यवादी और विजेता कह कर काश्मीर का प्रश्न टाला । हम ने अपने आप पर बहुत ही नियंत्रण किया, यद्यपि हमें उन की इस बेतुकी आलोचना को सुन कर प्रायः क्रोध आता था और उस समय हमें बहुत दुःख होता था जब वे भारत जैसे बड़े देश के विरुद्ध बोलते थे । वे हम से साम्राज्यवाद की बात करते थे जब कि वे स्वयं अपना साम्राज्यवाद चला रहे थे, और युद्ध लड़ने के अतिरिक्त भावी युद्ध की तैयारियां भी कर रहे थे । उन्हों ने भारत से इसी प्रकार की बातें कीं ।

और चूंकि हम काश्मीर को प्रादेशिक आक्रमण से बचाने के लिये उन के पास गये, उन्हों ने हम से यह कहने का साहस किया कि भारत में साम्राज्यशाही चलती है । तो, जैसा मैं बतला भी चुका हूं, हम ने अपने आप पर बहुत ही नियंत्रण रखा और भविष्य में भी हम अपने आप को वश में रखेंगे, किन्तु हमारे इस वश का यह मतलब नहीं कि हम कमज़ोर हैं । इस का यह मतलब नहीं कि हम इस पक्ष में कमज़ोर पड़ गये हैं और हम ने हार मान ली है । चूंकि हम दृढ़ और विश्वस्त थे कि हम ठीक रास्ते पर हैं, अतः अन्त तक हम इस बात को जानते थे, क्योंकि जैसा मैं बतला चुका हूं—और मैं ने ईमानदारी से कहा भी है—मैं ने अपने दिल को टटोला है, और काश्मीर के सम्बन्ध में उठाये गये हर किसी कदम पर पूरा विचार किया है—और अन्ततः जब कि मेरी सरकार उस नीति के लिये

[पं० जवाहरलाल नेहरु]

उत्तरदायी भी है, स्वयं मैं विगत पांच वर्षों से काश्मीर के सम्बन्ध में उठाये गये हर कदम के साथ सम्बद्ध रहा हूं। जब मैं विगत इन पांच वर्षों पर नज़र दौड़ाता हूं, तो मेरी समझ में यह आता है कि कई ऐसी बातें हैं जो मैं ने गलत की हों—हो सकता है कि वे छोटी छोटी बातें ही रही हों—किन्तु मैं ने ऐसा कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया जो गलत रहा हो या अवसर के अनुसार नहीं पड़ा हो। हो सकता है कि हम ने गलत अन्दाज़ा लगाया हो। किन्तु मौलिक रूप से हम ने उस रोज़ सही कदम उठाया जब अक्तूबर, १९४७ के अन्तिम सप्ताह में हमारे बहादुर जवानों ने काश्मीर की पहाड़ियों के ऊपर से उड़ान भरी और वहां पर मोर्चा बना कर वहां के लोगों की रक्षा की। अन्य बातों में—युद्ध टालने के कारण या शान्ति के लिये—यदि आप इसे ऐसा नाम देना चाहते हों—हम ने शायद कभी कोई गलती की हो—यह दूसरी बात है। इन बातों में मैं हमेशा गलती करना चाहता हूं किन्तु मैं यह नहीं चाहता कि हमें लालची, साम्राज्यवादी, झूठा और प्रतिज्ञा-उल्लंघन कहा जाय—तो, मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि हम ने काश्मीर में जो कोई भी कदम उठाया, संयुक्त राष्ट्र संघ या उन के आयोग, अथवा यहां आने वाले उनके किसी अन्य प्रतिनिधि के समक्ष जो भी वचन दिया या प्रतिज्ञा की, और जो कोई भी आश्वासन दिया, उसका हम ने पाकिस्तान की अपेक्षा पक्षरशः पालन किया है, और इस सीमा तक पालन किया है कि पाकिस्तान की पहुंच से बाहर है क्योंकि काश्मीर की यह सारी वार्ता या वहां पर जा कर यह सब सैनिक कार्य का किया जाना पाकिस्तान के एक बुनियादी झूठ पर ही आधारित है कि वह काश्मीर पर आक्रमण करने के बाद आक्रमण की बात नहीं मानता। मुझे इस बात की चिन्ता नहीं कि वे काशमीर पर आक्रमण करना चाहते हैं। वे चले जायें और लड़ें, किन्तु वे झूठ क्यों बोलते हैं? छः महीने तक वे वहां लड़ते रहे, और बाद में कहने लगे कि उन्हों ने नहीं लड़ा। जब भी कोई बात किसी झूठ पर आधारित की जाय तो सुरक्षा परिषद् में प्रति मास झूठ दोहराया जायेगा। काश्मीर में पाकिस्तानियों की सेनायें थीं, और उन के विदेश मंत्री ने कहा कि वहां उनकी सेनायें नहीं हैं—कितने आश्चर्य की बात है—और जब संयुक्तराष्ट्र आयोग भारत में था, और मोर्चों पर जाने वाला था तो, उस समय वे इस तथ्य को किसी भी तरह नहीं छिपा सकते थे। तब उन्हों ने यह बात स्वीकार की, और वह भी किस तरह? उन्हें किसी न किसी ढंग से इसे स्वीकार करना पड़ा, और पाकिस्तानी सेना के महाबलाधिकृत ने एक पत्र भेजा; चुनांचि वह महाबलाधिकृत एक सुप्रसिद्ध ब्रिटिश पदाधिकारी था। उस महाबलाधिकृत ने उस पत्र में यह लिख कर भेजा कि वह पाकिस्तान के हित में, यानी पाकिस्तान की रक्षा करने के लिये वहां की सेनायें काश्मीर भेजने पर विवश हुआ क्योंकि वह इस बात से डरता था कि भारत काश्मीर के बीच से सेनायें भेज कर मध्य एशिया की ओर से पाकिस्तान पर आक्रमण कर लेगा। तो काश्मीर की इस असाधारण कहानी का प्रारम्भ यहीं से हुआ और यह भी है कि बार बार इसे दोहराया जा रहा है क्यों कि लोग इसे भूलते जाते हैं—हां, लोग, माननीय सदस्य नहीं—चुनांचि वह मामला अन्तर्राष्ट्रीय बन चुका है और विश्व की भिन्न भिन्न राजधानियों में इस की चर्चा हो रही है। आक्रमण के सीधे-सादे तथ्य, लूट-मार, आग, और गुंडागर्दी की यह सादी कहानी भूली जा रही है, और उपेक्षित हो रही है, यहां तक कि इन तथ्यों को छोड़ कर अन्य बातों पर बहस हुआ करती है। काश्मीर समस्या ने इन पांच वर्षों में हमें बहुत ही विचित्र पाठ पढ़ाया है—हां शिक्षा दी है—विश्व की राजनीति में, राष्ट्रों के आचरण में और इस

बात में कि संसार के बड़े बड़े राष्ट्र भी अपने हितों में सम्बन्ध में किस तरह सफ़ाई से नहीं देख सकते और बवण्डर खड़ा कर देते हैं—इन बातों की शिक्षा भी हमें मिली है । कदाचित् मैं प्रसंग से थोड़ा सा दूर जा रहा हूं, किन्तु मैं पुनः इसी मामले के सम्बन्ध में आप से कहना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष बताने, अथवा काश्मीर की जनता को वचन देने के कारण ही नहीं, बल्कि काश्मीर को छोड़ कर अन्य राष्ट्रों के साथ चलाई गई नीति के अनुसार और अपनी परम्परा के अनुसार हम यह चाहेंगे कि केवल काश्मीर की जनता इस बात का निश्चय कर सकती है और यदि मुझे यह भी बताने की आज्ञा दी जाये तो इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन विगत पांच वर्षों में हम ने जो भी कष्ट झेले और जितना कुछ भी किया, उस सब के बावजूद यदि हमें साफ शब्दों में कल यह बताया जाय कि काश्मीर की जनता हमें वहां से हटाना चाहती है, तो हम चाहे कितने भी दुखी हो जायें और कितना भी बुरा मनायें, हम वहां से निकल आयेंगे क्योंकि हम उन की इच्छाओं के विरुद्ध वहां नहीं रहना चाहते । हम नेज़े या बन्दूक के ज़ोर से अपने आप को उन पर नहीं लादना चाहते यदि ऐसी बात हो जाये तो उस में अन्तिम एवं मुख्य निर्णायक बात उन की इच्छायें हो हो सकती हैं ।

यह सच है कि उन की इच्छाओं से हमारा को ई गलत काम अभिप्रेत नहीं है । मान-लीजिये, वे हम से वहां कोई गलत काम करने को कहते हैं, तो हम इन्कार करेंग । हम वैसा नहीं कर सकते । हम इतना तक कहें : "हम इसी बात को अच्छा समझते हैं कि ऐसी गंदी और गलत संगति से बच जायें ।" यह किसी भी आदमी की समझ में आ सकती है । हम गलत संगति नहीं चाहते हैं । कोई भी व्यक्ति हमें बुरी या गलत संगति के लिये मजबूर नहीं कर सकता जिस तरह कि हम किसी भी व्यक्ति को उस की इच्छाओं के विरुद्ध हमारे साथ रहने के लिये विवश नहीं कर सकते । संगति या साथ तो पारस्परिक समझ, स्नेह, मेल, आदि की चीज़ है, और यदि कोई संगति हो भी तो उस में हमारी इच्छाओं और निश्चय पर सब कुछ निर्भर करता है । काश्मीर के लोगों की सद्भावना अर्जित करने की इच्छा में हम अपने लिये दुर्भावना का अर्जन नहीं कर सकते, न तो गलत रास्ता ले सकते हैं । वह तो एक भिन्न मामला है । हम इस मामले को एक सौदे के रूप में नहीं समझते, अथवा दो अनजाने आदमियों के बीच की बातचीत नहीं समझते, अपितु उन दो साझेदारों, या दो भाइयों के बीच की बात समझते हैं जो इसे एक कठिन और नाज़ुक समस्या समझते हैं और कोई रास्ता ढूंढ निकालना चाहते हैं । वह रास्ता पूरी तरह से तर्क-सम्मत न हो, इस कानून या उस संविधान की दृष्टि से पूर्णतया उचित न हो किन्तु यदि वह प्रभावशाली है तो वह एक अच्छा रास्ता है—वह चाहे कुछ कानूनी दलीलों अथवा तार्किक दलीलों के विरुद्ध हो या न हो ।

मेरे माननीय मित्र ने कई मामलों की ओर निर्देश किया । इस सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहता हूं यद्यपि वह किसी हद तक संगत नहीं और चूंकि सदन में कई एक वकील हैं अतः मुझे कहने में कुछ डर सा लग रहा है । जिन दिनों ब्रिटिश लोग यहां से चले गये उन दिनों भारत में पैदा हुई स्थिति के सम्बन्ध में बहुत सी गलत फहमी थी, क्यों कि उन दिनों विभाजन हुआ था और ग्रेट ब्रिटेन ने भारतीय राज्यों, आदि के सम्बन्ध में वक्तव्य जारी किया था । अब मैं इस समय एक संविधानिक वकील और विधिवेत्ता के नाते अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहता हूं । वह इस प्रकार है । विभाजन से भारत का एक भाग जो हमारी राय से इस से पृथक किया गया, अलग हो गया । किन्तु भारत का शेष भाग जिस में

[पंडित फ़ोतेदार]

राज्य शामिल हैं, भारत का एक भाग रहा। जब तक उन्हें अलग करने वाली कोई शक्ति सामने नहीं आई, तब हम सभी एक साथ रहे, और इस समय भी एक साथ हैं। हम विभाजन से बाहर नहीं निकले। पाकिस्तान तो विभाजन के समय ही अलग कर दिया गया। भारत पहले से था, भारत बाद में भी रहा, भारत इस समय भी है और भारत रहेगा भी। इस प्रकार, प्रत्येक राज्य, जब तक वह भारत के साथ सम्बन्ध-विच्छेद करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निश्चय नहीं कर लेता —भारत के साथ यदि आप चाहें तो इस अन्तिम अवधि के लिये सम्बन्ध बनाये रहें। ब्रिटिश सरकार भले ही कुछ भी वक्तव्य निकाल किन्तु ऐसी परिस्थिति में भारत में असंख्य अधिकारी नहीं रह सकते थे।

१९४७ में भारत से अंग्रेज़ी शक्ति हट जाने के कारण हम किसी हद तक उसी स्थिति में चले गये जो स्थिति अंग्रेज़ों के भारत आने के समय थी। अन्य बातों में भी यह एक रुचिकर और अच्छा उदाहरण है, किन्तु मैं इसी के पीछे नहीं पड़ूंगा क्योंकि इस से शायद विवादास्पद दलीलबाज़ी शुरू होगी। जिन दिनों अंग्रेज़ों ने यहां पर अधिकार जमाया और अपने राज्य की स्थापना की, उन दिनों इस बात की स्पष्टतया दिखाई दी कि उन की शक्ति का भारत में प्रभुत्व होना चाहिये, और उन को छोड़ कर कोई अन्य राजा स्वतंत्र नहीं रह सकता। हो सकता है कि वे अर्द्ध-स्वतंत्र रहें या अधीनस्थ रहने के नाते अंग्रेज़ों द्वारा रक्षित हों, तो इस तरह की बातें थीं। धीरे-धीरे अंग्रेज़ी शक्ति ने इन सभी राजकुमारों—महाराजाओं को, अपने राज्यों में अधीनस्थों के रूप में शामिल कर लिया। अतः अंग्रेज़ों के जाने के बाद यह असंभव था कि छोटे छोटे स्वतंत्र प्रदेश भारत में रहते—दूर भूतकाल की अपेक्षा भी यह बात कठिन थी। इस में सन्देह नहीं कि पाकिस्तान हम से अलग था, किन्तु शेष के लिये यह अनिवार्य था कि राजे महाराजे और अन्य सरदार—चाहे कोई भी हो—वे मानते हों या नहीं मानते हों भारतीय गणतन्त्र का प्रभुत्व स्वीकार करें, और उस के अधीन रहें। और यदि ऐसी बात थी भी, और यदि, काश्मीर जैसा कि हुआ भी, इस बात का निश्चय नहीं कर सका कि उसे भारत में प्रवेश कर लेना चाहिये या पाकिस्तान के साथ रहना चाहिये, और हम ने भी कुछ समय के लिये मामले को स्थगित रखा, तो उस से काश्मीर स्वतंत्र नहीं हुआ। चुनाचि वह स्वतंत्र नहीं था और तब भी यदि काश्मीर के साथ कोई घटना घटती हमारा एक अंग होने के नाते हम पर उस का उत्तरदायित्व था। मैं यह इसलिये कहना चाहता हूं क्योंकी काश्मीर की सहायता करना तो हमारा कर्तव्य था—भले ही वह भारत में प्रवेश कर लेता या अलग हो जाता। इस निरन्तर सत्ताधारी अंग होने के नाते अन्य भागों के प्रति भी भारत का उत्तरदायित्व जारी रहा—केवल उन भागों का नहीं रहा जो निश्चयपूर्वक एवं जानबूझ कर भारत से अलग हो गये थे।

डा० खरे ने यह विचित्र बात कही कि कहीं पर हिन्दुओं को मारा गया। मैंने पहली बार यह बात सुनी है। सत्य यह है कि मैं निर्दिष्ट स्थान का नाम नहीं जान सका। कदाचित् वे भूगोल में कमज़ोर रहे होंगे। वे शायद पाकिस्तान को ध्यान में ला रहे थे। मेरे मस्तिष्क में ज़रा सी भी धारणा नहीं कि मैं उन की बात को काश्मीर के प्रसंग में जोड़ दूं।

डा० एस० पी० मुखर्जी : वह मीरपुर, पुंछ की ओर निर्दिष्ट कर रहे थे—चुनाचि ये दोनों स्थान जम्मू तथा काश्मीर में हैं।

श्री जवाहर लाल नेहरू : इस में कोई संदेह नहीं कि मीरपुर में लोग मारे गये—मैं उन की संख्या नहीं बता सकता। मुझे उन की बताई हुई संख्या पर भी सन्देह है क्योंकि सारे मीर-

पुर की कुल आबादी उतनी नहीं थी, जितनी उन्हों ने मरे हुओं की संख्या बता दी । इस में भी सन्देह नहीं कि वहां पाकिस्तानी सेनाओं और आक्रान्ताओं के आने के समय मारकाट हुई थी ।

"एकाधिपत्य" राज्य शब्द का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है । मेरी समझ में नहीं आता कि इस शब्द को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया था । भारत में कोई भी एकाधिपति राजा नहीं है । मैं इस शब्द का अर्थ तो समझता हूं, किन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों हमें धोका देने के लिये इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है । हमारे भारत में कई ऐसे व्यक्ति तो हैं जिन्हें राज्य मंत्रालय की उदारता से अब भी 'शासक' कहा जाता है । यह क्यों कहा जाता है, मुझे मालूम नहीं । लेकिन वे किसी पर भी शासन नहीं करते । विगत तीन चार वर्षों से हमारे राज्य मंत्रालय ने उदारता दिखा कर प्रसिद्धि तो पाई है, किन्तु मुझे बड़ा डर लग रहा है कि यदि हम बहुत अधिक समय तक उदार नहीं रह सकते ।

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): उन्हें शासक नहीं अपितु भूतपूर्व शासक कहा जाता है ।

श्री जवाहर लाल नेहरू : मेरा विचार है कि उन्हें शासक कहा जाता है ।

डा०काटजू : मैं सदा 'भूतपूर्व-शासक' शब्द का प्रयोग करता हूं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे स्मरण है कि कुछ समय पहले राज्य मंत्रालय ने मुझ से कहा था: "इस में सन्देह नहीं कि अब उन की पहले की स्थिति नहीं रही है । वे तो बन्दी हैं । क्या आप को इस बात से कोई अन्तर पड़ेगा यदि हम उन को चापलूसी के लिये अभी भी उन्हें शासक कहें ।" मैं ने उत्तर में कहा, "अपने आप को आप इसी बात से हर्षित कीजिये ।" किन्तु इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग गलत है क्यों कि इन से हम गलत नतीजे पर पहुंचते हैं, जैसे कि एकाधिपत्य शब्द है ।

भारत में कोई भी एकाधिपत्य नहीं । हां, कई एक जगहों में कई परिवार हैं—राजाओं के परिवार, और उन की लम्बी लम्बी पदावलियां हैं, और संपत्ति भी है । वे भावी पीढ़ियों में अपनी उसी सम्पत्ति पर जीने की आशा करते हैं । उन के अतिरिक्त कई एक राजप्रमुख हैं । अब ३ ऐसे राज्य हैं जहां राजप्रमुखों का मुख्यत्व है : अन्य राज्यों में राज्य-समूह हैं जहां कोई भी शासक अथवा भूतपूर्व शासक जीवन भर के लिये राजप्रमुख रखा गया है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वे भूतपूर्व शासक नहीं हैं । संविधान की परिभाषा के अनुसार उन्हें शासक कहा जाता है ।

श्री जवाहर लाल नेहरू : इसी से सिद्ध होता है कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता है ।

तो इस प्रकार हमारे यहां ये राजप्रमुख हैं । उन में से कई एक तो बहुत ही अच्छे हैं—इस में कोई व्यक्तिगत बात नहीं—और कई एक ऐसे हैं जिन्हें इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता । किन्तु यह स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन भर पदावधि दिये रखना न तो आधुनिक विचार धारा के अनुकूल है और न उस में विद्वत्ता है । हो सकता है कि विशेष घटनाओं में हम ने वैसी बात की हो, जैसा हम ने किया भी । हमें घटनाओं का प्रसंग याद रखना चाहिये । और की गई बातों पर अधिक आलोचना नहीं करनी चाहिये । और वैसा प्रसंग तथा अवसर उसी समय था जब सैंकड़ों राज्यों को बहुत ही शीघ्रता से कुछ एक सप्ताहों में ही भारत के साथ मिलाना था, और उस समय सत्य तो यह है कि कई राजाओं ने हमें कष्ट भी दिया होता, और उस समय यह भी स्थिति थी कि कई एक तो बहुत ही अधिक कष्ट

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

देने वाले भी थे, चुन चि कई राजाओं ने गुप्त रूप से हमें कष्ट भी दिया : यह उन दिनों की बात है जब १५,अगस्त १९४७ को सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए । ये दंगे राजनीतिक प्रवृत्ति के थे : इन राजाओं के परिवारों भाइयों और चाचाओं ने दंगों में बहुत क्षत्ति पहुंचाई और दंगों में भाग भी लिया, और बलवाइयों को धन और बन्दूक—शस्त्र, आदि भी दिये ताकि वे गड़बड़ पैदा करें। तो, यही उन दिनों की स्थिति थी : सैंकड़ों छोटे बड़े राज्य थे जिन्हें अपने भविष्य का कुछ भी पता नहीं था, वे अपनी जनता से, भारत सरकार से और कई अन्य तत्वों से डरते थे; और उन्हें ब्रिटिश राज्य की ओर से रक्षा मिलती थी। उस समय हम कई एक बातों का निश्चय कर सकते थे। यदि आप ही सोच लें, तो आप इस बातको समझ सकते हैं कि उन्हें उस समय पूरी तरह से हटाया भी जा सकता था, या उन के साथ कई शर्तें बांधी जा सकती थीं। और देश भर में शान्ति को खरीदा जा सकता था, ताकि देश को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं पहुंच पाता। मेरी समझ में सरदार पटेल ने बहुत ही बुद्धिमत्ता से काम लिया। यों, तो हम अवसर और प्रसंग के बाद बुद्धिमत्ता जता सकते हैं और यह कह सकते हैं "यह बात इस तरह हो सकती थी, और वह बात और किसी तरीके से हो सकती थी।" किन्तु यदि आप को वह विशेष प्रसंग याद होगा जब कि भारत के टुकड़े-टुकड़े होने का डर था—क्यों कि विभाजन से लोगों की सांम्प्रदायिक भावनाओं को प्रोत्साहन मिला था, मार-काट हुई थी, साम्प्रदायिकता फैल रही थी, और ये सभी प्रतिक्रियावादी जागीरदारी और सामन्तशाही तत्व दंगा फैलाने के लिये मैदान में कूद पड़े थे, और यह भी आशा करते थे—कई एक को तो मैं भली भांति जानता भी हूं—यद्यपि उन की उस प्रकार की आशायें निराधार थीं, फिर भी आशा करते थे—तो उस समय हमें कोई निश्चय करना पड़ा। तो उस समय मुख्यतया सरदार पटेल, और आर्थिक रूप से हम सभी इस निश्चय पर पहुंचे कि जितनी भी शीघ्रता से हो सके और जितना भी पैसा खर्च किया जा सके, भारत को संगठित और दृढ़ कर देना ही अच्छा होगा, अन्यथा घरेलू दंगे और मार-काट चलते रहेंगे और जनता कटती रहेगी—क्योंकि अन्य बातों के अतिरिक्त भी, धन से अधिक मूल्यवान तो लोगों का जीवन और भारत का संगठन ही है—नहीं तो आपसी दंगों से आपदाओं के सिवाय और कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलती और लोग एक दूसरे से खिचे-खिचे रहते हैं। इस प्रकार हम इन निष्कर्षों पर पहुंचे और हम ने कई बातों का निपटारा किया जो अपने में, आर्थिक अथवा किसी अन्य दृष्टि से शायद ही उचित और न्याय सम्मत हों, किन्तु देश की इस कठिन-जटिल और महत्वपूर्ण समस्या को यथाशीघ्र हल करने के लिये इस प्रकार का बलिदान करना पड़ा था।

अब इस समय मैं इस बात के विस्तार में नहीं जा रहा हूं कि भविष्य में इस मामले को कैसे निपटाया जायेगा। इस समय यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। हां, इतना तो स्पष्ट है कि इन मामलों पर हमें भविष्य में विचार करना पड़ेगा, और मैं यह भी समझता और आशा करता हूं कि सभी सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा मित्रतापूर्ण भावना से विचार करना होगा। यह भी स्पष्ट है कि किसी एक स्थान में होने वाली घटनाओं से दूसरे स्थान की घटनाओं पर प्रभाव पड़ता है और वहां उन की प्रतिक्रिया होती है। और इस में भी संदेह नहीं कि काश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है या वहां जो कुछ भी होने की संभावना है उस की अन्य स्थानों में अवश्य प्रतिक्रिया होगी।

तो माननीय सदस्य डा० मुखर्जी ने कई एक बातों की ओर निर्देश किया। उन्होंने अनुच्छेद ३५२ के सम्बन्ध में बहुत कुछ कह

और उन्होंने मुझ से पूछा कि क्या आर्थिक गड़बड़ी, आर्थिक कठिनाई अथवा आयात अथवा संविधान के भंग होने से सम्बद्ध कई अन्य अनुच्छेद लागू किये जायेंगे। मैं उन के इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। हमें इस समय उन के साथ जो भी सम्बन्ध है, हम उन अनुच्छेदों को लागू नहीं कर रहे हैं। हम ने उन्हें विचारार्थ प्रस्तुत तक भी नहीं किया है। मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात को याद रखे कि हमें किसी आधार पर चलना है चूंकि यह एक आधार है--मैं अपना कर्तव्य, भूल नहीं सकता किन्तु ऐसी बात हुआ करती है-- और यह आधार मेरी अनुपस्थिति में ही बना चुका है--मैं उन दिनों भारत में नहीं था अपितु अमरीका में था-- और वह आधार इस राष्ट्र के उस वीर निर्माता सरदार पटेल का बनाया हुआ है। यह उस समय की बात है जब यह नया संविधान बनाया जा रहाथा— मैं पहले भी बतला चुका हूं और अब उसी को दोहरा रहा हूं, और जब काश्मीर का प्रश्न प्रस्तुत हुआ, यह बात संविधान के अनुच्छेद ३७० म चर्चित हुई थी। मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप वह अनुच्छेद ३७० पढ़ें, क्यों कि यदि आप इस समय इस प्रश्न पर बहस करेंगे तो आप को उसी अनुच्छेद के आधार पर इस पर बहस करनी चाहिये जो हम मान चुके हैं, और जो हमारे संविधान का एक अंग है। आप ऐसा न कहें कि हम संविधान से बाहर चले जाते हैं। हमें स्वयं संविधान का ही सहारा ले कर काश्मीर को समस्या सुलझा रहे हैं।

संविधान यही कहता है। जैसा निर्देश भी किया जा चुका है, यह सही है कि वह अनुच्छेद एक अन्तिम और ठोस उपबन्ध नहीं था। स्वयं वह अनुच्छेद एक अस्थायी एवं परिवर्तनशील अनुच्छेद था। किन्तु उस में भावी निश्चय की प्रणाली का उल्लेख हुआ था। इस में इस बात का उल्लेख हुआथा कि हमें भविष्य में किस प्रकार काम करना चाहिये और यदि विषयों की संख्या बढ़ जाये अथवा और कई बातें बढ़ जायें तो उन को किस प्रकार निपटाया जाना चाहिये। और इस प्रकार आप हर किसी स्थिति में दो प्रकार के विषय देख लेंगे। इन में से तो एक तीन बड़े विषयों या यों कहिये कि तीन तरह के विषयों—यानी, रक्षा, संचरण और वैदेशिक कार्य के सम्बन्ध में था। इन के सम्बन्ध में यदि इन की व्याख्या में कोई परिवर्तन किया जाने वाला था, तो राष्ट्रपति उसे काश्मीर सरकार अथवा वहां की संविधान सभा "के साथ परामर्श कर के" कर सकता था। और किसी चीज़ के सम्बन्ध में जो भी शब्द प्रयुक्त हुए वे 'परामर्श से,' ['in consultation with'] नहीं, अपितु 'सहमति से' ['with the concurrence of'] थे। ये शब्द वर्ष १९४९ में, नवम्बर या दिसम्बर में लिखे गये थे। और वह बात हमारे संविधान का एक अंग है।

तो इस प्रकार की स्थिति में आप क्यों यह शिकायत कर लेते हैं कि हम संविधान से बाहर जा रहे हैं, और यह भी कि हम, अथवा काश्मीर की सरकार या जनता संविधान को भंग कर रही है? यह हो सकता है कि काश्मीर की सरकार हम से कोई ऐसी बात करने को कहे जिसे हम उचित नहीं समझते। यह हो सकता है किन्तु इस में पारस्परिक प्रयत्न की बात है कि किस तरह कोई ऐसा रास्ता निकाला जाय जो उचित हो और समस्या को भी सुलझा दे। और यदि हम कोई ऐसा रास्ता नहीं ढूंढ़ निकालते जो उचित हो, तो इस प्रकार की बात नहीं हुआ करेगी तो यह स्पष्ट है कि हमें उन का परिणाम भुगतना पड़ेगा, वह चाहे कुछ भी हो। यह भी हो सकता है कि वे परिणाम हमें या उन्हें स्वीकार न हों। और कोई भी रास्ता नहीं। इस प्रकार की भी कोई बात नहीं कि हम कोई आज्ञप्ति या आदेश निकालें—जैसा कि कई माननीय सदस्यों

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

के संशोधनों से पता चलता है—या कोई कठोर आदेश जारी करें कि "इस आदेश का पालन करो, नहीं तो आपत्ति भुगतनी पड़ेगी ।" इस मामले को वैसे तरीके से नहीं निपटाया जा सकेगा । हमें कोई समझौता करना पड़ेगा, नहीं तो अपने किये का फल भुगतना पड़ेगा । किन्तु मेरा यह निवेदन है कि हम ने इस मामले को सदा ही एक मैत्री के वातावरण में समझा, और मेरी यह भी आशा है कि भविष्य में भी हम इसे मैत्रीपूर्ण वातावरण में समझ लेंगे, क्योंकि हमें इस बात का स्मरण करना होगा कि इस प्रश्न के आन्तरिक और बाह्य कई पहलू हैं जिन्हें हम और आप अपने दृष्टिकोण से नहीं देख सकते । तो इस समस्या का 'आन्तरिक' पहलू इस समय काश्मीर की सरकार के अधीन है । जिस भाग को गलती से आज़ाद काश्मीर कहा जाता है और जो पाकिस्तान के अधीन है उस का प्रभाव, उस का दूसरों पर प्रभाव विदेशों का भारत पर प्रभाव आदि इस प्रश्न के इतने पहलू हैं कि आप उन्हें अपने दृष्टिकोण से नहीं देख सकते । आप को इन सभी मामलों पर विचार करने पड़ेगा । यह भी हो सकता है कि काश्मीर के लोगों की दृष्टि में कोई विशेष पहलू हो, और यह भी हो सकता है कि आप ने उस पर विचार नहीं किया है, और यदि आप उस पर विचार करें तो आप को विश्वास भी होगा । क्या मैं माननीय सदस्यों के समक्ष इस बात की शिकायत करूं कि डा० मुखर्जी ने इस बात की शिकायत की कि उन से परामर्श नहीं लिया गया .....

डा० एस० पी० मुखर्जी : मैं ने शिकायत नहीं की ।

श्री जवाहर लाल नेहरू : यदि मुझे यह कहने की सुविधा हो, तो मैं कहूंगा कि उन्हों ने इस के सम्बन्ध में ज़िक्र किया, और उसी के थोड़ी देर बाद उन्हों ने बताया कि शेख अब्दुल्ला ने उन्हें लिखा कि वह उन से मिलना चाहते थे और उन का परामर्श लेना चाहते थे .....

डा० एस० पी० मुखर्जी : निश्चय किये जाने के बाद ।

श्री जवाहर लाल नेहरू : ठीक है, किन्तु यह बात कठिन भी है । निश्चय ही, डा० मुखर्जी शेख अब्दुल्ला या इस सरकार के किसी सदस्य से इस बात की आशा नहीं कर सकते कि वह किसी महत्वपूर्ण बात चीत के दौरान में औरों से परामर्श लेता फिरे । ऐसी बात असंभव है, और की भी नहीं जा सकती । यदि मुझे यह कहने की सुविधा हो तो मैं बतला-दूंगा कि मेरे मंत्रिमंडल के सदस्यों से शायद ही परामर्श लिया गया और उन सदस्यों को छोड़ कर जिन्हें इस मामले को निपटाने के लिये अधिकार मिल चुका था, अन्य सदस्यों से उस समय परामर्श किया गया जब बातचीत समाप्त हो चुकी थी । हम ने उन से इस बात पर विचार किया और उन की सहमति भी प्राप्त की । तो मैं यह कहने जा रहा था कि शेख अब्दुल्ला विरोधी दल के सदस्यों से मिलने का बहुत ही इच्छुक था : उसे डा० मुखर्जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ किन्तु वह डा० मुखर्जी के सहयोगी श्री चटर्जी से मिला और दो घंटे तक उस से बातचीत भी की । मैं उस बातचीत में उपस्थित नहीं था किन्तु श्री चटर्जी ने मुझे वह सब बातें लिखने और सूचना देने की कृपा की और यह भी कहा कि शेख अब्दुल्ला के साथ उस की यह बातें हुईं जिस से वह स्वयं प्रभावित भी हुआ । उस ने मुझे यही कुछ लिखा और उस में यह भी बताया कि उस बातचीत से पहले उसे कई बातों का पता नहीं था । आप देखेंगे कि इस प्रश्न के कई पहलू हैं । उन के अतिरिक्त एक और बात भी है । मैं अनुच्छेद ३५२ की ओर निर्देश कर रहा हूं जिस में आपात की उद्घोषणा

के सम्बन्ध में उल्लेख हुआ है—उस का पाठ इस प्रकार है :—

"यदि राष्ट्रपति को इस बात का पूरा विश्वास हो जाये कि कोई ऐसा गंभीर आपात सम्मुख है जिस से भारत अथवा भारत प्रदेश के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा पहुंच रहा हो—यह खतरा चाहे युद्ध, बाहुय आक्रमण अथवा आन्तरिक गड़बड़ से हो रहा हो—तो वह उद्घोषणा द्वारा तदनुसार इस प्रकार की घोषणा कर सकता है कि . . . . ." ।

तो इस प्रकार से राष्ट्रपति सभी प्रकार का उपचार कर सकता है कि यहां तक कि समग्र राज्य का प्रभार ले सकता है । इस बात चीत में हम ने काश्मीरी मित्रों की प्रार्थना पर यही करार किया और उन्हें यह सुझाव भी दिया कि जब भी आन्तरिक गड़बड़ हो जाये तो उन की सरकार के साथ परामर्श करने पर ही कार्यवाही की जायेगी । और यदि बाह्य आक्रमण अथवा युद्ध हो तो उन से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । इस में सन्देह नहीं कि इस प्रकार का प्रशासन सम्बन्धी परिवर्तन उस सरकार के पक्ष में है और माननीय सदस्य इस की आलोचना भी कर सकते हैं । क्या माननीय सदस्य उस आधार को याद करेंगे जहां से हम ने यह बातचीत शुरू की थी ? हम इस समय अनुच्छेद ३७० से प्रारम्भ कर रहे हैं । अनुच्छेद ३७० से अनुच्छेद ३५२ रद्द हो जाता है और अन्य अनुच्छेद भी रद्द हो जाते हैं—यानी, इस समय संविधान के अनुसार चलते हुए, जैसी भी स्थिति में वह काश्मीर राज्य पर लागू हो जाता है, इन में से कोई भी उपबन्ध लागू नहीं होता । यहां तक कि हम ने यह कहा है कि इस मामले, सर्वोच्च न्यायालय, अथवा राष्ट्रपति के अन्य अधिकारों के सम्बन्ध में—ये सभी बातें काश्मीर के साथ बिल्कुल नई जोड़ दी गई हैं—यानी, राष्ट्रपति संसद् अथवा सर्वोच्च न्यायालय की सत्ता तक उन पर बिठाई गई और वे इन्हें स्वीकार कर रहे हैं । ये सभी बातें हमारे अधिकारों के साथ जोड़ दी गई हैं । अतः इस में कोई ऐसी बात नहीं कि हम कोई अधिकार छोड़ रहे हों । हम ने संविधान में विशेष रूप से यही उपबन्ध रखा हुआ है : "कि किसी गंभीर आपात्त में राष्ट्रपति सारे राज्य का प्रभार ले सकता है"—उपबन्ध उस राज्य पर लागू होना चाहिये किन्तु जब वहां आन्तरिक गड़ बड़ हो तो पहले उन की सहमति ली जायेगी । यह कुछ विचित्र सा लग रहा है और कोई लोग कहते हैं : "आप किस तरह उन की सहमति मांग सकते हैं या उस की प्रतीक्षा कर सकते हैं ?" यह इतना विचित्र उपबन्ध नहीं है सचाई यह है कि यदि सारा राज्य गड़बड़ में ग्रस्त हो तो उस समय कोई भी व्यक्ति किसी भी सहमति की प्रतीक्षा नहीं कर पाता; उस समय कार्यवाही की जाती है, किन्तु मैं यह भी बतला दूं कि यह विशेष शब्दावली अमरीकी संविधान से ली गई है, जहां पर आपात की स्थिति में राज्य सरकार की सहमति से संघीय सरकार सारे राज्यों का प्रभार संभाल सकती है । अतः इस में कोई नई बात नहीं, और, निस्सन्देह सदस्यों को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वे आलोचना करें या न करें । किन्तु तथ्य यह है कि इस में कोई ऐसी विचित्र अथवा विशेष बात नहीं और सभी परिस्थितियों में हमारा यही अनुभव रहा कि इस समस्या को छोड़ने की अपेक्षा यही अच्छा है कि हम इसे इस रूप में ही समझ लें ।

इस के पश्चात् डा० मुखर्जी ने अंशतः आलंकारिक प्रश्न पूछा . . . . . .

डा० एस० पी० मुखर्जी : नागरिकता अधिकार ।

श्री जवाहर लाल नेहरू : वह इतना आलंकारिक नहीं था ।

प्रश्न का अलंकारमय भाग यह था : क्या काश्मीर भारत की इस संसद् के अधीनस्थ है .....

डा० एस० पी० मुखर्जी : जहां तक इस संसद् का प्रश्न है — चाहे यह संसद् संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न संस्था है अथवा कोई अन्य संस्था— काश्मीर की संविधान सभा संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न है और दोनों मुख्य मंत्री संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न हैं ।

श्री जवाहर लाल नेहरू यही तथ्य की हम जिन उपबन्धों पर विचार करते रहे हैं— यानी क्या ये उपबन्ध आपातकालीन हैं, क्या राष्ट्रपति को इस प्रकार के विशेष अधिकार प्राप्त हैं, क्या किसी विशेष राज्य में इस प्रकार के अधिकारों को संसदीय अधिकार माना जायेगा, अथवा क्या सर्वोच्च न्यायालय इसमें शामिल होता है——निश्चय ही सिद्ध करता है कि इस प्रश्न का कोई भी उत्तर देने की आवश्यकता नहीं कि सम्पूर्ण-प्रभुत्व सम्पन्नता का माप क्या है और किस में है । मैं प्रसंग से दूर और अधिक वेग में बोलता जा रहा हूं— मैं संविधान के सम्बन्ध में तथा अन्य वैधानिक मामलों पर बोल रहा हूं किन्तु यह स्पष्ट है कि किसी संघीय संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता वहां के राज्य और संघीय केन्द्र में विभाजित होती है । आपात या संकट की स्थिति में यह प्रभुत्वसम्पन्नता संघ अथवा केन्द्र में न्यस्त हो सकती है । यह एक जुदा बात है । मैं समझता हूं कि विधि मंत्री इस बात से सहमत नहीं हैं । मैं इस बात का विश्वस्त नहीं किन्तु कुछ भी हो यह एक छोटी सी बात है । संघ म ऐसी बात को विचित्र दलील माना जाता है कि क्या वह विभाजित होता है अथवा नहीं । आप अपना ही संविधान लीजिये ।

संविधान के भिन्न भाग हैं—सूची ३ या कोई भी सूची हो जो पूर्ण रूप से राज्यों के अधिकार में है ।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : सूची २ में हम किसी भी चीज़ का दावा नहीं कर सकते ।

श्री जवाहर लाल नेहरू : मुझे मालूम है कि कोई सूची है वह कुछ भी हो——राज्य सूची है । पहली सूची संघ सूची है । सूची ३ ऐंक्य सूची है । तो इस प्रकार राज्य प्रभुत्वसम्पन्नता का एक क्षेत्र है जिसे अन्तिम विश्लेषण में उलटाया जा सकता है और समाप्त किया जा सकता है । इस अर्थ में, मैं यही कह सकता हूं कि केन्द्र सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न है । इस के सम्बन्ध में संघों का भिन्न २ मत हो सकता है और विश्व भर में संघीय केन्द्रों की यही प्रवृति है कि वे (केन्द्र) अधिक दृढ़ एवं शक्तिशाली बनें । अतःएक—काश्मीर की संविधान सभा, जिस के सम्बन्ध में आप पूछ रहे हैं, यदि मुझे यह कहने की सुविधा हो, किसी हद तक संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न बताई जा सकती है— कानून द्वारा नहीं, क्योंकि मैं कानूनी बात नहीं बता रहा हूं—और यह इसी प्रकार है जैसे कि मैं इस धारणा को मान कर चला था कि काश्मीर के लोग ही अन्ततः अपने भविष्य का निर्णय कर सकते हैं । हम उन्हें विवश नहीं करेंगे । उस अर्थ में काश्मीर के लोग अपने भविष्य का निर्णय करने में संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न हैं — यानी वे ही इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि काश्मीर हमारे साथ रहेगा या नहीं । वे संविधान को इस अर्थ में स्वीकार करने या भंग करने में सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न नहीं हैं, कि वह हमारे संविधान के भागीदार बन कर इस का वह भाग स्वीकार करें, जिस पर हमें प्रभुत्वसम्पन्नता प्राप्त है, और बाद में इस के क्षेत्र से बाहर जाने का प्रयत्न करें । हां, वे इस अर्थ में प्रभुत्वसम्पन्न हैं कि वे सारा संविधान अथवा इस का कोई अंश स्वीकार कर सकते हैं,

अथवा वे अन्य मामलों के सम्बन्ध में हम से कोई समझौता कर सकते हैं ।

हां, तो मैं एक बात सुन कर बहुत निराश हुआ । माननीय डा० मुखर्जी ने घृणा भरे शब्दों में हमारे राज्यपालों की ओर निर्देश करते हुए कहा कि वे तिरस्कृत और वर्जित लोग हैं ।

श्री एस० पी० मुखर्जी: नहीं ।

श्री जवाहर लाल नेहरू : माननीय सदस्य ने ये ही शब्द बताये ।

अभी थोड़ी देर पहले, एक और अवसर पर, विरोधी दल के एक और सदस्य ने एक अधिकारी की ओर निर्देश किया; मैं समझता हूं और विश्वास भी करता हूं कि हम में से सभी सदस्य उस का बहुत सम्मान करते हैं, चुनांचि वह एक स्त्री है, और विरोधी सदस्य ने उस के लिये बहुत ही अधिक अपमानजनक शब्द कहे हैं ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : मैं ने ऐसे शब्द नहीं कहे ।

श्री जवाहर लाल नेहरू : माननीय सदस्य (डा० मुखर्जी) ने नहीं, अपितु, और किसी सदस्य ने उन की ओर निर्देश किया चूनांचि अब वह इस सदन की सदस्य नहीं हैं । वह योजना आयोग की एक सदस्य हैं और उन के लिये अपमानजनक शब्द कहे गये—ऐसे शब्द कहे गये जिन से उन का या हमारा अपमान ही नहीं बल्कि कहने वाले माननीय सदस्य का भी अपमान हुआ । उन पर लगाये गये आरोप से ऐसा लग रहा था जैसे कि उन के पास से नौकरी मिल रही हो, या उन व्यक्तियों का परिवार-पोषण किया गया हो जिन्हें चुनावों में हार हुई थी । मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार से आरोप लगाना बिल्कुल नुचित है ; यह रवैया कुछ और भी अनुचित और कुन्सित हो जाता है जब उन सदस्यों पर आरोप लगाये जाते हों, जो सदन में अनुपस्थित हों और अपने आप को बचा नहीं सकते हों ।

मैं बहुत देर से बोलता रहा हूं । मैं ने आप का बहुत समय लिया है, इस के लिये मुझे खेद है । अभी कुछ दिनों में ही मेरे एक सहयोगी श्री गोपाल स्वामी आयंगार ने जैनेवा जा रहे हैं । हो सकता है कि मेरा कहना इतना ठीक न हो कि मुझे जैनेवा की बात चीत से बहुत आशायें हैं, किन्तु कुछ भी हो, हमें इस समस्या को सभी ऊंच-नीच परिस्थिति में से धकेल कर निकालना पड़ेगा । खैर, हमारी सद्भावनायें उन के साथ हैं, और सर्वप्रथम, हमारी शुभ इच्छायें जम्मू तथा काश्मीर राज्य के उन लोगों के साथ हैं जिन की भूमि को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में, यहां तक कि हमारे वाद-विवादों में एक खिलौना बनाया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय: इन सभी संशोधनों में से .... ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं अपना संशोधन संख्या ६ वापिस ले रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं इन संशोधनों को प्रस्तुत करूंगा । मैं इन में से एक चुन लूंगा और सदन के समक्ष रखूंगा । यदि वह एक संशोधन विस्तृत और विशद हो और पारित हो जाये तो अन्य अस्वीकार होंगे । तो मैं अब संशोधन संख्या १६ जो सरदार अमर सिंह सहगल के नाम में है, प्रस्तुत करूंगा ।

प्रश्न यह है कि :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द, जो इस प्रकार हैं जोड़ दिये जायें :—

"and having considered the same, this

[उपाध्यक्ष महोदय]

House approves all the steps taken so far in the matter."

"और इस पर विचार करने के बाद यह सदन आज तक इस विषय में उठाये गये सभी पगों का अनुमोदन करता है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य संशोधन अनियमित ठहराये जाते हैं ।

डा० एस पी० मुखर्जी : वे स्वयं ही रद्द हो जाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, मैं ने भी यही कहा, वे रद्द हो जाते हैं ।

इसके पश्चात सदन की बैठक शुक्रवार ८ अगस्त, १९५२ के नौ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।